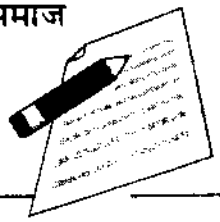

23

भारतीय सामाजिक चिन्तन

इस पाठ में आपको यह जानकारी प्राप्त होगी कि भारतीय सामाजिक विचारकों का भारतीय समाज को समझने में क्या योगदान है। आप यह भी जानेंगे कि इन विचारकों का भारतीय संस्कृति के धार्मिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में क्या महत्व है। हम यहाँ भारत की केन्द्रीय विचारधारा, जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्वामी विवेकानंद तक का संक्षेप में विवरण देंगे।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- भारत के प्रारम्भिक धर्मों और दर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; और
- इस संदर्भ में कतिपय भारतीय विचारकों के योगदान को समझ सकेंगे।

23.1 ऊपरी दृष्टिकोण

23.1.1 प्रारम्भिक सभ्यता : सिंधु घाटी सभ्यता (3000–2000 ई. पू.)

भारत में सामाजिक चिन्तन का प्रारम्भ मोहनजोदड़ो की खोजों से माना जाता है। इस सभ्यता में एक शहर का निर्माण कोई पाँच हजार वर्ष पूर्व हुआ था। इन खोजों से ज्ञात होता है कि उस समय में लोगों की जीवन पद्धति क्या थी। जो कुछ अवशेष हमें मिलते हैं, उनसे प्राप्त होता है कि कुछ अवशेष शक्ति के रूप में माँ को बताते हैं। पुरुष के

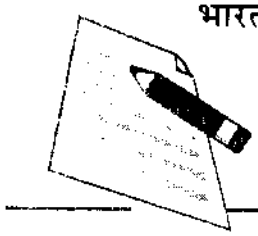

लिंग की प्राप्ति भी है और एक पुरुष परमात्मा के रूप में योगी की अवस्था में मिलता है। कई विद्वानों का कहना है कि यह योगी का स्वरूप भगवान शिव का प्रारम्भिक स्वरूप है। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि शिव की उपासना लिंग के रूप में सिन्धु घाटी से ही प्रारम्भ होती है।

23.1.2 वेद

आर्य सभ्यता और इससे जुड़े हुए विचारों की जानकारी हमें कुछ पवित्र ग्रन्थों से मिलती है, जिन्हें हम वेद कहते हैं। वेदों का आशय श्लोकों के चार संग्रहों से है, जिन्हें संहिता कहते हैं। ये संग्रह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद हैं। आर्य जब भारत में आकर बसे तत्पश्चात् उन्होंने इस वैदिक साहित्य का निर्माण किया। वैदिक साहित्य में कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थों में संहिता ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित हैं। इन चारों ग्रन्थों को निश्चित समयावधि में रखा गया है। यह समयावधि वैदिक साहित्य के विकास की परम्परा में है। इस सम्पूर्ण साहित्य का पाठ ऋग्वेद संहिता में है।

वैदिक साहित्य के निर्माण में ऋग्वेद का निर्माण सबसे पहले हुआ। इस वैदिक साहित्य की स्थापना को वेद कहते हैं। ऋग्वेद की दस पुस्तकें हैं। इन्हें मण्डल भी कहते हैं। ऋग्वेद को भजनावली भी कहते हैं। भजनावली में उन सामान्य वस्तुओं की अभिव्यक्ति है, जो दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं। आर्य लोग जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे -- उनमें पशु-सम्पत्ति, घोड़े और भोजन थे। कभी-कभी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले इन श्लोकों में युद्ध में विजय, वर्षा और बच्चों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं थी। ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि, वरूण, सूर्य और अन्य देवताओं की उपासना भी होती थी। इस तरह ऋग्वेद के माध्यम से हमें लोगों के धार्मिक विश्वासों सामाजिक-आर्थिक जीवन के बारे में मालूम होता है। उदाहरण के लिए, इस ग्रन्थ में बहुत अधिक पुत्रों के लिए प्रार्थना की गयी है। इसका आशय है वैदिक युगीन परिवार में पुरुष के जन्म को अधिक महत्व दिया गया है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428902240

सामवेद की रचना वैदिक युग के बाद हुई। इस वेद में ऋग्वेद के उन भागों पर जोर दिया गया है, जिन्हें योज के समय में गाया जाता था। क्योंकि सामवेद अधिक करके ऋग्वेद के श्लोकों का ही प्रयोग करता है, इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक मूल्य कम है। यह होते हुए भी सामवेद को उसके स्वर माधुर्य के लिए एक जादुई शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण समझा जाता है।

यजुर्वेद के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार, शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है।

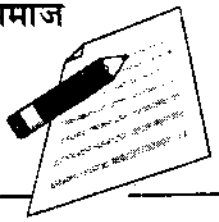

Notes

इन दोनों प्रकारों में मुख्य अन्तर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में यजुर्व के मंत्र प्रमुख हैं और इसीलिए इसे यजुर्वेद कहते हैं। दूसरा प्रकार वह है, जिसमें यजन से जुड़े कर्मकाण्डों का विवेचन है। अथर्वेद वेदों की आखिरी कड़ी है। इसका निर्माण अंत में हुआ था। इस वेद में आदिम जादू के श्लोकों को रचा गया है। इसका निर्माण लोगों की भाँति-भाँति की इच्छाओं जिनमें रोगों से मुक्ति या प्रेमिका के दिल को जीतने के श्लोक हैं। ऐसा लगता है कि इन श्लोकों के कुछ विचार और विश्वास आम लोगों ने आदिवासियों से सीखे, जब वे उनकी संस्कृति के निकट आए।

वैदिक साहित्य का अगला स्वरूप ब्राह्मण है। ब्राह्मण गद्य में लिखे गये हैं और इनमें चार वेदों के बारे में टिप्पणियां की गयी हैं। अतर्य, कौशिटिकी, जेमिनीया, स्तापना और टेनिट्रिया आदि कुछ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थों के उपसंहार को अरण्यक या ऐसे शलोक जो वनों में बनाये गये थे भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के श्लोक इतने गोपनीय थे कि उन्हें केवल जंगलों में ही बनाया जा सकता था और उनका अध्ययन भी जंगलों में ही हो सकता था। ये श्लोक यज्ञ के कर्मकाण्ड से जुड़े हुए थे तथा इनका उद्देश्य कर्मकाण्ड के दर्शन का विवेचन करना था।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, चार वेद हैं। अरण्यक का निर्माण संभवत: जंगलों में हुआ था। उपनिषद भारतीय चिन्तन के अंतिम आधार हैं।

23.1.3 पुनर्विचार का युग

उपनिषदों के निर्माण के बाद जो नया युग आया, वह भक्ति युग था। भक्ति युग में लोग जिन देवताओं में उनका विश्वास था, वे व्यक्तिगत ईश्वर थे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी विश्वास के अनुसार, किसी देव या देवी की उपासना करते थे। इससे पहले अवैयक्तिक ईश्वर यानी ब्रह्म की उपासना की जाती थी। यह उपासना चिन्तन और ज्ञान से जुड़ी थी। इसी युग में बौद्ध और जैन धर्म आए।

गौतम बुद्ध और महावीर

गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक का जन्म एक राजपरिवार में हुआ था। वे 80 वर्ष तक जीवित रहे, उनकी मृत्यु 487 ई. पू. हुई। उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध होने का ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। 532-437 ई. पू. में उन्हें अपने विचारों के मूलभूत सिद्धान्तों का पता लगा। इन विचारों को ही बौद्ध धर्म कहते हैं।

वर्धमान महावीर जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं, का जन्म वैशाली में हुआ था।

उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई। उनके धार्मिक जीवन का काल 497-467 ई. पू. है। परन्तु जैन धर्म की समयावधि इस काल से भी अधिक है। जैन धर्म का विश्वास है कि महावीर से पहले भी 23 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में एक बड़ी समृद्ध कहानियों की परम्परा है जो 24 तीर्थंकारों के ईर्द-गिर्द घूमती है। बुद्ध धर्म किसी एक सर्वोच्च ईश्वर को मान्यता नहीं देता। ईश्वर के साथ जुड़े हुए विचारों का इसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बौद्ध धर्म में कोई व्यक्तिगत विचार हो, जिसके आसपास भक्ति और निकटता हो। बौद्ध धर्म के अनुसार, मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने के लिए या आवागमन के फेर से मुक्त होने के लिए कोई ईश्वर हो। यह धर्म तो केवल नैतिक सिद्धान्तों पर ही मनुष्य को निर्वाण देता है। यह धर्म हिन्दू धर्म की तरह वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं कराता। पशु बलि को भी बौद्ध धर्म नहीं मानता।

बौद्ध धर्म के बहुत से लक्षणों को जैन धर्म मानता है। यह धर्म अहिंसा स्वीकार करता है जो कि इस धर्म की केन्द्रीय धारा है। जैन धर्म अपने सिद्धान्तों पर जैसे कि व्रत करना, यौन सम्बन्धों को कम करना, आदि पर जोर देता है। इस धर्म का विश्वास है कि मनुष्य को अपने आपको पवित्र बनाना चाहिए। आत्मा अनन्त है। इसका मानना है कि कोई भी आत्मा शाश्वत नहीं है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा विलीन हो जाए।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

जैन धर्म को स्वीकार करने की प्रेरणा नंद वंश के राजाओं और चन्द्रगुप्त मौर्य (321-296 ई. पू.) से प्राप्त हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जैन धर्म का विस्तार लगभग सम्पूर्ण भारत में हुआ। लेकिन इस धर्म में आगे चलकर दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी आए। दिगम्बर वे हैं, जिनके वस्त्र दिशाएँ हैं अर्थात् जो वस्त्र नहीं पहनते और श्वेताम्बर वे हैं, जो श्वेतवस्त्र ही पहनते हैं। बौद्ध धर्म को भारत में मुख्य स्थान इसलिए मिला कि इसे अशोक (273-236 ई. पू.) चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र ने अपनाया। अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म भारत से भी बाहर कई और देशों तक फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रभुत्व के साथ जैन धर्म पूर्वी भारत में अपना प्रभुत्व खो चुका था लेकिन दक्षिण और पश्चिम में जैन धर्म को एक संरक्षण मिल गया।

पाठगत प्रश्न 23.1

निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

(1) भारत में सामाजिक विचारों का प्रारम्भ ..... की सभ्यता से है।

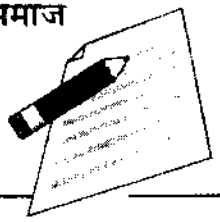

Notes

(2) आर्यों की सामुहिक रूप से तैयार की गयी पुस्तकों .....को साहित्य कहा जाता है।

(3) यज्न का मतलब है .....।

(4) हिन्दू धर्म के बुनियादी लक्षणों का उद्गम निम्न हैं.....।

(5) बौद्ध धर्म के संस्थापक का जन्म..... परिवार में हुआ।

(6) .....का जन्म वैशाली में हुआ।

(7) .....पद का मतलब जैन धर्म के 24 आचार्यों से है।

(8) .....से तात्पर्य हिंसा का अभाव है।

(9) हिन्दू समाज को चार वर्णों में बांटा गया है.....।

23.2 ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान

इतिहासकार ईसा से चौथी शताब्दी बाद के समय को एक बहुत बड़ा परिवर्तन मानते हैं। इस समय के बाद ब्राह्मण धर्म यानी हिन्दू धर्म धीरे-धीरे प्रभुत्वशाली हो गया। बौद्ध और जैन धर्म कमजोर हो गये। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया तथा जैन धर्म पश्चिम और दक्षिण भारत में एक स्थानीय धर्म की तरह विकसित हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के क्रमशः पतन के बाद हिन्दू धर्म प्रभुत्व में आ गया।

DIKSHANT IAS
Call us @ 7428092240

इस पतन और विकास की प्रक्रिया में भारत में जो धार्मिक सजातीयता थी, जिसमें कई नये धार्मिक सम्प्रदाय विकसित हुए। इन सम्प्रदायों में शैव, शाक्त, और वैष्णव हैं। जैसाकि हम जानते हैं कि शैव धर्म शिव की पूजा करता है, शाक्त का सरोकार पार्वती, वैष्णव धर्म पर आधारित विष्णु और उसके अवतारों से है।

23.3 कौटिल्य का राज्य कौशल

राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के विचारों का व्यवस्थित ब्यौरा हमें कौटिल्य से मिलता है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। जन्म से वे ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। उनका जीवन एक चिकित्सक की तरह था। वे प्रसिद्ध विचारक थे, यूनान तथा फारस की बौद्धिक परम्पराओं से परिचित थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के वे मित्र, सलाहकार और मुख्यमंत्री थे। मौर्य प्रशासन के वे मुख्य वास्तुकार थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र 15 जिन्दों में लिखी गयी

है, जिसका निर्माण शायद ई. पू. चौथी शताब्दी में हुआ है। यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र का मौलिक पाठ प्रारम्भ में खो गया था। इसके बाद 1909 में इसके मूलपाठ को खोजा गया और इसे छापा गया।

अर्थशास्त्र का अध्ययन यह बताता है कि प्रशासन की कुशलता का विकास एक लम्बी अवधि में हुआ होगा। इसके विकास में राजनीति विज्ञान के पूर्ववर्ती विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस विज्ञान के सिद्धान्तों को संपादित करके वे इस पर अपनी टिप्पणी करते हैं। इस टिप्पणी में वे शुक्र और वृहस्पति नाम के दो राजनीतिक विचारकों का बिस्तार से विवरण देते हैं। वे इस विश्लेषण में चार-पाँच राजनीतिक विचारों का लगभग एक दर्जन लेखकों, आचार्यों, जिनका वे उल्लेख नहीं करते का वर्णन है।

कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का कार्य दो तरह के कार्यों को करना है। पहला कार्य लोगों को सुरक्षा देना और उनका कल्याण करना दूसरा अपने आपको मजबूत बनाए रखना है। राज्य के पहले कार्य को वे *तन्त्र* और दूसरे कार्य को *द्रव* कहते हैं। अर्थशास्त्र को इस तरह से उन्होंने जमाया है, जिसमें पहला स्थान तन्त्र को है और दूसरा स्थान द्रव को।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

प्रारम्भ में कहा गया है कि अर्थशास्त्र को 15 खण्डों में विभाजित किया है। पहले से पाचवां खण्ड तन्त्र है। तन्त्र में बताया गया है कि राजा को किस तरह अनुशासन व प्रशिक्षण में रहना चाहिए और उसके कर्तव्य क्या हैं, उसे किस तरह दण्ड के प्राधिकार में रखना चाहिए। उसे यह भी बताना चाहिए कि वह अधिकारीतन्त्र को कैसे स्थापित करे। इन अधिकारियों के विभिन्न विभागों को कैसे देखें, राजस्व के ब्यौरे को कैसे रखें। नागरिक एवं अपराध सम्बन्धी कानूनों को देखें और असामाजिक तत्वों तथा अधिकारियों के भुगतान को नियंत्रण में रखें।

अर्थशास्त्र के खण्ड 6 से 14 तक द्रव के क्षेत्र में आते हैं। इसमें राज्य के लक्षणों, विदेश नीति, खतरे और कठिनाइयाँ जो राजा के सिर पर आती हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ, और सूखा, फौजी आक्रमण आदि को लिया गया है। अर्थशास्त्र में तकनीकी पद जो राजनीति के काम में आते हैं, उनका विवरण है। अर्थशास्त्र का तात्पर्य राज्य-नीति, राजनीतिक दर्शन अर्थात् राजधर्म और दण्ड के कानून, दण्ड-नीति। इस भाँति अर्थशास्त्र में राज्य की नीति, दण्ड-नीति आते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र में अपने आपको राज्य और सामाजिक सम्बन्धों को जोड़ कर देखा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थशास्त्र और कुछ न होकर राजनीतिक अर्थनीति का पाठ है। राजा का

मुख्य उद्देश्य है कि वह राज्य की धन-दौलत का प्रबन्धन करे। उनका अर्थ से तात्पर्य राज्य के वित्तीय पहलुओं से हैं।

अर्थशास्त्र की व्याख्या करने वाले विद्वान कहते हैं कि कौटिल्य ने राज्य को असीमित अधिकार दिये हैं। उसके लिए प्रत्येक राजा चक्रवर्ती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा को सारे विश्व पर शासन करने का अधिकार है। प्रशासन देश की आर्थिक जीवन पद्धति को नियमित करता है। राज्य के सभी संस्थानों की पूंजी पर अधिकार राज्य का है। राज्य को प्रत्यक्ष रूप में अपराधियों और गुलामों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। खानों, मत्स्य पालन, खेत-खलिहान, जंगल आदि पर राज्य का अधिकार है। इन पर प्रशासन चलाने के लिए राजा ठेकेदार भी रख सकता है। राजा अपनी खुफिया पुलिस के माध्यम से सजा दे सकता है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकता है।

पाठगत प्रश्न 23.2

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए:

(1) मनु का कानून ..... कहलाता है।

(2) मनुस्मृति में ..... श्लोक हैं।

(3) अंतिम आश्रम.....कहलाता है।

(4) राजनीति के व्यवस्थित विज्ञान की व्याख्या..... ने की है।

(5) कौटिल्य के दूसरे नाम.....और ..... हैं।

(6) कौटिल्य..... का मुख्य वास्तुकार था।

(7) अर्थशास्त्र के ..... खण्ड या पुस्तकें हैं।

(8) क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि राज्य के प्रशासन का आंतरिक भाग अर्थव्यवस्था है इसलिए इसे ..... कहा जाता है।

23.4 मनु

इस पाठ के इस खण्ड में हम मनु के योगदान का संक्षेप में विवरण देंगे। मनु का कार्य यानी मनु संहिता को *मनुस्मृति* और मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। हाल ही में मनु के

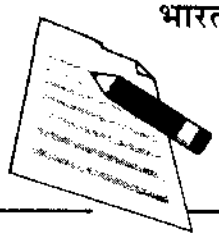

Notes

कार्य जिस स्वरूप में प्राप्त होते हैं शायद ही उनका पुनर्निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ।

मनुस्मृति 2685 श्लोकों में बनी है। इसके बारह जिल्दे हैं। पहली जिल्द में जो प्रस्तावना है, वह मात्र प्रारम्भ है। पुस्तक के दूसरे खण्ड में कानून के स्रोतों का उल्लेख है, इसमें जीवन के चार आश्रमों का उल्लेख है, ये हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन के कर्तव्यों का उल्लेख है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी जीवन के कार्यों का उल्लेख है। वानप्रस्थ में व्यक्ति वन में निवास करता है और अंतिम आश्रम में संन्यास ले लेता है। पुस्तक के सातवें, आठवें और नवें खण्ड में विधि यानी कानून व्यवस्था की व्याख्या की गयी है। इस व्याख्या में कानून के स्रोतों, सामान्य राजनीतिक नियम, राजा के कर्तव्य, नागरिक और फौजदारी कानून का विवरण दिया गया है। दसवें खण्ड में जाति की उत्पत्ति उसके विकास और नियमों को दिया गया है। इस खण्ड में व्यापारी जातियों (वैश्य), निम्न जातियों (शुद्र) और अन्य जातियों का विवरण दिया गया है। पुस्तक के अंतिम भाग में सामान्य कानून, नैतिकता, भले और बुरे, उपहार, पाप-पुण्य, आदि का उल्लेख ग्यारहवें खण्ड में है। पुस्तक के अंतिम भाग में मनु ने यह बताया है कि भले और बुरे कार्यों का क्या भविष्य है और किस तरह से जन्म और मृत्यु से मोक्ष लिया जा सकता है। यह मोक्ष पुनर्जन्म से है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

मनु की यह सलाह है कि मनुष्य को अपने स्वयं के हितों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे प्रसन्नता देने वाले कार्यों से दूर रहना चाहिए। मनु कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसे काम की प्राप्ति करनी चाहिए और दुनियाँ के मोह-माया अर्थात् अर्थ का आनंद लेना चाहिए। यद्यपि मनुष्य को प्रसन्नता और सांसारिक प्राप्तियों को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य संसार से स्थायी मुक्ति पाना है। यह मुक्ति तभी संभव है, जब वह संन्यासी का जीवन बिताए। ऐसा करने के लिए उसे एक वनवासी की तरह जीवन बिताना चाहिए। वस्तुतः यह वानप्रस्थाश्रम की अवस्था है। इस आश्रम में वह गृहस्थाश्रम की अवस्था को छोड़कर प्रवेश करता है। यह आवश्यक है कि गृहस्थी के जीवन को पूरा करने के बाद ही वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है।

मनु ने चार वर्णों के अतिरिक्त अनुलोम व प्रतिलोम विवाह की चर्चा भी की है और यह चर्चा कई अन्य समाजिक समूहों की है। इसे वे जातियाँ कहते हैं, ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायों की हैं। प्रत्येक सामाजिक समूह अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म को करता है, व्यवसाय करता है और प्रत्येक व्यवसाय दूसरे व्यवसायों पर निर्भर होता है। इन

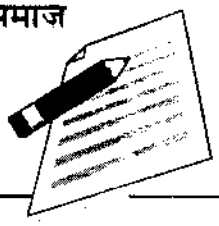

Notes

जातियों की पारस्परिक निर्भरता के कारण समाज में सामाजिक सुदृढता आती है। यह राजा का कर्तव्य है कि वह इस सुदृढता को लाने का प्रयास करे।

पाठगत प्रश्न 23.3

एक वाक्य में उत्तर लिखिए:

(1) दर्शनशास्त्र की छः व्यवस्थाओं को बताइए जो वेदों के प्राधिकार को बताती हैं।

---

(2) सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना समर्थन दिया था।

---

(3) जैन धर्म के दो सम्प्रदायों का नाम लिखिए।

---

(4) चन्द्रगुप्त मौर्य का पौत्र कौन था?

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(5) शैववाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं?

---

(6) उस सम्राट का नाम दीजिए जिसके संरक्षण में भारत में बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ।

23.5 वैष्णव आचार्य

हिन्दू धर्म में कई सुधार आंदोलन हुए हैं। मध्य युग की संस्कृति में वैष्णव आचार्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आम लोगों के लाभ के लिए इन आचार्यों ने सुधार की बात स्थानीय भाषा में की है। इन आचार्यों ने जाति के भेदभाव को नजरअंदाज किया है। उन्होंने अपने सम्प्रदाय में छोटी जातियों को भी स्वीकार कर लिया है। इन सुधारकों ने कर्मकाण्ड को स्वीकार नहीं किया है और इनका जोर नैतिकता तथा पवित्रता पर रहा है। रामानंद और चैतन्य जैसे आचार्यों को छोड़कर शेष अन्य आचार्यों ने मूर्ति पूजा और रहस्यवाद को स्वीकार नहीं किया है। रामानंद के शिष्य विभिन्न जातियों और वर्गों के रहे हैं।

रामानंद के शिष्यों में कबीर एक जुलाहा था। दादू एक पिंजारा था, तथा रविदास एक चमार था। इन वैष्णव आचार्यों ने कतिपय आचार्य विविध जातियों, वर्गों व धर्मों थे। धार्मिक सुधार आंदोलन में सबको समान दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया। इस सबके होते हुए भी कुछ समुदायों में जैसे कि हिन्दू और मुसलमान पृथक बने रहे।

23.6 सिख धर्म

नानक (1469-1539) के विचारों में एक ईश्वर की अवधारणा पुनर्जाग्रत हुई। वे सिख धर्म के संस्थापक थे। नानक का विश्वास था कि सच्चा ईश्वर तो एक ही है जिसका कोई नाम नहीं है। उनका विश्वास था कि ईश्वर और उसके अनुयायियों यानी जनता में किसी की मध्यस्थता नहीं है। नानक ने कर्मकाण्ड और संस्कारों को धर्म में महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि धर्म और लोगों के बीच में कोई पैगम्बर या पुरोधा नहीं है। उनका विश्वास एक स्वयं अस्तित्व रखने वाले कर्ता में था। इस कर्ता की प्रकृति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर की प्राप्ति चिन्तन और मनन से नहीं हो सकती, इसकी प्राप्ति तो विश्वास और भरोसे से हैं। नानक के विचारों पर भक्ति की जो विचारधारा है, उसके प्रभाव को हम यहाँ देखेंगे।

DIKSHANT IAS
Call Us @7428092240

23.7 19वीं शताब्दी की विचारधाराएँ

18वीं शताब्दी एक ऐसा युग था, जिस पर पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव था। इन दोनों के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आए। परिणामस्वरूप ब्रह्म समाज, आर्य समाज और थियोसोफीकल सोसाइटी की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के अन्त में रामकृष्ण परमहंस ने हिन्दू धर्म को एक स्पष्ट दिशा दी। रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने वेदान्त दर्शन को विकसित किया। इस अध्याय के अन्त में हम उनके योगदान की चर्चा करेंगे।

पाठगत प्रश्न 23.4

निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। सही कथन के आगे 'सही' और गलत कथन के आगे 'गलत' लिखिए:

(1) वैष्णव आचार्यों ने जाति के भेदभाव को नजरअंदाज किया। ( )

(2) रामानन्द के शिष्य उच्च जाति के ही थे। ( )

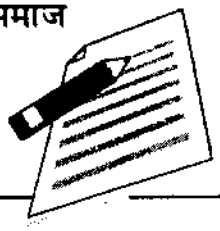

(3) र ोहित जाति के थे। ( )

(4) ग नानक उस धर्म के संस्थापक थे, जो बाद में सिख धर्म के नाम से जाना गया। ( )

(5) स्वामी राकृष्ण परमहंस के शिष्य धर्मदास थे। ( )

23.8 गौतम बुद्ध

बुद्ध की अवधारणा का आशय ज्ञानोदय से है। वह व्यक्ति जिसने जीवन के ज्ञान को समझ लिया है, उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ गौतम के उपदेशों से है। गौतम छठी शताब्दी ईसा पूर्व दक्षिण नेपाल के एक छोटे साम्राज्य के हिन्दू राजकुमार थे।

बौद्ध धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त यह है कि एक विशिष्ट जीवन पद्धति को प्राप्त करने पर मोक्ष (निर्वाण, निब्बान) अर्थात् आवागमन से मुक्ति पाना। इस मुक्ति को बौद्ध धर्म *चार महान् सत्य* कहते हैं। ये सत्य इस प्रकार हैं:

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

- मनुष्य के दुख का कारण उसकी तृष्णा एवं लोभ है। इसी के साथ मनुष्य का मोह और अविद्या है।
- जीवन दुख का कारण है।
- इच्छाएँ मनुष्य में इर्ष्या व क्रोध के कारण पैदा होती हैं और इससे दुख पैदा होता है। इन इच्छाओं को समाप्त करना मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है।
- इसलिए मनुष्य को उस रास्ते पर चलना चाहिए जो इच्छाएँ पैदा न करें। इसका कारण यह है कि यही सुख का एकमात्र रास्ता है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं।

क्योंकि मनुष्य में इच्छाएँ है, वे भाग्य के पहियों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म से बंधे हुए हैं। अपने जीवन के अंत में अधिकांश लोग इतनी अपूर्ण इच्छाओं से बंधे रहते हैं कि उनके शरीर को दूसरा जन्म लेना पड़ता है और दूसरी बार इच्छा एवं दुख की यात्रा पुनः हो जाती है। मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए मनुष्य को अष्टपथ पर पुनः चलना चाहिए। इस अष्टपथ का मतलब है – सही विचारधारा, सही अभिवृत्ति, सही वाणी, सही व्यवहार, जीवनयापन के सही साधन, सही उद्देश्य, मस्तिष्क पर सही नियंत्रण और सही मनन या चिन्तन। अष्टपथ का यह रास्ता व्यक्ति को अहंकार की अवस्था से उठाकर करुणा के रास्ते पर ले आयेगा। यह करुणा का रास्ता पुनर्जन्म की बेड़ियों से मुक्ति देगा। वृद्धावस्था नहीं आयेगी एवं मृत्यु का दरवाजा

बन्द कर देगी। बौद्ध धर्म में न तो धर्म की कोई अवधारणा है और न किसी वैयक्तिक ईश्वर की विचारधारा है। अष्टपथ के अतिरिक्त मनुष्य को निम्नलिखित पाँच सिद्धांतों को मानना चाहिए:

- जीवित प्राणियों को घायल करने से बचना चाहिए।
- उन वस्तुओं से अपने आपको दूर रखना चाहिए, जो आपको दी नहीं गयी हैं।
- काम से जुड़ी हुई इच्छाओं से अपने को दूर रखना चाहिए।
- किसी भी प्रकार के झूठ से, शब्द और क्रिया में स्वयं को दूर रखना चाहिए।
- संसार के सभी मौज-मजा, नशाखोरी तथा लालचीपन से स्वयं को बचाना चाहिए।

बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ब्रह्म विहार यानी ईश्वर सम्बन्धी वातावरण में अपने आपको रखना चाहिए। ब्रह्म विहार में रहने के चार नियम हैं:

- *सभी जीवों के प्रति दया की भावना:* बौद्ध धर्मावलम्बी को अन्य जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए।
- *करुणा:* एक बौद्ध यह जानता है कि उसकी तरह अन्य जीवावलम्बी है। उसका यह प्रयत्न होता है कि वह सभी जीवधारियों को मदद दें।
- *मुदिता :* बौद्ध धर्मी सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने सतत् यह कहा है: 'सभी को प्रसन्न रखो'।
- सभी को अपने मस्तिष्क में शान्त और स्वभाव में सरल होना चाहिए। (उपेक्षा एवं अपेक्षा): बौद्ध के मस्तिष्क को अशांत करने की कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। सभी ताकतवर संवेग हानिकारक है। वे लोग जो संवेगों से और संसार की मोह-माया से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें मौत का डर नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रबुद्ध व्यक्ति किसी से डरते नहीं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

23.9 कबीर, भक्ति परम्परा के एक संत

कबीर 15वीं शताब्दी के संत थे। हिन्दू व मुसलमान दोनों ही उनका सम्मान करते थे। यद्यपि उनकी जीवनी तथा जन्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, सभंवतया वे एक मुस्लिम जुलाहे के परिवार में पैदा हुए थे। उनके शब्द एक ऐसे मूल पाठ में संग्रहित हैं जिन्हें *बैजेक* कहते हैं। इन शब्दों में कुछ ऐसे हैं, जो सिखों के गुरुग्रन्थ साहिब में रखे गये हैं जिन्हें गुरु अर्जुन ने 1604 में गुरु ग्रन्थ में रखा है। उदार विचार वाले हिन्दू और मुसलमान कबीर को हिन्दू-मुस्लिम एकता का सूत्रधार मानते हैं। यह बात भी कही जाती है कि हिन्दू-मुस्लिम धर्म एक दूसरे के विपरीत नहीं है। कबीर ने लोगों

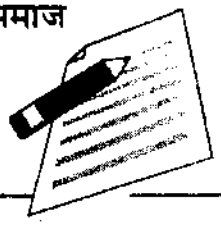

Notes

को कहा कि वे सत्य की खोज धार्मिक ग्रन्थों में नहीं करें। वे यह भी कहते हैं कि लोगों को योगिक क्रियाओं में ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। वे सरल और प्राकृतिक जीवन में विश्वास करते थे। किसी भी एक जुलाहे की तरह वे स्वयं करघे पर कपड़ा बुनते थे और इसे बाजार में बेचते थे। कबीर के लिए धार्मिक जीवन का मतलब आलस्य से भरा जीवन नहीं था। मनुष्य को काम करना चाहिए उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए कमाना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। धन का संचय नहीं करना चाहिए, यह इसलिए कि संचित धन भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। धन को हमेशा परभ्रमण करना चाहिए। कबीर की दृष्टि में इस संसार की अभिव्यक्ति सामान्य विचारों और लोगों की भाषा में है।

कबीर के विचारों में धर्म की अवधारणा वैयक्तिक ईश्वर की भावना से परे है। लोग उसे राम या खुदा क्यों न कहें। सभी ओर पायी जाने वाली जो वास्तविकता है, उसकी अभिव्यक्ति ही इन शब्दों में है। कबीर एक सतगुरु की तरह बोलते हैं और यह सतगुरु अपनी आत्मा के अन्दर से बोलता है। विभिन्न धर्मों में जो अन्तर है, वह केवल नाम का है। सच्चाई यह है कि सभी ओर लोग उस एक ईश्वर की ही खोज कर रहे हैं। कबीर इसी कारण पूछते हैं कि जब सबको एक ही ईश्वर की खोज है, तब उनमें झगड़े किस बात के। कबीर पवित्र कहे जाने वाले व्यक्तियों की आलोचना करते हैं, वे पिछड़े हुए लोगों के मसीहा हैं। उनके विचार सभी धार्मिक समूहों और ग्रन्थों में पाये जाते हैं। जब कबीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के मगहर कस्बे में मरने की अवस्था में थे, उनके हिन्दू और मुसलमान अनुयायी उनका दाह संस्कार उन्हीं के रीतिरिवाज से करना चाहते थे, कहते हैं कि कबीर एक तम्बू में विश्राम के लिए गये और वे स्वर्ग सिधार गए। मरते समय कबीर का शरीर तम्बू से ओझल हो गया तथा इस स्थान पर फूलों का एक ढ़ेर दिखायी देने लगा। फूलों के इस ढेर को दो भागों में बांट दिया गया। मुसलमान अनुयायियों ने इस भाग को मगहर में दफना दिया और हिन्दू अनुयायियों ने फूलों के ढेर को वाराणसी में कबीर चौराहे पर दाह संस्कार कर दिया। आज भी दोनों समुदायों के लोग कबीर का सम्मान सत्य के मसीहा के रूप में करते हैं। दोनों ही सम्प्रदाय उन्हें सार्वजनिक धर्म का प्रणेता मानते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428002240

पाठगत प्रश्न 23.5

निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए:

(1) बुद्ध की अवधारणा का क्या अर्थ है?

---

(2) बौद्ध धर्म में किसके उपदेशों को सम्मिलित किया गया है?

---

(3) एक बौद्ध को किस अष्टपथ के सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए?

---

(4) कबीर किस शताब्दी में आये?

---

(5) कबीर के गुरु कौन थे?

---

(6) गुरु ग्रन्थ साहिब का संकलन कब हुआ?

---

(7) किसने गुरु ग्रन्थ साहिब का संकलन किया?

---

(8) किस कस्बे में कबीर का देहान्त हुआ?

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

23.10 स्वामी विवेकानन्द

स्वामी विवेकानन्द नरेन्द्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को बंगाल के एक अभिजात कायस्थ परिवार में हुआ। नरेन्द्र नाथ एक तार्किकवादी के रूप में जाने जाते हैं वे किसी पर बिना वैध प्रमाण के स्वीकार नहीं करते थे। छोटी उम्र में वे केशवचन्द्र सेन के सम्पर्क में आए। सेन ब्रह्म समाज के सदस्य थे और वे केशव चन्द्र के उपदेशों से प्रभावित हुए। उनका कहना था, मनुष्य अपने स्वयं के प्रयत्नों से पूर्ण हो सकते हैं। नरेन्द्र नाथ ने ब्रह्म समाज के सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया लेकिन उन्होंने तपस्वी के मार्ग को नहीं अपनाया।

नवम्बर 1881 में नरेन्द्र नाथ का ब्रह्म समाज के महान् आचार्य दक्षिणेश्वर के मकान में संयोग से रामकृष्ण परमहंस (1836-1886) जो काली के भक्त थे का मिलना हुआ। इसके बाद नरेन्द्र नाथ रामकृष्ण के साथ मिलते रहे। वे बराबर परमहंस के आध्यात्मिक अनुभवों से संतुष्ठ नहीं थे। अन्त में एक बार रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से नरेन्द्र नाथ को एक अस्मरणीय अनुभव हुआ, यह गहन धार्मिक प्रशिक्षण रामकृष्ण की अप्रैल 1886 की मौत तक याद रहा।

नरेन्द्र नाथ ने संसार का त्याग कर दिया और वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इस अवधि में उन्होंने अध्यात्मिक स्थिति में बदलाव अनुभव किया और उसे वेदान्त दर्शन में लगा दिया। उन्होंने रामकृष्ण की भक्ति में अन्त:दृष्टि पैदा की। नरेन्द्र नाथ ने अपने इस धार्मिक मार्ग को बुद्ध और आधुनिक सुधारकों के साथ जोड़ दिया। नरेन्द्र नाथ में महत्वपूर्ण बदलाव 1893 में हुआ, जब शिकागो में हिन्दू धर्म के अखिल विश्व संसद की बैठक हुई।

शिकागो में अपने भाषण और यहीं पर हुए अन्य व्याख्यानों में विवेकानन्द ने पश्चिमी दुनियाँ को यह सुझाव दिया कि वे अपने सहयोग से हिन्दू धर्म को अधिक शक्तिशाली बनाएं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सभी धार्मिक सम्प्रदाय सही हैं लेकिन इन सम्प्रदायों की जननी हिन्दू धर्म है। संदेह और अविश्वास के सभी स्वरूप हिन्दू विचारधारा में हैं। विवेकानंद ने एक धार्मिक आन्दोलन को चलाया जिसके सिद्धान्त हिन्दू धर्म से लिए गये थे। उन्होंने पश्चिमी विधाओं के आधार पर न्यूयार्क में 1895 में वेदान्त समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं लंदन और बोस्टन में थी। विदेश में चार सफल वर्ष बिताने के बाद विवेकानन्द 1897 में भारत लौटे। उन्होंने यहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की। इस मिशन के आज विश्व में सैकड़ों केन्द्र हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

विवेकानन्द ने बाल विवाह का विरोध, तथा निम्न जातियों पर होने वाले शोषण का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गरीब अशिक्षित और रोगियों की सेवा समाज का आवश्यक तत्व है। विवेकानन्द ने कहा कि मनुष्य जाति की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने अपने धर्म को लोगों का सबसे बड़ा आधार मानते हुए, इसे व्यावहारिक वेदान्त के नाम से परिभाषित किया। उनका मिशन यूरोपीय समाज का था, इसका आधार भारतीय धर्म था। दूसरे शब्दों में, विवेकानंद ने यह प्रयास किया कि मनुष्य के विचार अध्यात्मिक और भौतिक हैं।

पाठगत प्रश्न 23.6

सही उत्तर पर (✓) चिन्ह और गलत पर (×) का चिन्ह लगाएं:

(1) स्वामी विवेकानंद का सांसारिक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। ( )

(2) स्वामी विवेकानंद जन्म से ब्राह्मण थे। ( )

(3) स्वामी विवेकानंद किसी भी विचारधारा को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब

तक कि उसका प्रमाण न हो। ( )

(4) रामकृष्ण परमहंस ने स्वस्थ हिन्दू धर्म के विचार को स्वीकार किया। ( )

(5) केशव चन्द्र सेन ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ( )

आपने क्या सीखा

- भारत में विभिन्न सामाजिक विचारों का विकास।
- इन विचारों के विकास का सर्वेक्षण सिन्धु नदी घाटी से आज तक किया है।
- भारतीय सामाजिक विचारधाराओं में मनु, चाणक्य, बुद्ध, कबीर और विवेकानंद ने जो योगदान किया है, उसका विश्लेषण।
- उपनिषद विभिन्न समयावधि में विद्वानों द्वारा सम्मिलित रूप से बनायी गयी कृतियाँ।
- प्रारम्भिक उपनिषदों के बाद में वैयक्तिक ईश्वर की अवधारणा, जिसकी भक्ति के साथ में उपासना होती थी।
- ईसा पूर्व 400 और 200 वर्षों के बीच में दर्शन की छः व्यवस्थाएँ आईं–न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदान्त।
- इतिहासकार चौथी शताब्दी को भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। इस समय से ब्राह्मणों के धर्म यानी हिन्दू धर्म ने महत्वपूर्ण स्थान पाया। धीरे-धीरे हिन्दू धर्म का स्थान महत्वपूर्ण होता गया और बौद्ध व जैन धर्म का पतन होने लगा।
- दूसरी शताब्दी के बाद से ही इसाई समुदाय भारत में पाया गया है।
- जरतुश्त धर्म के अनुयायी पारसी कहलाते हैं। ये पारसी भारत में 10वीं शताब्दी में आए।
- नानक (1469-1539) ने पहली बार एक ईश्वर की अवधारणा को पुनर्जीवित किया। नानक को सिख धर्म का संस्थापक मानते हैं।
- ब्रह्म समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 19वीं शताब्दी के अन्त में हुई। रामकृष्ण परमहंस ने हिन्दू धर्म को एक नई दिशा दी।
- मनु ने मनु संहिता, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति की रचना की।
- राजनीति के व्यवस्थित विचारों को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

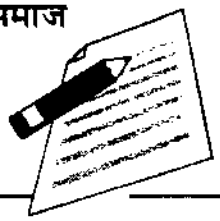

Notes

- बुद्ध का आशय ज्ञानोदय है। अर्थात वह व्यक्ति जिसने जीवन के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है।
- कबीर 15वीं शताब्दी के संत थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उन्हें आदर देते थे।
- नरेन्द्र नाथ का धार्मिक नाम स्वामी विवेकानंद था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल के एक अभिजात कायस्थ परिवार में हुआ था।
- नरेन्द्र नाथ ने ब्रह्म समाज के सुधार कार्यक्रम को अपनाया। लेकिन संन्यासी जीवन के विचार को स्वीकार नहीं किया।
- विवेकानंद का मिशन एक यूरोपीय समाज की स्थापना करना था, जिसका केन्द्र भारतीय धर्म था।

पाठान्त प्रश्न

(1) बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इस धर्म के महान् सत्य क्या थे? वर्णन कीजिए।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(2) कौन से धर्म भारत के बाहर से आए? इनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।

---

(3) मनुस्मृति में किन विचारों का वर्णन है? विवेचन कीजिए।

---

(4) कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन विषयों का उल्लेख है? अपने शब्दों में लिखिए।

---

(5) किस तरह कबीर निम्न वर्गों के लिए आदर्श बन गये? विवेचन कीजिए।

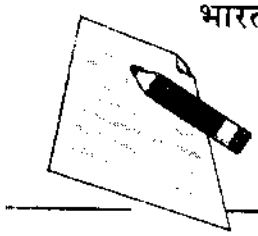

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

23.1

(1) मोहनजोदड़ो (2) हिन्दू धर्म (3) वेद (4) बलिदान
(5) उपनिषद (6) राजकीय (7) वर्धमान महावीर
(8) तीर्थंकर (9) अहिंसा (10) चार पुराण

23.2

(2) जैन धर्म (3) दिगम्बर, श्वेताम्बर
(4) सम्राट अशोक (5) शैवधर्म शिव की आराधना करता है
(6) इसाई धर्म, जरतुश्त, इस्लाम (7) पारसी
(8) सातवीं शताब्दी के अन्त में, 712 ई.
(9) अशोक

23.3

(1) सही (2) गलत (3) गलत
(4) सही (5) गलत

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

23.4

(1) मनुस्मृति (2) 2,685 (3) राजा
(4) कौटिल्य (5) चाणक्य और विष्णुगुप्त (6) मौर्य
(7) पन्द्रह (8) राजनीतिक अर्थव्यवस्था

23.5

(1) ज्ञानोदय (2) सिद्धार्थ गौतम
(3) सही विचार, सही दृष्टिकोण, सत्य बोलना, सही आचरण, जीवन के हेतु सही साधनों को अपनाना, सही मस्तिष्क नियंत्रण और सही मनन-चिन्तन
(4) 15वीं शताब्दी (5) रामानन्द
(6) 1604 (7) गुरु अर्जुन
(8) मगहर

23.6

(1) सही (2) गलत (3) सही
(4) गलत (5) गलत

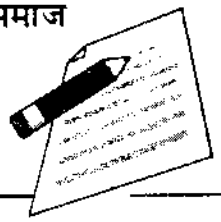

24

एकता और अनेकता

इस पाठ में आप भारतीय समाज के बुनियादी लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आपको कुछ अवधारणाओं को समझना होगा। ये अवधारणाएँ--संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, अनेकता, बहुलता और एकीकरण की हैं। भारत एक विशाल देश है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या एक अरब से थोड़ी ज्यादा है। यह देश वसुधैव कुटुम्बकम् पर आधारित है इसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल है। इसमें कई समुदाय और जीवन पद्धतियाँ हैं। मनुष्य की बसावट भारत में पाषाण-काल से हुई है। यह भू भाग कई समुदायों की धरोहर है और यहां की सांस्कृतिक परंपरा बड़ी धनाढ्य है। भारत में महान सभ्यता, जिसे सिन्धु घाटी सभ्यता कहते हैं को विकसित किया है। इस सभ्यता में गाँव और शहर की संस्कृतियों का नैरन्तर्य है। इससे आगे इस सभ्यता में ज्ञान का एक बहुत बड़ा सागर है, जिसे हम वेदों, उपनिषदों एवं महाकाव्यों के रूप में देखते हैं। इसने कई धर्मों, विभिन्न भाषाओं एवं विचारों को पैदा करने का वातावरण दिया है। यहाँ पर कई धर्म बाहरी देशों से आए हैं। इन धर्मों के माध्यम से कई धर्मावलम्बी एक दूसरे के साथ अन्त:क्रिया करते हैं और इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा सांस्कृतिक ताना-बाना बनता है, जिसके लक्षण अनवार्य रूप से भारतीय हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428002240

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- भारतीय समाज के लक्षणों का विश्लेषण जान सकेंगे;
- क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृति और जातीय विविधता की जानकारी प्राप्त करेंगे; और
- प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत के समाजिक-सांस्कृतिक एकता को समझेंगे।

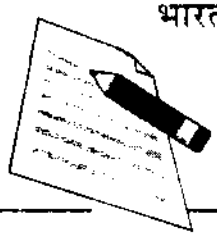

Notes

24.1 भारतीय समाज के लक्षण

हमारे समाज को एक परम्परागत और अध्यात्मिकता पर आधारित समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा भौतिक उन्नति को कम महत्व दिया जाता है। वर्तमान में वस्तुएँ तीव्र गति से बदल रही हैं, आज हम प्रजातान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा आधुनिक राष्ट्र के रूप में निरन्तर अग्रसर हो रहे हैं। निर्विवाद रूप से हिन्दू जीवन पद्धति जिसमें सहनशीलता, अहिंसा जैसे विचारों ने राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप दिया है। वहीं विभिन्न धर्मों– जैसे इस्लाम, इसाई और पाश्चात्य समाज के प्रभाव के बावजूद भारतीय जीवन पद्धति निरन्तर रूप से चल रही है।

परम्परागत हिन्दू समाज का विश्वास प्रदत्त प्रस्थिति में रहा है। पुरुषार्थ की अवधारणा इस समाज में जीवन को मार्गदर्शन देती रही है।

इस जीवन के पुरुषार्थ से तात्पर्य–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। जीवन के इन चार उद्देश्यों को विचारकों ने चार आश्रमों में बांटा है। ये आश्रम हैं– ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।

इन चार आश्रमों के अतिरिक्त ऋण की अवधारणा भी है, यह ऋण ईश्वर को चुकाना होता है। इन ऋणों की पूर्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करके की जाती है। इसके अतिरिक्त कर्म भी होते हैं, जो मुख्य रूप से पुनर्जन्म से जुड़े होते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

ये सभी ऋण आदर्श रूप में अधिक पाये जाते हैं और व्यवहार में कम। अगर हम आज परम्परा को देखें तो पता लगेगा कि आज भी ये परम्पराएँ देखने को मिलती हैं। इन परम्पराओं को कर्मकाण्ड के रूप में किया जाता है। व्यवहार में इनका स्वरूप लचीला होता है। ये कर्मकाण्ड या संस्कार केवल हिन्दुओं में ही नहीं अपितु अन्य समुदायों में भी देखे जा सकते हैं। धर्म निरपेक्ष सिद्धांत हिन्दुओं के साथ-साथ अन्य सभी समुदायों में भी देखने को मिलते हैं। वर्तमान में होली, दीपावली, दशहरा, ईद, ईदुल जुहा, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, गुरु नानक जयन्ती, महावीर जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा आदि त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाये जाते हैं। इनकी तुलना स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस से भी की जा सकती है। आधुनिक भारत में ये सब त्यौहार मनोरंजन के लिए ही मनाए जाते हैं।

भारत में सभी नृत्य, संगीत, चलचित्र, खेलकूद, दर्शन, खगोलशास्त्र इत्यादि पाये जाते हैं। भरतनाट्यम, कुचीपुडी, कत्थकली, ओडीसी, मणीपुरी, मोहिनी अट्टम, कत्थक और अनेक लोक-नृत्य जैसे भांगड़ा, गरबा इत्यादि एक वैश्विक घटना के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं।

पश्चिमी देशों में योग और अनुभवातीत चिन्तन की बहुत बड़ी मान्यता है, इसीलिए महर्षि योगी ने न्यूयार्क में पहला वैदिक शहर बनाया है। आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान

है और जो वनस्पतियों के माध्यम से रोग का निदान करता है, उसने दूर-दूर तक विश्व को प्रभावित किया है, इस तरह अपनी भारतीयता को बनाए रखकर हम आधुनिक विश्व में आगे चल रहे हैं। हमारी आधुनिकता केवल पश्चिम की नकल मात्र नहीं है लेकिन स्थानीय परम्परा (जैसे कि संवेगात्मक परिवार के बन्धन, आध्यात्मिकता एवं वैकल्पिक चिकित्सा) और आधुनिकता के रूझान वाले युक्तायुक्त दृष्टिकोण का मेल है। हमारे यहाँ से लगभग 6 भारतीयों ने नोबल पुरस्कार लिया है। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वान हैं– रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सी. वी. रमन, एस. चन्द्रशेखर, मदर टेरेसा, एच. सी. खुराना एवं अमृत्य सेन आदि। इन कपितय भारतीयों के अतिरिक्त कुछ ने अन्तर्राष्ट्रीय बुकर तथा अन्य पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

24.2 प्रकृति तथा अनेकता का विस्तार

भारत में प्रजाती, धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति की विविधता है। समाजशास्त्री कहते हैं कि भारत की एकता राजनीतिक-भौगोलिक और सांस्कृतिक है। विविधता बनी हुई है लेकिन साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक मुख्यधारा भी विद्यमान है। अनुमानत: भारत में 4,635 समुदाय हैं। इन समुदायों में 751 अनुसूचित जातियाँ हैं और 461 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं। ये अनुसूचित जातियाँ नागालैण्ड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में नहीं पायी जाती। अनुसूचित जनजातियाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, गोवा, पाण्डीचेरी में नहीं मिलती। भारत के सभी राज्यों में बहुत बड़ी सीमा तक विविधता मिलती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

जैसा कि आप जानते हैं कि सिन्धु घाटी सभ्यता विश्व की जानी-पहचानी सभ्यता है। इस सभ्यता का एक भाग पाकिस्तान में भी है। सिन्धु घाटी में जहाँ बहुत बड़ी भौतिक संस्कृति है, वहाँ कई प्रकार की कलाएँ एवं कारीगरी है। इस सभ्यता में योजनाबद्ध बसे हुए शहर थे और पानी निकासी की व्यवस्था थी। बन्दरगाह से जुड़े हुए शहर कृषि और धार्मिक संगठन की व्यवस्था भी थी। इस सभ्यता की लिपी भी है, जिसको समझना संभव नही हुआ है।

पाठगत प्रश्न 24.1

निम्न में से गलत व सही छांटिए:

(1) सिन्धु घाटी सभ्यता आंशिक रूप से बांग्लादेश में पायी जाती है। ( )

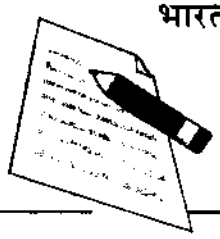

Notes

(2) अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं। ( )

(3) भारत में लगभग 600 अनुसूचित जातियाँ पायी जाती हैं। ( )

(4) सिन्धु घाटी सभ्यता की लिपी पढ़ी जा चुकी है। ( )

24.2.1 धर्म

भारत में धार्मिक विविधता भी है, यहाँ आठ बहुत बड़े धार्मिक समुदाय हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दू बहुसंख्यक हैं यानी 83 प्रतिशत हैं। इनके बाद मुसलमान (11.8%), इसाई (2.6%), सिख (2%), बौद्ध (0.7%), जैन (0.4%), पारसी (0.3%) और यहूदी (0.1%) हैं। इन आठ धार्मिक समुदायों के अतिरिक्त कुछ आदिवासी समुदायों के अपने स्वयं के धर्म हैं। इनके अपने देवी-देवता और कर्मकाण्ड हैं। आठ बड़े धर्मों के अतिरिक्त, हिन्दू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और आदिवासी धर्म, जहाँ इस्लाम, इसाई, पारसी और यहूदी भारत में बाहर से आये हैं। सभी आठ धर्म आगे चलकर विभिन्न सम्प्रदायों में बंट जाते हैं। हिन्दू कई प्रकार की देवी-देवताओं को पूजते हैं। मोटे रूप में उपासना करने वाले ये भक्त वैष्णव, शैव, शाक्त, (काली, दुर्गा) आदि हैं। इसके अतिरिक्त गुरु, संत जैसे कि शिवानंद, चिन्मयानंद, आनंद माई आदि भी पूजे जाते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि भी हिन्दू धर्म के भाग हैं। इस भाँति हिन्दू धर्म एक ऐसा विशाल केनवास है, जिसमें सभी प्रकार के भक्त हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

मुसलमान दो बड़े समूहों में बंटे हैं– शिया और सुन्नी। इन दो समूहों में सुन्नी बहुसंख्यक हैं। इसाई दो बड़े भागों में बँटे हैं– कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट। दूसरी ओर बौद्धों में दो भाग हैं– महायान और हीनयान। इन दोनों का अन्त वैचारिक है। जैन धर्म के दो भाग हैं– दिगम्बर और श्वेताम्बर। जैन और बौद्ध धर्म ब्राह्मणों के प्रभुत्व और जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं। पारसी और यहूदी धर्म को मानने वाले छोटे समुदाय हैं। पारसी अधिकांशत: महाराष्ट्र व गुजरात में मिलते हैं। इन धर्मावलम्बियों ने देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। (उदाहरण के लिए, जमशेद जी नासेरबान जी टाटा, ये टाटा और गोदरेज कम्पनियों के संस्थापक थे)। यहूदी विशेष करके महाराष्ट्र व केरल में मिलते हैं। सिख धर्मावलम्बी पंजाब में मिलते हैं। विभाजन के बाद सिखों का फैलाव सारे देश में हो गया है, इनकी गुरुद्वारा और लंगर सबको मुफ्त में भोजन की उदार परम्परा सम्पूर्ण भारत की विशेषता हो गयी है। (गुरुद्वारा सम्पूर्ण भारत के कस्बों, शहरों और बड़े गाँवों में मिलते हैं)।

24.2.2 भाषा

भारत में भाषाई विभिन्नता पायी जाती है। यहाँ कई भाषाएँ/बोलियाँ बोली जाती हैं।

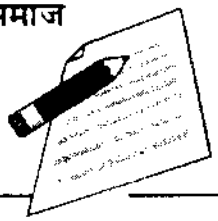

इस देश में 544 भाषाएँ थी, जबकि अधिकांश की लिपियाँ नहीं थी। हाल में भारत में चार भाषा परिवार हैं: अण्डमान की भाषा, आस्ट्रो-एशियोटिक, द्रविड़, इण्डो-आर्यन और तिब्बत-बर्मन। संस्कृत भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है। लगभग सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में जहाँ-तहाँ संस्कृत के शब्द मिलते हैं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 19 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएँ हैं: असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकंणी, मलयालम, मणीपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलगु और उर्दू। ये भाषाएँ राजकीय भाषाएँ हैं। यानी इन भाषाओं को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में राज्य के कार्यालय के कामकाज में जो त्रिभाषी फोर्मूला काम में लिया जाता है, वे भाषाएँ हैं– हिन्दी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा। इन सभी भाषाओं में हिन्दी को (48%) लोग बोलने वाले हैं। इसके बाद बोली जाने वाली भाषाएँ– बंगला, तेलगू, मराठी, (प्रत्येक भाषा के बोलने वाले 8 प्रतिशत हैं।) तमिल और उर्दू (8%), गुजराती (5%) मलयालम, कन्नड़ व उड़िया (4%), पंजाबी के 3 प्रतिशत हैं और अन्य भाषाओं में असमी तथा कश्मीरी प्रत्येक के एक-एक प्रतिशत हैं।

24.2.3 जाति

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

जाति व्यवस्था भारत में बेजोड़ है, मूल रूप से यह हिन्दुओं में पायी जाती है। इसका प्रारम्भ वर्ण व्यवस्था यानी वैदिक युग (लगभग 1500 ई. पू. से 1000 ई. पू. तक) से है। हिन्दुओं में चार वर्ण थे–ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शुद्र। ये वर्ण मोटे रूप से व्यवसाय के चार स्तरों से जुड़े थे, जो पवित्र और अपवित्र में बंटे हुए थे। पवित्र, आपवित्र की यह अवधारणा व्यवसाय, भोजन की आदतें, पहनावा और भाषा से जुड़े होते थे–बाद के अध्यायों में इनका हम विस्तृत उल्लेख करेंगे। वैदिक काल में अस्पृश्यता का कोई अस्तित्व नहीं था। बाद के वैदिक युग में (लगभग 1000 ई.पू) यह अस्तित्व में आयी तथा बाद के व्यवसायों में विभिन्न जातियों की विभिन्नता पायी गई। आज लगभग 3500 जातियाँ हैं, जिनमें से 751 अनुसूचित जातियाँ हैं। जाति व्यवस्था ने आर्थिक सहयोग की एक सहयोगी व्यवस्था को जन्म दिया। यजमानी व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था को बनाया। इसका मतलब हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं का विभिन्न जातियों में आदान-प्रदान। यह व्यवस्था यजमान व्यवस्था का एक स्वरूप है। संरक्षक को यजमान मानते हैं। यह एक भूस्वामी हो सकता है। सेवा करने वाला कमीन कहलाता है। कमीन यजमान को अपनी सेवाएँ देता है। सेवाओं में खाद्य सामग्री, निवास का स्थान, मुफ्त भोजन, कोर्ट-कचहरी में सहायता कुल मिलाकर जाति व्यवस्था यजमान-कमीन व्यवस्था कहलाती है। आज यह व्यवस्था धीरे-धीरे लुप्त

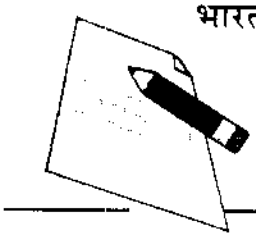

Notes

होती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में जाति व्यवस्था खत्म हो रही है। संविधान की दृष्टि में जाति व्यवस्था को कोई सरकारी मान्यता नहीं है।

पाठगत प्रश्न 24.2

(1) विश्व के धर्मों में कौन से धर्म भारत में पाये जाते हैं?

---

(2) हिन्दुओं को बहुसंख्यक समुदाय क्यों कहा जाता है?

---

(3) संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सम्मलित की गयी हैं?

---

(4) भारत में कितने वर्ण हैं?

---

(5) जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं?

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

24.3 एकता का इतिहास एवं परम्परा

भारत के प्राचीन, मध्यकालीन आधुनिक युगों में हमें एक सांझा संस्कृति की एकता दिखायी देती है। दूसरे शब्दों में, भारत के किसी भी ऐतिहासिक काल में सांझा संस्कृति यानी मिली-जुली संस्कृति रही है। यह मिली-जुली संस्कृति ही अखिल भारतीय संस्कृति रही है। इसने सांस्कृतिक मुख्य धारा को विकसित किया है। परिवर्तन होते हुए भी इस संस्कृति की मुख्यधारा में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। राजनीतिक व्यवस्था कैसी भी हो, इस सांस्कृतिक व्यवस्था ने बराबर अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखी है। क्षेत्र के स्तर पर कई राज्यों और साम्राज्यों के बीच में इस देश में युद्ध हुए हैं लेकिन इस सांस्कृतिक एकता में कहीं कमी नहीं आयी है। चक्रवर्ती राजा और अश्वमेध यज्ञ की अवधारणा ने राजनीतिक एकता को बनाए रखा है। कई राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक विकसित कर दिया। कनिष्क, खखेला, अशोक

समुद्रगुप्त आदि राजाओं के नियंत्रण में विशाल साम्राज्य थे। हम सभी अशोक को महान् कहते हैं। उसका राज्य पाटलीपुत्र तक था। उसने कलिंग पर विजय पाई। कलिंग की लड़ाई में अशोक ने खूब खून-खराबा किया और बाद में वह बौद्ध बन गया। दक्षिण में यथा चोल, चेरा, पाण्ड्य रसत्रकूट, चालुक्य, पल्लव, विजयनगर और शुंग, कुषाण, गुप्त आदि ने स्थानीय संस्कृतियों को विकसित किया। इन राजाओं ने बड़े राज्य स्थापित किये। इनके संरक्षण के कारण मंदिरों का निर्माण हुआ और इस निर्माण ने दक्षिण भारत को एक गौरवपूर्ण स्थान दिया।

मध्यकाल में भी इस्लाम ने भारतीय संस्कृति में प्रवेश किया। बंगाल, लखनऊ, हैदराबाद शहरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी मुस्लिम संस्कृति तथा भारतीय परम्पराओं में अच्छा मेलजोल हुआ। इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ था। यह एक ईश्वरवादी है और इस धर्म में कोई सोपाना व्यवस्था नहीं है। इस्लाम के जो प्रभाव हिन्दू परम्पराओं पर पड़े हैं, उन्हें तीन स्तरों पर देखा गया है। इन्हें हम इस तरह रखेंगे (1) मुस्लिम प्रशासन के समय पड़ने वाले प्रभाव (2) ब्रिटिश प्रशासन काल में पड़ने वाले प्रभाव, और (3) 1930-1947 के बीच में पड़ने वाले प्रभाव। ये प्रभाव ऐसे थे, जिन्होंने संघर्ष और तनाव को बढ़ाया तथा सांस्कृतिक अनुकूलन को जन्म दिया। अकबर के दीन इलाही धर्मों में कई धर्मों का मिश्रण मिलता है, जिसने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश काल में कई सामाजिक सुधार हुए, जिन्होंने हिन्दुओं से प्रभावित किया। अब इस्लाम का प्रभाव कम हो गया तथा धीरे-धीरे इस्लाम की परम्परा राजनीति की ओर जुड़ गयी। अन्त में, तीसरी अवस्था में पहुँचकर यानी स्वतन्त्रता आंदोलन के बाद में हिन्दुओं और मुस्लमानों में दो अलग राज्य बनने की अवधारणा ने जन्म दिया। परिणामस्वरूप पाकिस्तान का अस्तित्व सामने आया।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन ने भारत में पाश्चात्य, संस्कृति से परिचय कराया। बैंकिग व्यवस्था, प्रशासन, सैनिक संगठन, आधुनिक चिकित्सा इत्यादि ने भारत में कुछ परिवर्तन पैदा किये। पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था ने वैश्विक दृष्टिकोण मुख्य रूप से तार्किक और धर्मनिरपेक्षता की भावना को लोगों में पैदा किया। भौतिक विकास के संदर्भ में पाश्चात्य विज्ञान, तकनीकी, यातायात और संचार ने लोगों के जीवन स्तर को उच्च किया। उद्यमशीलता की भावना ने भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के पथ पर अग्रसर किया। सरकार का प्रजातान्त्रिक स्वरूप, वयस्क मताधिकार और मानवाधिकार इत्यादि ने भारत को विश्व की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाया। इस प्रकार प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में सांस्कृतिक एकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

पाठगत प्रश्न 24.3

कोष्ठक में दिये गये शब्दों में से उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:

(1) भारतीय राजा.....क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे। (सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक)

(2) अशोक ने ..... राज्य को जीता। (पाटलीपुत्र, कलिंग, विजयनगर)

(3) भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर..... का प्रभाव है। (ब्रिटिश, मुस्लिम और फ्रेंच)

(4) चोल, चेरा और पाण्ड्या..... भारत के भाग हैं। (दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर)

24.4 एकता की प्रक्रिया

भारत में एकता की प्रक्रिया को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है: (1) अन्तर्निहित एकता, और (2) चुनौतीपूर्ण एकता। चुनौतीपूर्ण एकता तब आई जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ। इस अवसर पर निहित स्वार्थों ने यानी साम्प्रदायिक ताकतों ने एकता को खतरे में डाल दिया। परिणामस्वरूप हिन्दुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति संदेह और असहनशीलता की भावना पैदा हुई। इस तरह की संघर्षात्मक स्थिति राष्ट्र निर्माण में सहयोगी नहीं होती। यह अवस्था ऐसी होती है, जब हमें जन जागृति करनी होती है और उपयुक्त शिक्षा के कार्यक्रम चलाने होते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। एकता का आशय सात्मीकरण से हैं। तात्पर्य है कि जैसे सिक्कों को ऊँचे तापमान में गला देना। सभी संस्कृतियों को सांझा संस्कृति के रूप में बदल देना। यह समाज बहुलतावादी है। ये तीनों अवधारणाएँ पश्चिम की विचारधारा से आई हैं। पश्चिम में अमेरीका की संस्कृति को पिघलने वाली संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इसमें होता यह है कि समाज में संस्कृति अपनी स्वायत्ता तो रखती है लेकिन वह सिक्कों के पिघल जाने की तरह अपना अस्तित्व भी खो देती है, ऐसी संस्कृति सांझा संस्कृति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यह सांझा संस्कृति ही राष्ट्रीय संस्कृति है। विभिन्न संस्कृतियों की पृथक पहचान खो जाती है और एक मिली-जुली संस्कृति का स्वरूप ले लेती है। इस तरह की मिली-जुली संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियाँ सह-अस्तित्व को रखकर के राष्ट्रीय पहचान बनाये रखते हैं। यद्यपि सांस्कृतिक विभिन्नता तो रहती ही

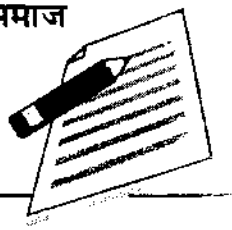

है। भारत के संदर्भ में अभी यह सांझा संस्कृति पैदा करने में सफल नहीं रहा है। अस्तु, यहाँ का बहुल सांस्कृतिक पर्यावरण अपने बुनियादी तत्वों में जैसे कि भोजन की आदतें, संस्कृति, पहनावा, भाषा, क्षेत्रीयता, धर्म आदि बहुलता को बताते हैं। यहाँ एक राजनीतिक सांझा संस्कृति है।

सच्चाई यह है कि भारत में सांझा संस्कृति के होते हुए भी एक स्पष्ट राष्ट्रीय पहचान है। एकीकरण की प्रक्रिया हमें बताती है कि हमारे यहाँ महान् लक्ष्य है। इसका आशय है, एक राष्ट्रीयता को प्राप्त करना और विभिन्न संस्कृतियों की स्वायत्ता के होते हुए भी एक सांझा संस्कृति को बनाना। यह सांझा संस्कृति भारतीय संस्कृति की मुख्यधारा है। यह संस्कृति एक वटवृक्ष की तरह विशाल है, इसकी शाखाएँ वृक्ष को बनाए रखती हैं। भारत की सांझा संस्कृति की उप संस्कृतियाँ, बंगाली संस्कृति, उड़िया संस्कृति, दक्षिण भारतीय संस्कृति, अवधि संस्कृति आदि हैं।

कई शताब्दियों तक विभिन्न धर्म हमारे यहाँ शांतिपूर्वक रहे हैं। कई ग्रामीण अध्ययन जो समाजशास्त्रियों ने किये हैं, उनके अनुसार गाँवों में मुसलमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के रूप में रहते हैं। द्वारका के बारे में जो मौलिक द्वारका है, यह कहा गया है:

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

- गुजरात के मूलरूप में जो द्वारका है, हिन्दुओं के चार धार्मिक केन्द्रों में से पाँच कब्रें पायी जाती हैं। हिन्दू और मुसलमान इन कब्रों को हिन्दू पंचवीर कहते हैं तथा इस पर हरी चादर चढ़ाई जाती है। पाँच बहादुरों पर पीली चादर चढ़ाई जाती है।
- गाँवों में कई स्थानीय मुस्लिम देवी-देवता हैं जिनके अनुयायियों में हिन्दू और मुस्लिम दोनों हैं। इनके दृष्टान्त स्वरूप दिल्ली के सैयद बाबा हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में दैव शरीफ हैं। इसी तरह राजस्थान में अजमेर शरीफ हैं।

हिन्दू समाज के महान् धर्मों में चार धाम हैं। ये चार धाम उत्तरांचल में बद्रीनाथ है, पश्चिम गुजरात में द्वारका, दक्षिण के तमिलनाडु में रामेश्वरम् और पूर्व, उड़ीसा में पुरी हैं। ये सभी धाम देश की महानता को बताते हैं। ये सभी धाम ही हमारा भारत हैं। शिवलिंग या ज्योर्तिलिंग देश में बारह हैं। इन लिंगों में आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति हैं, असम में कामख्या पीठ, बिहार में गया, जम्मू में वैष्णो देवी तथा राजस्थान में पुष्कर है। ये लिंग देश के लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं। सत्य सांई बाबा पुट्टी पुरथी में हैं। सांई बाबा शिरडी महाराष्ट्र में हैं। इसी तरह पाण्डेचेरी में भीम्मा है। वास्तुकारी के आश्चर्यों में आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, एवं जमा मस्जिद हैं। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, हैदराबाद का चार मीनार कई पर्यटकों को अपनी ओर

आकर्षित करते हैं। इस भाँति भारत की एकता केवल राजनीतिक और भौगोलिक ही नहीं, सांस्कृतिक भी है।

पाठगत प्रश्न 24.4

निम्नलिखित का मिलान कीजिए:

(1) अजमेर शरीफ	लखनऊ
(2) इमामबाड़ा	उड़ीसा
(3) सिन्दी	आन्ध्र प्रदेश
(4) कन्याकुमारी	राजस्थान
(5) पुरी	तमिलनाडु

आपने क्या सीखा

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

- इस पाठ में आपने भारत जैसे महान् देश की एकता व अनेकता के बारे में सीखा है।
- धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति, समुदाय आदि की विभिन्नता के होते हुए भी भारत अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक संगठित राष्ट्र रहेगा।
- इतिहास बताता है कि भारत में एकता की यह प्रक्रिया विभिन्न राज्यों ने वास्तु और सांस्कृतिक परम्परा को बनाए रखकर की है।
- हमारी सांस्कृतिक एवं भाषा सम्बन्धी विरासत को अखिल भारतीय फ्रेम-वर्क में ढाल रखा है।
- सारा विश्व अब यह मानने लगा है कि भारत में कई क्षेत्रों में पश्चिमी देशों की संस्कृति की नकलमात्र ही नहीं की है, उसने अपनी भारतीयता को बनाए रखा है।

पाठान्त प्रश्न

(1) विभिन्न में एकता से आप क्या समझते हैं?

---

(2) धर्म के अर्थ में भारत में कौन सी विभिन्नताएँ हैं?

---

(3) मेल्टिंग पोट (घरिया) की अवधारणा को संक्षेप में बताइए।

---

(4) विभिन्न समुदायों में सह-अस्तित्व के प्रकृति की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

---

(5) भारत में एकता कैसे बनाए रखी जाती है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

24.1

(i) गलत

(ii) सही

(iii) गलत

(iv) सही

(v) गलत

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

24.2

(i) आठ

(ii) भारत में हिन्दू 83 प्रतिशत हैं।

(iii) अठारह

(iv) चार

(v) विभिन्न जातियों के बीच वस्तु तथा सेवा का आदान-प्रदान

24.3

(i) सांस्कृतिक

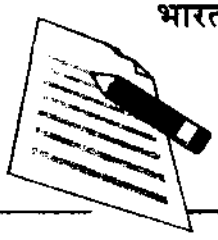

(ii) कलिंग

(iii) ब्रिटिश

(iv) दक्षिण

24.4

(i) राजस्थान

(ii) लखनऊ

(iii) आन्ध्र प्रदेश

(iv) तमिलनाडु

(v) उड़ीसा

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

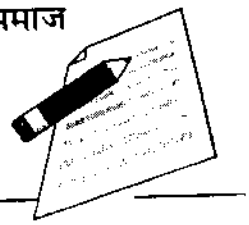

25

राष्ट्रीय एकीकरण : अवधारणा और चुनौती

जब आप किसी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन-पत्र भरते हैं या किसी नौकरी के लिए फार्म भरते हैं, वहाँ लिखना पड़ता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है? इस स्थान पर हम 'भारतीय' शब्द लिखते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि भारत हमारा देश है और हमारी राष्ट्रीयता 'भारतीयता' है। हमारा राष्ट्र केवल एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, अपितु यह लोगों की एक ऐसी इकाई है, जिनके ये संवेग हैं कि हम एक ही देश के नागरिक हैं। जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है, तब हम सब एक होकर इन विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध लड़ते हैं। अपने तरीके से हम अपने देश की सहायता करते हैं और ऐसा करने में हम क्षेत्रीयता, भाषा, धर्म और सम्प्रदाय का विचार नहीं करते। इस भाँति हम राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक विश्वास है, जो हमें प्रगति और सामाजिक विकास में मदद देता है। हमारा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय एकीकरण के सामने वाम आतंकवाद एवं चरम पंथी चुनौतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्रीयवाद, साम्प्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद और भाषावाद की चुनौतियाँ राष्ट्रीय एकीकरण के सामने मुँह बायें खड़ी हैं। इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्र से हमारा क्या आशय है और राष्ट्रीय एकीकरण से हम क्या समझते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की कौनसी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

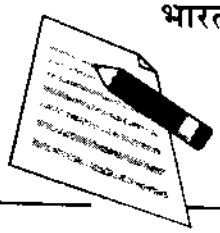

उद्देश्य

इस पाठ को पढने के बाद आप:

- राष्ट्र की परिभाषा तथा राष्ट्रीय एकीकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे;
- साम्प्रदायिकता की अवधारणा को समझ सकेंगे;
- क्षेत्रवाद की अवधारणा को जान पायेंगे;
- भाषावाद की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे; और
- राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियों से परिचित हो सकेंगे।

25.1 राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा

राष्ट्र और राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को समझने से पहले हमें इन दोनों पदों को परिभाषित करना चाहिए।

राष्ट्र एक देश है, जिसमें समाजिक एवं राजनीतिक चेतना जुड़ी होती है। जिसमें विभिन्न लोग मिलकर एक होने की भावना व्यक्त करते हैं। यह एक होने की भावना समान इतिहास, समाज, सम्मिलित मूल्य और संस्कृति के आधार पर होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक होने की भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में बांधती है।

DIKSHANT IAS
Call Us @7428092240

भारत एक राष्ट्र है। यह एक जमीन है, जो विभिन्न समुदायों के निवास से बनी है। ये लोग विभिन्न धर्मों और भाषाओं को बोलते हैं। इन लोगों की जीवन पद्धति विभिन्न है लेकिन इन सब धार्मिक, भाषाई विभिन्नताओं के होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं। *हम सब* एक हैं कि भावना आर्थिक-राजनीतिक पारस्पारिकता के कारण है।

राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक पहलू है। यह पहलू सामाजिक-आर्थिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं या गैर बराबरी को कम करती हैं और राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ता को बढ़ाती है। इस तरह की सुदृढ़ता किसी प्राधिकार के द्वारा दबाव नहीं डालती। वास्तव में लोग विचारों, मूल्यों तथा संवेगात्मक तत्वों में भागीदारी करते हैं। यह एक ऐसी भावना है, जो विभिन्नता में एकता लाती है। हमारे लिए राष्ट्रीय पहचान सर्वोत्तम है। हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाले तत्वों में समान आर्थिक समस्याएँ कला, साहित्य, राष्ट्रीय उत्सव राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र गीत आदि हैं।

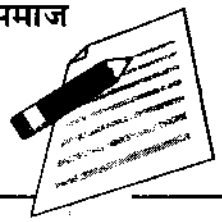

Notes

पाठगत प्रश्न 25.1

कोष्ठक में दिये गये उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

(1) राष्ट्र एक देश है, जिसमें .....सामाजिक और राजनीतिक संरचना होती है। (एकीकृत/अएकीकृत)

(2) एक राष्ट्र के लोगों में ..... विश्वास और अपनापन होता है। (सामान्य/असामान्य)

(3) राष्ट्रीय एकीकरण ..... चेतना पैदा करती है। (सामाजिक-राजनीतिक/ आर्थिक-राजनीतिक)

(4) राष्ट्रीय एकीकरण में ..... की भावना होती है। (विभिन्नता में एकता/एकता में विभिन्नता)

(5) राष्ट्रीय एकीकरण में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के सामने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को ..... है। (स्वीकारता/छोड़ देता)

25.2 साम्प्रदायिकता

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

साम्प्रदायिकता का आशय अपने समुदाय को दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ समझना है, यहाँ तक कि देश से ऊँचा समझना है। आप जानते हैं कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में पूजा तथा प्रार्थना के लिए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं हिन्दू दुर्गा पूजा, दीपावली व रामनवमी मनाते हैं। आपने ईद, बकरीद तथा रमजान को मनाते हुए लोगों को देखा होगा। सिख गुरु पूर्णिमा को गुरुपर्व और इसाई बड़े दिन को मनाते हैं। आपने तीर्थों को देखा है, जो भगवान बुद्ध की आराधना के लिए होते हैं। इससे आप जान गये होंगे कि हमारे देश में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। हमारे देश में इन त्यौहारों और अवसरों को सरकारी उत्सव घोषित किया गया है। इस बात में कोई हानि नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, वह कोई कम निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है परंतु कठिनाई इस बात में है कि लोग अपने समुदाय को भूलकर दूसरे समुदायों से श्रेष्ठ समझते हैं। साम्प्रदायिकता पद हमेशा नकारात्मक, विध्वंसात्मक और हानिकारक अर्थ में लिया गया है। जिसको कुछ लोग धार्मिक कट्टरवाद और रूढ़िवाद मानते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

दुर्भाग्यवश, हमारे देश ने कुछ बुरे दृश्य देखें हैं। ये बुरे दृश्य कई अवसरों पर देखने को मिलते हैं। इन्हें हिन्दू और मुस्लिम समुदायों में ही नहीं देखा जा सकता। देश के

विभाजन के समय (1946-47) न केवल हिन्दू-मुसलमान समुदायों में दंगे हुए। ऐसे अवसर दूसरे समय भी देखने को मिले हैं। सन् 1984 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद भी हिन्दू-सिख के बीच में दंगे हुए। इसके बाद सन् 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंश हुआ, तब भी हिन्दू-मुसलमानों के बीच दंगे हुए। हाल के दंगे जो सन् 2002 में गुजरात में हुए उन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को बदरंग किया है।

जब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, तब हम अपनी राष्ट्रीय पहचान को भूल जाते हैं और रूढ़िवादियों की तरह काम करने लग जाते हैं। दूसरे धर्मों के प्रति हममें ईर्ष्या और घृणा पैदा हो जाती है। ऐसे अवसर पर हम दूसरे धार्मिक समूहों की सम्पत्ति और जीवन को नष्ट कर देते हैं। दोनों ही साम्प्रदायिक समूह अपनी राष्ट्रीय पहचान भूल जाते हैं, याद रहती है तो केवल घृणा की भावना।

पाठगत प्रश्न 25.2

निम्न में से सही व गलत छांटिए।

1. साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत एक समुदाय अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। (सही/गलत)
2. मुस्लिम ईद और रमजान को मनाते हैं। (सही/गलत)
3. ईक्टर इसाईयों का त्यौहार है (सही/गलत)
4. जब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, तब हम राष्ट्रीय पहचान व राष्ट्रीय भावनाओं को भूल जाते हैं। (सही/ गलत)
5. साम्प्रदायिक दंगों में हम इर्ष्या और घृणा पैदा करते हैं। (सही/गलत)

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

भाषावाद

भाषावाद उन लोगों के लिए है, जो एक विशेष भाषा बोलते हैं, दूसरों के लिए प्रेम और पूर्वाग्रह है। आपने लोगों को हिन्दी, अंग्रेजी, बंग्ला, कन्नड़ तेलगु, मलयालम, मराठी, गुजराती आदि बोलते हुए सुना होगा। इस तरह विभिन्न भाषाओं को बोलना इस बात को बताता है कि हम एक बहुभाषायी राष्ट्र हैं। हमारे संविधान में 18 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। हिन्दी एवं अंग्रेजी हमारी राजकीय भाषा हैं। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि एवं साहित्य है। भाषावाद लोगों को एक ही भाषा बोलने तक सीमित कर देता है। भाषा और संस्कृति अलग नहीं किये जा सकते।

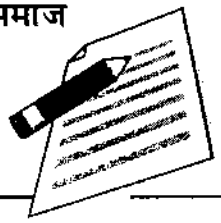

भाषा संस्कृति की वाहक है। यह संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और एक समूह से दूसरे समूह तक ले जाती है। भाषा को पढ़ाना लोगों को दूसरी भाषा के साथ एकीकरण में लाना है। लेकिन एक भाषा को दूसरी भाषा से ऊँचा या नीचा बताने में संघर्ष होता है। इस तरह की स्थानीय अभिवृत्ति राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर कर देती है। हमारे देश में तमिलनाडु ने (1964) और असम (1967) ने भाषाई दंगे देखें हैं। साम्प्रदायवाद की तरह भाषावाद का प्रयोग भी नकारात्मक रूप से किया जाता है। भाषावादी प्रतिमान राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है।

18 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या का भाषाई स्थिति को नीचे बताते हैं:

क्रम संख्या	भाषा	1981 की जनगणना के अनुसार बोलने वालों का प्रतिशत
1.	हिन्दी	42.9
2.	बंगाली	8.3
3.	तेलगु	8.2
4.	मराठी	8.0
5.	तमिल	7.6
6.	उर्दू	5.7
7.	गुजराती	5.4
8.	मलयालम	4.2
9.	कन्नड़	4.2
10.	उड़िया	3.7
11.	पंजाबी	3.2
12..	असमी	2.2
13.	सिन्धी	1.6
14.	कश्मीरी	0.3

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठगत प्रश्न 25.3

निम्न में से सही का चयन कीजिए:

(1) तमिलनाडु में भाषायी दंगे हुए:

(a) 1963 (b) 1964 (c) 1965 (d) कोई भी नहीं

(2) असम में भाषाई दंगे हुए:

(a) 1966 (b) 1967

(c) 1968 (d) कोई भी नहीं

(3) हमारे देश में हिन्दी बोलने वालों का प्रतिशत है:

(a) 41.0 (b) 42.0

(c) 42.9 (d) कोई भी नहीं

(4) हमारी राजकीय भाषा है:

(a) उर्दू (b) संस्कृत

(c) हिन्दी और अंग्रेजी (d) कोई भी नहीं

(5) साम्प्रदायिक दंगों से हम क्या पैदा करते हैं?

(a) प्रेम (b) राष्ट्रीय वफादारी

(c) घृणा और ईर्ष्या (d) कोई भी नहीं

25.3 क्षेत्रवाद

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

क्षेत्रवाद से हमारा अभिप्राय है – अपने क्षेत्र के प्रति गर्व एवं वफादारी की भावना को रखना क्षेत्रवाद है। कभी-कभी जब यह भावना आ जाती है कि हमारा क्षेत्र दूसरों से श्रेष्ठ है, तो यह क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद एक अमुक भू-भाग है, जहाँ के निवासियों में भाषा, संस्कृति और आर्थिक हितों की एकता की भावना होती है। क्षेत्रवाद वस्तुत: स्थानीय वफादारी होती है। इस भाँति क्षेत्रवाद दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति नकारात्मक भावना होती है। यह नकारात्मक भावना अपने क्षेत्र की स्वायत्ता के लिए होती है। इसी कारण प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वायत्ता की मांग करता है। यह इसी भावना के कारण है कि नये राज्य की मांग की जाती है। इसी के कारण अपनी भूमि के पुत्र का सिद्धान्त विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है।

भारत में विभिन्न राज्य व केन्द्रशासित क्षेत्र हैं। प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित क्षेत्र में भौगालिक सीमा होती है। प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के प्राकृतिक और मानव संसाधन होते हैं। यह होते हुए भी एक राज्य में ही पृथक राज्य बनाने की मांग की जाती है। यह मांग वैयक्तिक हितों को पूरा करने के लिए की जाती है। जोर यह दिया जाता है कि एक राज्य का विकास असंतुलित और दूसरे राज्य के संसाधनों के कारण होता है। झारखण्ड राज्य का पृथक्करण इसलिए किया गया कि बिहार राज्य झारखण्ड के स्रोतों का स्वयं उपभोग करता था। इन्हीं वैयक्तिक हितों ने झारखण्ड को बिहार से अलग कर दिया। महाराष्ट्र में आज भी विदर्भ को लेकर यह कहा जाता है कि

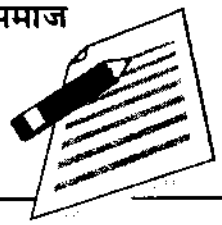

स्थानीय सम्पदा का उपभोग इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों के लोगों को अवसर न देने के लिए इसी क्षेत्र में पैदा हुए लोगों को रोजगार देने की मांग की गयी थी।

नवम्बर 2000 में देश में तीन राज्यों यथा छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखण्ड का पृथक राज्य की तरह निर्माण हुआ। इन राज्यों का निर्माण क्षेत्रीय भावनाओं और वफादारी पर आधारित था। जब ये राज्य क्षेत्रीय भावनाओं पर बन गये तब कई नये राज्यों की मांग प्रारम्भ हुई। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पूर्वांचल क्षेत्रों में स्वायत्त राज्यों की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र में नये विदर्भ राज्य की मांग हो रही है। आन्ध्र प्रदेश में लोग तेलंगाना राज्य की मांग करने लगे हैं। इसी तरह असम राज्य में बोडो राज्य की मांग हो रही है। बंगाल राज्य में गोरखालैण्ड की आवाज उठायी जा रही है। ऐसे राज्य जो स्वायत्ता चाहते हैं, उनमें स्थिति क्षेत्रीय दल स्वायत्ता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कई बार अन्य क्षेत्रों के लोग संघर्ष कर रहे हैं। वे लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को भूल रहे हैं। वे अपने क्षेत्र के लिए मरने तक तैयार हैं। इस प्रकार की क्षेत्रीय वफादारी सच में देखा जाय तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरनाक है।

पाठगत प्रश्न 25.4

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए:

(1) क्षेत्रवाद क्या है?

---

(2) क्षेत्रवाद किस तरह से एक नकारात्मक पद है?

---

(3) क्षेत्रवाद किस पर अधिक जोर डालता है?

---

(4) तीन नये राज्यों का निर्माण कब हुआ?

---

(5) किस राज्य में नये तेलंगाना राज्य की मांग उठ रही है?

25.4 राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौतियाँ

सम्प्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद ये तीनों हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ हैं। ये सब पद निषोधात्मक हैं। इस पाठ में आपने राष्ट्र, राष्ट्रीय एकीकरण, साम्प्रदायवाद और क्षेत्रवाद के अर्थ को समझा है। अब हमें राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली चुनौतियों का विवेचन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय एकीकरण जाति, धर्म आदि से परे है। हर हालत में जिसे हम राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं वह जाति, धर्म, आदि को कोई महत्व नहीं देता। दूसरे शब्दों में यह विभिन्नता में एकता की भावना है। यह बड़ी दुखदायी बात है कि एकपन की विशेषता को धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय वफादारी कमजोर कर देती है। सच्चाई यह है कि भाषा, क्षेत्र आदि राष्ट्रीय एकीकरण में गंभीर चुनौतियाँ हैं।

हमारे देश में कई बार हिन्दू-मुस्लिम एकता को चुनौतियाँ दी गयी है। देखा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में छोटे बड़े दंगे हुए हैं। कई जगह 1947 और 1992 में सम्पूर्ण देश को इन दंगों ने घेर लिया था। दंगा करते समय लोग भूल जाते हैं कि वे सब भारतीय हैं और जिन लोगों को दंगे में मारते हैं, वे भी भारतीय हैं। ऐसे लोग राष्ट्रीय पहचान को याद नहीं रखते। कुछ राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता अपने स्वार्थ में देश की एकता को हाशिए में रख देते हैं। इस तरह साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है। साम्प्रदायिकता की तरह भाषावाद भी राष्ट्रीय एकीकारण को चुनौती देता है। भाषावाद में लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को खो देते हैं और अपनी भाषाई पहचान को अधिक महत्व देते हैं। भाषा अपेक्षित महत्व को लेकर वे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। दूसरे भाषाई लोगों को वे ईर्ष्या और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरे भाषाई समूहों को वे इस तरह देखते हैं जैसे कि वे भारतीय नहीं है। दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग हिन्दी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी बोलने वालों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कारण हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को सरकारी भाषाएँ समझा जाता है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

साम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ हैं। क्षेत्र या राज्य बनाने की महत्वाकांक्षाएँ राष्ट्रीय एकीकारण की भावना को हानि पहुँचाती है। क्षेत्रवाद का कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं– इस भावना ने क्षेत्रीय स्वायत्ता को बढ़ाया है। इसके कारण नये राज्य बने हैं और नये राज्यों के लिए दिन-प्रतिदिन स्थानीय स्वायत्ता बढ़ रही है।

पाठगत प्रश्न 25.5

निम्न कॉलम 'अ' का 'ब' के साथ मिलान कीजिए:

'अ'	'ब'
(1) राष्ट्रीय एकीकरण है	(1) साम्प्रदायवाद का ईंधन
(2) सम्प्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद है	(2) क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग
(3) राजनीतिक और धार्मिक नेता जोड़ते हैं	(3) उनकी भाषायी पहचान
(4) क्षेत्रवाद प्रायोजित है	(4) नकारात्मक पद
(5) भाषावाद में लोग अधिक से अधिक जुड़ते हैं	(5) एकता में विभिन्नता का भाव

आपने क्या सीखा

इस पाठ में अब तक आपने सीखा:

- राष्ट्र लोगों का एक मुख्य भाग है, जो एक दूसरे के साथ भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं।
- राष्ट्रीय एकीकरण में एकपन की भावना पायी जाती है, जिसे किसी भी प्राधिकार द्वारा लागू नहीं किया जाता। विचार, भावनाएँ और क्रिया सभी इसी में से आती हैं।
- साम्प्रदायवाद अपने समुदाय को दूसरों से तथा राष्ट्र से भी ऊँचा समझता है।
- भाषावाद एक प्रकार का अतिरंजित प्रेम और पूर्वाग्रह है, उन लोगों के लिए जो अपनी ही भाषा बोलते हैं।
- क्षेत्रवाद एकता की एक बहुत बड़ी भावना है, जिसका आधार अपनी ही भाषा को बोलना है। यह आधार भाषा के अतिरिक्त संस्कृति और आर्थिक हितों पर भी आधारित है। इस तरह का क्षेत्रवाद क्षेत्रीय स्वायत्ता और नये राज्यों की मांग को बढ़ाता है।
- साम्प्रदायिकता, भाषावाद और क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ राष्ट्रीय पहचान एवं एकता को धक्का देती हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठान्त प्रश्न

(1) राष्ट्र और राष्ट्रीय एकीकारण से आपका क्या अभिप्राय है?

(2) साम्प्रदायवाद क्या है? यह किस तरह राष्ट्रीय एकीकारण के लिए चुनौती है?

(3) भाषावाद क्या है? किस तरह से यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है?

(4) क्षेत्रवाद क्या है? किस तरह से यह राष्ट्रीय एकीकारण को चुनौती देता है?

(5) हमारे राष्ट्रीय एकीकारण को कौन बढ़ावा देता है?

शब्दावली

स्वगुणार्थ	– अर्थ
पहचान	– मान्यता
भाषावाद	– एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के लिए पसंदगी और सहयोग
राष्ट्र	– लोगों का ऐसा समूह जो सामान्य भावना और एक होने की प्रवृत्ति से बंधे होते हैं।
राष्ट्रीय एकीकरण	– सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विभिन्नता के होते हुए भी एक समझना।
क्षेत्रवाद	– एक ही क्षेत्र के लोगों में आपसी प्रेम का पूर्वाग्रह होना।
धर्म निरपेक्षवाद	– धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना।
धर्म निरपेक्ष	– धर्म की भिन्नता से दूर रहना।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

25.1 (1) एकीकृत (2) सामान्य
(3) राष्ट्रीय एकता जो विभिन्नता में है (4) छोड़ देना

25.2 (1) सही (2) सही (3) सही (4) सही (5) सही

25.3 (1) ब (2) ब (3) ब (4) स (5) स

25.4 (1) 9.19 को देखें (2) 9.1.1 को देखें (3) 9.1.9 को देखें
(4) 9.1.9 को देखें (5) 9.1.9 को देखें

25.5 A(i)-B(v)-B(iv), A(iii)-B(i), A(iv)-B (ii), A(v). B(iii)

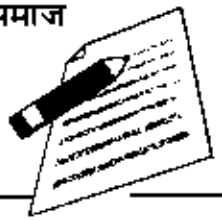

26

भारतीय समाज : आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय

भारतीय समाज को मोटे रूप में तीन भागों में बांटा जाता है–आदिवासी समाज, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज। इस विभाजन का आधार भौगोलिक पर्यावरण एवं सामाजिक-सांस्कृतिक लक्षण है। आदिवासी समाज अपेक्षित रूप से एक पृथक समाज है, जिसकी एक निश्चित संस्कृति-भाषा एवं धर्म है। आज के विश्व में आदिवासी अपेक्षित रूप से सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। दूसरी ओर ग्रामीण समाज गाँवों का समाज है, जिनका आधार जाति और कृषि अर्थव्यवस्था है। नगरीय समाज गैर–कृषि धन्धों जैसे कि उद्योग एवं नौकरी है। इस विभिन्नता के होते हुए भी इन तीनों समाजों–आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय में निरन्तर अन्तःक्रिया होती है तथा यह विभाजन कोई बंधा-बंधाया नहीं है। समाजशास्त्री इसे आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय अन्तर्बंधन मानते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- आदिवासी समाज के लक्षणों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- आदिवासी समाजों में आने वाले परिवर्तन को जान सकेंगे;
- आदिवासियों की समस्याओं की पहचान और उनकी प्रगति के लिए चलायी गयी योजनाओं को जानेंगे;
- ग्रामीण समाज के लक्षणों की पहचान कर सकेंगे;
- ग्रामीण समुदायों में आने वाले परिवर्तन की व्याख्या करेंगे;
- नगरीय समाज के लक्षण तथा उसका अर्थ समझ सकेंगे; और
- नगरीय एवं ग्रामीण समाजों को जोड़ने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

26.1 आदिवासी समाज

आदिवासी समाज की परिभाषा उस समुदाय से की जाती है, जो पहाड़ी व जंगल क्षेत्र की है। जिसकी अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा, और नृजातीय पहचान होती है। मानवशास्त्री आदिवासी व्याख्या एक ऐसे सामाजिक समूह से करते हैं, जिसका एक निश्चित क्षेत्र में निवास पाया जाता है। जिसकी पहचान अन्तर्वैवाहिक होती है और जिसमें कोई विशिष्टीकरण नहीं होता। इस समूह पर आदिवासी मुखियाओं का राज चलता है। ये मुखिया वंशानुगत होते हैं।

आदिवासी समूह भाषा एवं बोली द्वारा जुड़े होते हैं। ये समूह सामाजिक दृष्टि से जातियों से भिन्न होते हैं। इनकी अपनी परम्पराएँ, विश्वास और रीति-रिवाज होते हैं और ये लोग अपनी नृजातीय एवं क्षेत्रीय एकता के बारे में जागरूक होते हैं।

26.1.1 आदिवासी समाज की विशेषताएँ

आदिवासी समाज की उपरोक्त परिभाषा के आधार पर इसके हम निम्न लक्षण पाते हैं:

(1) इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है।

(2) समान्यतया आदिवासी जंगलों तथा पहाड़ों में रहते हैं।

(3) दूसरे समूहों की तुलना में ये एक पृथक या अर्ध पृथक क्षेत्र में निवास करते हैं।

(4) इनकी अपनी संस्कृति, जनरीतियाँ, ब्रह्मविज्ञान और विश्वास व्यवस्था होती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(5) आर्थिक दृष्टि से ये आत्म निर्भर होते हैं। अर्थात ये जीविकोपार्जन करते हैं, एवं बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं करते। इनकी तकनीकी आदिम होती है। इनकी अर्थव्यवस्था मुद्रा पर निर्भर नहीं होती। ये वस्तु-विनिमय करते हैं।

(6) इनकी रुचि वर्तमान की समस्याओं से होती है, वे भविष्य के बारे में नहीं सोचते।

(7) इनकी अपनी स्वयं की भाषा होती है, तथा इस भाषा की कोई लिपि नहीं होती।

(8) इनकी स्वयं की राजनीतिक व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था राज्यहीन या राज्य दोनों की होती है। प्रारम्भ में आदिवासी समाज राज्यहीन समाज था। इसका मतलब हुआ, इस समाज में कोई राजा नहीं होता था। वे अपनी कानून व्यवस्था को परिवार और नातेदारी सम्बन्धों से चलाते थे। बाद में इस समाज में राज्य व्यवस्था आयी, जिसमें चुनाव द्वारा अपने राजा या मुखिया को मनोनीत करते थे। आज यह स्थिति बदल गयी है। वे स्वायत्ता को छोड़ चुके हैं और स्थानीय प्रशासन के अंग बन गये हैं।

(9) आज आदिवासी समाज को सरल समाज कहते हैं। यह इसलिए कि उनके

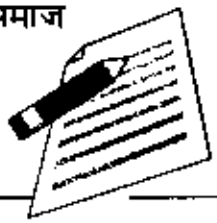

Notes

सामाजिक सम्बन्ध मुख्य रूप से परिवार और नातेदारी पर निर्भर है। इसके अलावा उनमें कोई कठोर सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता।

(10) इनका अपना स्वयं का धर्म होता है। अर्थात इनका देवी-देवताओं पर विश्वास होता है। इनके धर्म का स्वरूप अत्मावाद होता है। ये अपने देवी-देवताओं और पूर्वजों की पूजा करते हैं। टोटमवाद के अन्तर्गत लोग पेड़ या किसी जानवर की तरह अपने पूर्वजों को अपना संस्थापक मानते हैं। उनका विश्वास प्रकृतिवाद में भी होता है एवं ये नदी-नाला, सूर्य, चन्द्र और जंगल की पूजा करते हैं।

पाठगत प्रश्न 26.1

कोष्ठक में दिये गये शब्दो से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(1) आदिवासी समुदाय अधिकार.....में रहते हैं। (पहाड़, नगर, औद्योगिक)

(2) आदिवासियों की अर्थव्यवस्था.....स्तर पर होती हैं। (विकसित, विकासशील और आदिम)

(3) आदिवासियों का धर्म..... होता है। (स्वयं का, हिन्दू, इसाई)

(4) आदिवासियों का स्तरीकरण.....होता है। (गैर बराबरी गहन, थोड़ा सामान्य)

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

26.1.2 भारत में आदिवासी समुदाय

भारत में लगभग 461 आदिवासी समुदाय हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार इनकी जनसंख्या 8.1 प्रतिशत है। इनका वितरण पाँच क्षेत्रों में पाया जाता है:

सारणी 1.1 : *आदिवासियों का वितरण*

क्षेत्र	मुख्य जनजातियाँ
उत्तर पूर्व, सिक्किम और हिमालय	नागा, मिजो, अदिलेप्जा, गद्दी, खासी, गारो, राजी, जयन्तिया, राजी, भूटिया और थारो।
पश्चिम क्षेत्र	सहेरिया, भील, गरासिया, रेबारी, डांग मीणा, वरली
मध्य क्षेत्र	मुण्डा, ओरॉं, संथाल, गोण्ड, हो, चेन्चू, भूमिज, बिरहोर, कोंध, सओरा, पोरोजा
दक्षिण क्षेत्र	इरूला, टोडा, बडागा, पेलियन, चोलानेका,
द्वीपों में रहने वाला समुदाय	ग्रेट अंडमान निवासी, जरावा, ओन्ज, सेंटिनेक्लोज शोम्पेन और निकारोर निवासी

अगर हम विभिन्न आदिवासियों की संख्या को देखें तब गोण्ड सबसे अधिक (8 लाख) संख्या में मिलते हैं। इनके बाद भील (7.5 लाख), संथाल (5 लाख), मीणा (2.2 लाख) और ओराँ (2 लाख)। इन जनजातियों में जरावा केवल 50, ओन्ज केवल 100, अण्डमान निवासी लगभग 150 और अरण्डा केवल 260 ।

26.1.3 भारत में आदिवासियों का भाषायी वर्गीकरण

अधिकांश आदिवासी गैर-आदिवासी भाषा समूह को बोलते हैं। ये भाषाएँ चार परिवारों की हैं: ऑस्ट्रो-एशिएटिक, टिबिटो-चीनी, द्रविड़ और इण्डो-यूरोपियन है।

सारणी 2.2 : *भाषाई आधार पर आदिवासियों का वितरण*

भाषाई परिवार	मुख्य आदिवासी भाषाएँ
आस्ट्रो-एशिएटिक	खासी, निकोबारी, संथाली, हो, मुण्डारी
टिबिटो-चीनी	भूटिया, लेप्चा, अबोर, मीरी, डाफला, गोरो, नागा, लुशाई
द्रविड़	कोरवा, बडागा, टोडा, कोटा, कुई, गोण्डी, मालेर, ओराँ
इण्डो-यूरोपियन	हाजोंग, भीली

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठगत प्रश्न 26.2

निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए:

(1) भारत के पाँच प्रमुख आदिवासियों का नाम लिखिए?

---

(2) एक प्रमुख जनजाति का नाम बताइए जो द्रविड़, भाषा बोलती है।

---

(3) ओंगंज कहाँ पाये जाते हैं?

---

(4) पश्चिमी क्षेत्र की तीन जनजातियों के नाम बताइए।

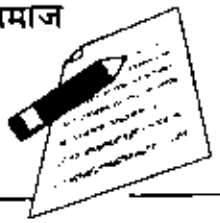

26.1.4 आदिवासी सामाजिक संरचना एवं स्तरीकरण

अधिकांश आदिवासी पितृवंशीय हैं। इन आदिवासियों में उड़ीसा के कोंध, पश्चिमी बंगाल एवं बिहार के संथाल और मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के भील हैं। पितृवंशीय का आशय है, परिवार की सम्पत्ति पिता से पुत्र को मिलती है। निवास और वंशज परम्परा पिता से पुत्र को मिलता है। इन समाजों में पुरुष प्रभुत्व चलाता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अभाव में आदिवासी सामाजिक संख्या का आधार नातेदारी समूह जैसे कि गोत्र, वंशावली और परिवारों पर निर्भर है। कुछ आदिवासी समुदाय मातृवंशीय होते हैं, इनमें मेघालय के खासी और गारों हैं। प्रारम्भ में आदिवासी समूहों में स्तरीकरण नहीं था। इनमें दो समूह पाये जाते थे, वे शासक गोत्र और अन्य गोत्र। आर्थिक दृष्टि से इन आदिवासियों को समतामूलक समाज कहते हैं। गैर-आदिवासियों के सम्पर्क में आने के बाद इन समूहों में भी गैर-बराबरी देखने को मिली।

26.1.5 आदिवासी समस्याएँ

जब आदिवासी बाहरी समूहों के सम्पर्क में आये तब उनमें कुछ समस्याएँ आ गयी। मुस्लिम शासन के आने से पहले आदिवासी सामान्यतया समाज की मुख्य धारा से पृथक थे। मुस्लिम प्रशासन की प्रक्रिया में राज्य ने राजस्व ग्रहण करने की प्रक्रिया चलायी। मुस्लिम शासकों ने राजस्व तो लिया लेकिन आदिवासियों के रीति-रिवाजों और परम्पराओं में हस्तक्षेप नहीं किया। ब्रिटिश काल में आदिवासियों का शोषण प्रारंभ हुआ। यह मुख्य रूप से तीन कारणों से पाया गया:

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(क) ब्रिटिश आदिवासियों पर शासन करना चाहते थे।

(ख) ब्रिटिश चाहते थे कि आदवासी क्षेत्र में जो आय के स्रोत हैं, उन्हें उनसे ले लिया जाय। सामान्यतया आय के स्रोत जैसे कि खनिज सम्पदा आदिवासी क्षेत्र में थी।

(ग) तर्क के बहाने ये लोग आदिवासियों को इसाई धर्म की शिक्षा देते थे।

सांस्कृतिक सम्बन्ध निम्नलिखित कारणों से आदिवासियों के सम्पर्क में आकर प्रारम्भ हुआ:

(क) आदिवासी क्षेत्र में खनिज सम्पदा की प्राप्ति होना।

(ख) आदिवासी क्षेत्र में प्रशंसकों और मिशनरियों का प्रवेश।

(ग) आदिवासी क्षेत्र में दवा-दारू करने वाले और बाहरी लोगों की उपस्थिति।

(घ) आदिवासी क्षेत्र में आवागमन और संचार के साधन जिन्होंने बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए सुविधाएँ प्रदान की।

(ङ) बांध बनने, उद्योगों के विकास और सिंचाई साधनों के विकास के परिणामस्वरूप अदिवासियों का उनके क्षेत्र से विस्थापन।

इस प्रकार सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण कई आदिवासी समस्याएँ पैदा हो गयी हैं। ये समस्याएँ निम्न हैं:

(1) **भूमि अलगाव:** भूमि अलगाव की समस्या मुद्रा अर्थव्यवस्था के आने के कारण पैदा हुई है। प्रत्येक उपभोग के साथ आदिवासी को धन की आवश्यकता पड़ी लेकिन कमाने का कोई और स्रोत उसके पास नहीं रहा, परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रखा या उसको बेच दिया। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों ने आदिवासियों का शोषण किया और उनसे जमीन हथिया ली। राज्य ने भी औद्योगीकरण के नाम पर जमीन को ले लिया। राज्य ने कई अधिनियम पारित करके जमीन के स्थानान्तरण या बिक्री को गैर-आदिवासियों के हाथों में पहुँचने से रोक दिया।

(2) **ऋणग्रस्तता:** आय के साधनों के अभाव में आदिवासियों की ऋणग्रस्तता बढ़ गयी। कई महाजनों और साहूकारों ने ऋण देकर गरीबी बढ़ा दी। इन महाजनों ने ऊँची ब्याज दर पर ऋण दिया। इस ऋण सुविधा के कारण आदिवासी शराब पीने लगे, शादी में स्त्रीधन या वधू मूल्य की रकम बढ़ गयी। इस उपभोग के कारण आदिवासी को धन की आवश्यकता पड़ी और इस कारण वह साहूकार के पास जाने लगा। इन प्रभावशाली कारणों से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने साहूकारों को आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचने से रोक दिया। राज्य ने बैंक और सहकारी सोसाइटी को प्रेरित किया कि वे अपेक्षित रूप से थोड़े ब्याज में आदिवासियों की सहायता करें।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(3) **बंधुआ मजदूर:** यह गंभीर समस्या है। इस समस्या का उद्गम नितान्त गरीबी और आय की निरन्तर होने वाली कमी है। देखा जाय तो भूमि अलगाव ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी एवं गरीबी पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं।

धन के अभाव में साहूकार आदिवासियों की जमीन को गिरवी रख लेता है और धन के न होने कारण आदिवासी कर्जा नहीं चुका पाता। इसका प्रभाव यह होता है कि वह बंधुआ मजदूर बन जाता है।

(4) **कृषि स्थानान्तरण:** आदिवासियों की बहुत बड़ी समस्या कृषि स्थानान्तरण है, इसे कई नामों से जानते हैं। उत्तर पूर्व में यह *झूम* कहलाती है। बिहार में इसे *खोलू* कहते हैं। उड़ीसा के *खोण्ड* और पराजन आदिवासियों में यह प्रथा *कोडू* नाम से जानी जाती है।

कृषि स्थानान्तरण का आशय जंगल और विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र की जमीन को काट देना या खाली किये स्थान पर बीज को छिड़क देना होता है। इस तरह

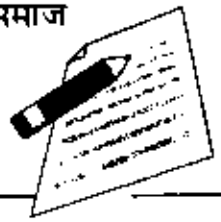

Notes

के खाली किये हुए भू-भाग पर अरहर, मक्का एवं बाजरे की खेती की जाती है। यहाँ हल से खेती नहीं की जाती, केवल बीज को छिड़क दिया जाता है। इस भाँति एक दो बार जंगल और पहाड़ की भूमि पर फसल की जाती है तथा पाँच-सात वर्षों बाद इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है।

(5) **अशिक्षा:** आदिवासियों के विकास में सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा की है। शिक्षा का विकास इस क्षेत्र में इसलिए रुक गया कि आदिवासी दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई का समय आर्थिक एवं कृषि उपार्जन के आड़े आता है। इन दोनों में मेल नहीं होता। इस कठिनाई को देखते हुए सरकार ने एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रयास अवश्य किया है।

(6) **स्वास्थ्य और पोषण की समस्या:** स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण आदिवासियों का पर्याप्त पोषण नहीं होता। उनमें कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। इन बीमारियों में प्रमुखतः मलेरिया और पीलिया हैं। इन बीमारियों का इलाज केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों में ही हो सकता है। प्रत्येक गाँव में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

पाठगत प्रश्न 26.3

निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए:

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(1) आदिवासियों में भूमि अलगाव का मुख्य कारण क्या है?

----

(2) कृषि स्थानान्तरण का अर्थ बताइए।

----

(3) आदिवासियों की औपचारिक शिक्षा में रुचि कम क्यों होती है?

----

(4) आदिवासियों में बंधुआ मजदूरी के क्या कारण हैं?

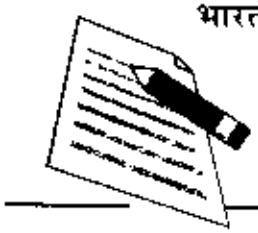

Notes

26.2 ग्रामीण समाज

ग्रामीण समाज का आशय उस समाज से हैं, जो गाँवों में रहता है और जो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतया कृषि तथा उससे जुड़ी हुई गतिविधियों से संबद्ध है। गाँवों में जनसंख्या-घनत्व निम्न होता है और लोग मौखिक परम्परा के द्वारा अपने समूह में अन्त:क्रिया करते हैं ग्रामीण समुदायों में सांस्कृतिक एवं परम्परागत व्यवहार बहुत समृद्ध होता है। ऐसा होने पर भी इस समाज में आज के दृष्टिकोण में सामाजिक-आर्थिक विकास न्यूनतम होता है। ऐसी अवस्था में इन समाजों में सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए कई विकास कार्यक्रम किये जाते हैं।

26.2.1 ग्रामीण समाज की विशेषताएँ

(1) गाँवों में मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह केवल ग्रामीण समुदाय के आय का स्रोत ही नहीं है अपितु यह ग्रामीणों की जीवन पद्धति भी है।

(2) ग्रामीण समुदाय आकार में छोटा होता है। अर्थात वे बहुत कम भौगोलिक क्षेत्र में छोटे समूह के निम्न घनत्व में रहते हैं।

(3) ग्रामीण समूह के लोग प्रत्यक्ष सम्पर्क करते हैं और इसलिए उनका व्यवहार आमने-सामने होता है।

(4) उनकी सामाजिक संरचना नातेदारी और परिवार के सदस्यों पर निर्भर है। इस समाज में वंश परम्परा बहुत महत्वपूर्ण होती है।

DIKSHANTIAS
Call us @ 7428092240

(5) सामान्यतया वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार वह है, जिसके सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक ही चूल्हे से पके हुए खाने को खाते हैं। एक ही उपासना विधि को अपनाते हैं तथा जो कि नातेदारी के बंधनों से बंध होते हैं। एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार में पीढ़ियों की गहराई ज्यादा होती है।

(6) ग्रामीण समुदाय के लोग कर्मकाण्ड और रीति-रिवाज में अधिक रूढ़िगत होते हैं। देवी-देवताओं में उनका विश्वास अधिक होता है।

(7) ग्रामीणों में पारस्परिक सहयोग और समूहों की निकटता अधिक होती है। उनमें गहन भाईचारा होता है। कठिनाई के समय में यह समूह बड़ी आत्मीयता से मदद करता है।

(8) ग्रामीण समाज की संस्कृति, लोक-संस्कृति के नाम से जानी जाती है। उनकी संस्कृति रीति-रिवाजों, मानकों और कर्मकाण्ड से जुड़ी होती है। इसमें लिखाई-पढ़ाई का कोई स्थान नहीं होता। ये लोग एक ही सामान्य संस्कृति की पृष्ठभूमि में बड़े होते हैं, अत: जीवन के प्रति उनकी वैचारिकी में अन्तर नहीं होता। इस कारण उनका जीवन सजातीय होता है।

Notes

(9) परम्परागत रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषि करने की उनकी विधि परम्परागत है और ये सामान्यतया वर्ष में दो फसलें लेते हैं। फसल की इस पद्धति में उत्पादन कम होता है। फसलों को बाजार में बेचने की सुविधाएँ भी बहुत कम है। इस तरह की अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप उनका जीवन गरीबी में निकलता है। इधर कुटीर उद्योगों के कमजोर होने से ग्रामीण पड़ौसी कस्बों में धन्धों के लिए जाने लगे हैं।

(10) भारत के गाँवों का बहुत बड़ा आधार कृषि व्यवस्था है। ये गाँव पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण ग्रामीण सामाजिक संरचना में सबसे ऊँचा स्थान रखते हैं। इसका कारण यह है कि वे शिक्षा देने जैसे पवित्र धन्धों को करते हैं। गाँवों में दूसरी जातियाँ अशुद्र जातियाँ हैं। वे अशुद्र व्यवस्था को करते हैं। ये समूह परम्परागत व्यवसाय को अपनाते हैं।

(11) ग्रामीण समाज में आधुनिक जीवन पद्धति और विचारधारा को नहीं अपनाया जाता। वे अब भी अर्जित जीवन पद्धति को मानने वाले हैं, इसीलिए उनकी गतिशीलता बहुत सीमित है।

(12) ग्रामीण क्षेत्रों में विचलित व्यवहार को बड़ी सख्ती से लिया जाता है।

(13) कृषि की आधुनिक तकनीक अभी गाँवों में मजबूती से नहीं अपनायी जाती। लोग वर्षों पुराने विधियों को अब भी काम में लेते हैं। देखा जाय तो गाँवों के व्यवसाय आज भी कठोर श्रम पर निर्भर हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(14) आज भी गाँवों की अर्थव्यवस्था आत्म निर्भर है, खासतौर से उत्पादन एवं उपभोग के क्षेत्र में।

(15) ग्रामीण अर्थव्यवस्था वस्तुत: एक स्थिर व्यवस्था है। यह इसलिए कि ये लोग आधुनिक तकनीकी कृषि नहीं करते, न उनके विनिमय की विधि और बाजार अर्थव्यवस्था आधुनिक है।

(16) ग्रामीण समाज के लोग परम्परावादी होते हैं। इसे समाजशास्त्र में लघु परम्परा कहते हैं। उनका अतीत के साथ गहन सम्बन्ध होता है।

पाठगत प्रश्न 26.4

कोष्ठक में से उपयुक्त शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में ..... व्यवसायों की प्रधानता होती है। (कृषि, औद्योगिक व्यवसाय)

(2) गाँवों में ..... घनत्व निम्न होता है। (उच्च, निम्न, मध्यम,)

(3) ग्रामीण अर्थव्यवस्था.....होती है। (आदिम, विकसित)

(4) भारतीय गाँवों में..... व्यवस्था है। (जाति, वर्ग, जागीर)

26.2.2 भारतीय ग्रामीण समुदाय : एक सामाजिक इकाई के रूप में

ब्रिटिश प्रशासकों ने कहा है कि भारत के गाँव छोटे गणतन्त्र की तरह हैं। अर्थात ग्रामीण लोगों की जो आवश्यकताएँ हैं, वे उनके गाँव से ही पूरी हो जाती हैं। अपने अस्तित्व के लिए वे बाहर के लोगों पर निर्भर नहीं रहते। ब्रिटिश लोगों की यह मान्यता भारतीय समाजशास्त्रियों ने गाँवों के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद गलत सिद्ध की है। हरियाणा के एक अध्ययन से सिद्ध है कि कोई 300 गाँव विवाह से जुड़े हुए हैं। उपभोग की कई वस्तुएँ जैसे कि नमक, मिठा तेल, कई औजार, कपड़ा, जवाहरात हर गाँव में पैदा होता हो ऐसा नहीं है। प्रत्येक गाँव में सभी प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध नहीं होती। अतीत में गाँव अलग-अलग राज्यों के अंग थे। इसके अलावा गाँव के लोग सम्पूर्ण देश में तीर्थ यात्री की तरह खींचे चले आते थे। उदाहरण के लिए, चार धाम की यात्रा गाँवों को दुनियाँ के साथ जोड़ देती है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि गाँव पृथक हैं। वास्तव में वे विशाल समाज के अंग हैं।

26.2.3 ग्रामीण समाज में परिवर्तन

DIKSHANT IAS
Call us @7428002240

आजादी के बाद सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाए गये थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, सम्पूर्ण समुदाय का विकास में जुटना था। बाद में चलकर सन् 1959 में पंचायती राज अर्थात् स्थानीय प्रशासन चलाया गया। ये दोनों ही कार्यक्रम समानान्तर रूप से चलाए जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एकीकृत ग्रामीण विकास के स्थान पर रखकर इसे 1979 में शुरू किया गया।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की अन्तःक्रिया बराबर चलती है। ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में आता है तथा यहाँ के लोगों के साथ सम्पर्क करता है। इसी तरह शहरों के लोग गाँवों में जाते हैं। धीरे-धीरे, स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों का प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि शहरों ने गाँवों के कुछ लक्षणों को अपना लिया है। गाँवों का कुछ कच्चा माल शहरों में पहुँचता है और इस तरह गाँव तथा शहर के बीच पारस्परिकता विकसित होती है, इसे ग्रामीण-शहरी नैरन्तर्य कहते हैं, इसका मतलब है गाँव और शहर में निरन्तरता बनी रहती है। इस निरन्तरता ने सड़कों के आवागमन के द्वारा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को प्रस्तुत किया है। जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है तथा अब दोनों क्षेत्रों में अधिक गतिशीलता है। ग्रामीण क्षेत्र वस्तु-विनिमय को छोड़कर नकद बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

26.3 नगरीय समाज

नगरीय समाज में कस्बे, शहर और महानगर आते हैं। इनकी विशिष्ट जीवन पद्धति होती है। नगरीय समाज में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अधिकतर लोग ऐसे धन्धों में लगे होते हैं, जो कृषि एवं पशुपालन के नहीं हैं। इन क्षेत्रों में निश्चित परिस्थितिकी और विभिन्न संस्कृति जो कि विशाल संस्कृति में होती है, पायी जाती है।

26.3.1 नगरीय समाज की विशेषताएँ

नगरीय समाज की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

(क) शहर व कस्बों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या घनत्व होता है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक विजातीयता अधिक होती है। इसका कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग शहरों और कस्बों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए आते हैं।

(ग) शहरों का पर्यावरण प्राकृतिक नहीं होता। यह पर्यावरण मनुष्य द्वारा बनाया गया विशिष्ट पर्यावरण होता है। नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय मुख्य रूप से गैर कृषि धन्धों जैसे व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन आदि पर निर्भर होता है।

(घ) शहरी क्षेत्रों में अधिक सामाजिक गतिशीलता होती है। अर्थात यहाँ लोग विभिन्न वर्गों में पाये जाते हैं और उनका आधार आर्थिक होता है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(ङ) शहरी क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण अदालत, पुलिस एवं अन्य प्रकार्यात्मक संस्थाओं द्वारा होता है।

(च) शहरी क्षेत्रों में लोगों के बीच में अन्त:क्रिया द्वैतीयक सम्पर्क द्वारा होती है न कि प्राथमिक सम्पर्क द्वारा। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रख सकते।

(छ) शहरों में लोग शहरी जिन्दगी बिताते हैं। अर्थात लोगों में औपचारिक अन्त:क्रिया अवैयक्तिक व्यवहार, गैर-नातेदारी सम्बन्ध, सांस्कृतिक दिखावा होता है। उनके अवकाश का समय, क्लब, बाग-बगीचा उपहार गृह, सिनेमा, होटल आदि होते हैं।

(ज) शहरी आर्थिक संगठन बाजार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

(झ) नगरीय सुविधाएँ जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, संचार, बाग, होटल, सिनेमा आदि शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

(ञ) शहरी समाजों की विशेषता गुमनामी है, जैसे गाँव में लोग सबको जानते हैं वैसे शहरों में नहीं।

पाठगत प्रश्न 26.5

कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पुर्ति कीजिए:

(1) शहरी समाजों में अधिकतर लोगों का धन्धा..... होता है।
(कृषि पुरोहिती और गैर-कृषि)

(2) .....शहरी समाजों का महत्वपूर्ण लक्षण है।
(वैयक्तिक सम्बन्ध, गुमनामी और नातेदारी सम्बन्ध)

(3) नगरीय समाज की अर्थव्यवस्था..... होती है।
(मौद्रिक, कृषि, वस्तु विनिमय)

(4) शहरी क्षेत्रों में लोगों में सांस्कृतिक..... होती है।
(सजातीय, विजातीय, बहुलता)

26.3.2 भारत के नगरीय समुदाय

(क) शहरी क्षेत्र वह है, जिसमें प्रशासन की कोई इकाई जैसे कि नगरपालिका महानगर निगम, छावनी क्षेत्र आदि होते हैं।

(ख) एक ऐसा क्षेत्र शहरी कहलाता है, जिसमें 10,000 से अधिक जनसंख्या है।

(ग) वह क्षेत्र जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गैर-कृषि व्यवसायों में काम करते हों, शहर है।

(घ) वह क्षेत्र शहर है, जिसमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 व्यक्ति हो।

(ङ) वह क्षेत्र शहर है, जहाँ कुछ शहरी सुविधाएँ हों जैसे कि एक भौगोलिक क्षेत्र, एक विशाल आवासीय क्षेत्र हो तथा मनोरंजन और पर्यटन के महत्व की वस्तुएँ हों।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

जनसंख्या के आधार पर यहाँ भारत में निम्न प्रकार के शहर हैं:

सारणी 8.3: *भारत में नगरों के प्रकार*

नामावली	जनसंख्या
महानगर	10,00,000+
श्रेणी I शहर	1,00,000+
श्रेणी II शहर	50,000+
श्रेणी III शहर	20,000+
श्रेणी IV शहर	10,000+

26.3.3 नगरीय सामाजिक समस्याएँ

शहरी समाज की कई सामाजिक समस्याएँ होती हैं जैसे कि भीड़भाड़ से लगी हुई जनसंख्या, गंदी बस्तियाँ, अपराध, स्रोतों एवं सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव जैसे कि पानी और बिजली। कुछ समस्याएँ शहरों में गुमनामी के कारण हैं। इन शहरों में वैयक्तिक सम्बन्ध देखने को नहीं मिलते। इस कारण शहरों में तनाव रहता है। देखा जाय तो शहरों में मानसिक बीमारियाँ अत्यधिक होती हैं। सभी लोग गाँवों से शहरों की ओर दौड़ते हैं। शहरों में बेरोजगारी अधिक होती है। जब शहर में रोजगार नहीं मिलता और गाँव से आदमी शहर में धकेल दिया जाता है, तब यह स्थिति बड़ी निराशाजनक होती है।

धकेलने वाली स्थिति का मतलब यह होता है कि गांवों में रोजगार न होने से बेरोजगारी की अवस्था ग्रामवासियों को नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर धकेल देती है। खींचने की स्थिति का आशय यह है कि ग्रामवासयों को उनके शहरों में बसे हुए निकट के संबंधी लोग उन्हें काम दिलाने के लिए शहरों में आमंत्रित करते एवं बुला लेते हैं अथवा यों कहें कि खींच लेते हैं। फिर, इसके अलावा, नगरीय जीवन का मनोरंजक और आकर्षक पहलू भी लोगों को शहरों की ओर खींच लेता है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

गांवों से शहरों में विस्थापित होने पर लोगों को शहरों में रहने के लिए, सम्मानजनक आवास उपलब्ध नहीं हो पाते, सामान्यत: वे लोग शहरों की बाहरी सीमाओं में सामूहिक आवास बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। ये सामूहिक आवास गंदी बस्तियों अर्थात् 'स्लमों' का स्वरूप धारण कर लेते हैं। कालान्तर में इन बस्तियों की दशाएँ बद से बदतर होती चली जाती हैं। शहरों में होने वाले अपराधों की संख्या बहुत ऊँची होती है। प्रमुख रूप से, शहरों में ऐसा बेरोजगारी के कारण नवयुवकों में व्याप्त निराशा एवं कुंठा तथा जनसंख्या की सघनता के कारण भी होता है।

पाठगत प्रश्न 26.2

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए:

1. एक महानगर (मेट्रो) की कम से कम जनसंख्या क्या होती है?

.....

2. नागरीय क्षेत्रों में कुछ लोगों को मानसिक समस्याएँ अथवा मानसिक रोग क्यों होते हैं?

.....

3. विस्थापन की ''धकेलने वाली'' स्थिति क्या होती है?

.....

4. नगरीय क्षेत्रों (शहरों) की बेरोजगारी का क्या कारण है?

.....

आपने क्या सीखा

- इस पाठ में आपने भात के आदिवासियों आदिम जातियों, तथा ग्रामीण और नगरीय समुदायों विशेषकर उनके सहआस्तित्व के संदर्भ में पढ़ा या सीखा है।
- वे तीनों समाज, भारत में, परस्पर मेलजोल वाले अन्तर्निर्भर और सहयोग पूर्वक रहते हुए पाए जाते हैं।
- नगरीय समाजों की अपेक्षा आदिवासी और ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं।
- फिर भी, आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं के द्वारा उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति में सुधार लाया जा रहा है।
- इन समाजों की संस्कृति नैसर्गिक वातावरण से पोषित होती हुई कुछ विशिष्ट तरह की होती है।
- नगरीय क्षेत्रों के लोगों में ग्रामीण क्षेत्रें के लोगों की अपेक्षा प्रायः सरलता (भोलेपन) और प्रदूषण रहित वातावरण का अभाव रहता है।
- अपनी विशिष्ट सभ्यता के कारण भारत के नगरों (शहरों) ने संपूर्ण देश के साथ-साथ विदेशों से भी लोगों को सर्वदा आकर्षित किया है।
- कुछ भी हो पर जनसंख्या की गहन सघनता, तथा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा शहरों में विस्थापित होने के फलस्वरूप बेरोजगारी और गंदी बस्तियों (स्लमों) की अधिकता जैसी कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठान्त प्रश्न

1. आदिवासी समाजों को सरल और भोले समाज क्यों कहा जाता है?
2. भारत की प्रमुख आदिवासी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
3. भारत में एक नगरीय क्षेत्र के प्रमुख मानदंड क्या-क्या है?
4. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत के ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तनों को संक्षेप में लिखिए।
5. भारत की नगरीय सामाजिक समस्याओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

26.1

(i) पहाड़ों (ii) पिछड़ी हुई

(iii) स्वयं का (iv) थोड़ा।

DIKSHANT IAS

26.2

(i) भील (ii) गोंड (iii) संथाल, (iv) उरांव, (v) भिलाला

Call us @7428092240

(ii) कोंद (खोंद)

(iii) अंडमान द्वीप समूह

(iv) मीना, रेबारी, डॉग

26.3

(i) मुद्रा संबंधी अर्थव्यवस्था

(ii) भूखंड के साफ करके एक चौरस भूमि में हल के द्वारा जुताई के बिना खेती करना।

(iii) क्योंकि पाठ्यक्रम और अध्ययन का समय उनकी संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होते।

(iv) धन का अभाव।

26.4

(i) कृषि

(ii) निम्न

(iii) कम विकसित।

(iv) जाति

26.5

(i) गैर-कृषि

(ii) गुमनामी

(iii) मौद्रिक

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

27

भारत में जाति व्यवस्था

भारतीय समाज के बुनियादी तत्वों और विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में जिसमें आदिम, ग्रामीण एवं शहरी लोग हैं, अब इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था जाति व्यवस्था का उल्लेख करेंगे। इस अध्याय में हम जाति के मुख्य लक्षणों, जाति और वर्ण के अन्तर, जाति और वर्ग तथा जाति व्यवस्था के परिवर्तन का उल्लेख करेंगे। जाति की अवधारणा से जुड़े हुए संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण और प्रजाति का उल्लेख करेंगे। जाति की उत्पत्ति स्पेन की भाषा के कास्टा से हैं। कास्टा यानी प्रजाति या ऐसा समूह, जिसमें वंशानुगत लक्षण होता है। पुर्तगालवासियों ने इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए किया। जाति शब्द ने भ्रम पैदा कर दिया है। इसका प्रयोग वर्ण और जाति दोनों के लिए किया गया है। आपको ज्ञात है कि लोग चार जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र का प्रयोग करते हैं लेकिन ये चार जातियाँ-जातियाँ न होकर वर्ण हैं। आज हम इन्हें वर्ण न कहकर जाति कहते हैं। इस अध्याय में हम जाति का मतलब जाति से ही लेते हैं, वर्ण से नहीं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- जाति व्यवस्था की परिभाषा और लक्षण समझ सकेंगे;
- वर्ण और जाति के बीच अन्तर जान जायेंगे;
- जाति एवं वर्ग में अन्तर को समझेंगे; और
- जाति व्यवस्था में आने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

27.1 जाति की परिभाषा

जाति की परिभाषा एक वंशानुगत और अन्तर्वैवाही समूह की तरह की जा सकती है। इसके परम्परागत सामान्य नाम, व्यवसाय एवं संस्कृति होती है। इसकी गतिशीलता अपेक्षित रूप से कट्टर होती है। इसकी प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है और यह एक सजातीय समुदाय होता है। वर्तमान परिस्थितियों में जाति व्यवस्था एक औपचारिक संगठन की तरह है और जिसमें अधिक कठोरता नहीं है। अब यह व्यवस्था राजनीति से जुड़ गयी है। इस तरह उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम जाति के निम्न लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं:

(1) **समाज का खण्डात्मक विभाजन:** अत: भारतीय सामाजिक स्तरीकरण अधिकांश रूप में जाति पर निर्भर है। देश में कई जातियाँ विकसित हैं, जिनकी जीवन पद्धति जाति पर निर्भर है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित है तथा जाति वंशानुगत है।

(2) **सोपान व्यवस्था:** जातियाँ पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न धंधों पर बनी हैं। यह व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है, जिसमें सबसे ऊँची जाति को उच्च श्रेणी में रखा जाता है तथा अपवित्र धन्धा करने वाली जातियों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण का कार्य कर्मकाण्ड और शिक्षण देना है। इस व्यवसाय को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसी कारण सोपानिक व्यवस्था में इसे उच्च स्थान प्राप्त है। दूसरी ओर सफाईकर्मी का काम झाड़ू लगाना है इसलिए इन जातियों को सोपान में अपवित्र धन्धों की श्रेणी में रखा जाता है।

DIKSHANT IAS
Call us @ 7428092240

(3) **भोजन, खानपान और धूम्रपान पर प्रतिबन्ध:** सामान्यतया जातियाँ आपस में एक दूसरे का खानपान, एक ही पंगत में बैठना या मद्यपान या धूम्रपान करना स्वीकार नहीं करती। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण दूसरी जातियों से भोजन नहीं लेते। वास्तव में खानपान का सारा मसला बहुत जटिल है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में कान्य कुब्ज ब्राह्मणों में कई उप विभाजन है। कहा जाता है कि एक बारह कान्य कुब्ज और तेरह अंगीठियाँ अर्थात कान्य कुब्ज ब्राह्मण–ब्राह्मण तो है लेकिन वे कई उप श्रेणियों में बंटे हैं। खाने के दो प्रकार हैं: पक्का खाना यानी घी से पकाया हुआ खाना– इसमें पुड़ी, कचौड़ी और पुलाव है। दूसरा खाना कच्चा है, इसे केवल पानी द्वारा पकाया जाता है। इस खाने में चावल, दालें और शाक-सब्जी होते हैं। कुछ जातियों में केवल पक्का खाना ही खाने की अनुमति होती है। इस विभिन्नता के होते हुए भी ऊँची जातियों के लोग सामान्यतया नीची जातियों के हाथ का बना खाना स्वीकार नहीं करते। यही सिद्धान्त धूम्रपान पर भी लागू होता है।

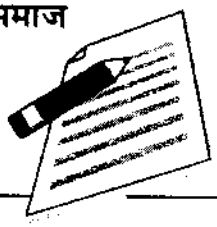

Notes

(4) **अन्तर्विवाह:** इसका अर्थ है कि एक जाति का सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करता। यह अन्तर्विवाह है। अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध है। इस प्रतिबन्ध के होते हुए भी पढ़े-लिखे लोग और विशेषकर शहरी क्षेत्रों के लोग धीरे-धीरे अन्तर्जातीय विवाह करने लगे हैं।

(5) **पवित्र और अपवित्र:** पवित्र और अपवित्र की अवधारणाएँ जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ हैं। इन अवधारणाओं का प्रयोग आदमी के कामकाज, व्यवसाय, भाषा, वेशभूषा और भोजन की आदतों से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए – मद्यपान करना, शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना, उच्च जातियों द्वारा छोड़े हुए भोजन को प्राप्त करना। ऐसे धन्धों में काम करना जो मरे हुए जानवरों को उठाता है, झाड़ू लगाना, गंदे कचरे को उठाना अपवित्र है। धन्धे के ये प्रतिबन्ध होते हुए भी आजकल ऊँची जातियाँ भी ऐसा काम करने लगी हैं। जूते के कारखाने में काम करना, ब्यूटी पार्लर में बाल काटने पर प्रतिबन्ध नहीं रहा।

(6) **व्यावसायिक संगठन:** सामान्यतया प्रत्येक जाति के कुछ निश्चित धन्धे होते हैं और वे इन धन्धों को छोड़ नहीं सकते। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों का काम पुरोहिती करना, पठन-पाठन करना, कायस्थ राजस्व के आंकड़ों को देखते हैं। बनिए व्यापार करते हैं। चमार मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ते हैं। आज औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के कारण कुछ लोगों ने अपने परम्परागत व्यवसायों को छोड़ दिया है। यह होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र में अब भी लोग परम्परागत व्यवसाय करते हैं। शहरों में भी कुछ नाई दिन में तो किसी दफ्तर में काम करते हैं परन्तु सुबह-शाम बाल काटने का धन्धा करते हैं।

DIKSHANTIAS
Call us @7428092240

(7) **नये सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक-धार्मिक निर्योग्यताएँ एवं अधिकार:** कुछ निम्न जातियों को आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। वे साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें सोने के आभूषण नहीं पहनने दिये जाते। वे छतरी लेकर बाजार में नहीं घूम सकते। ये सब व्यवहार के प्रतिमान आज बदल गये हैं।

(8) **रीतिरिवाज, पहनावा और बोलचाल में अन्तर:** हर एक जाति की अपने जीवन की एक निश्चित पद्धति होती है। इस जाति के रीतिरिवाज, पहनावा और बोलचाल होती है। उच्च जातियाँ साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करती हैं। जबकि निम्न जातियाँ स्थानीय बोली बोलती हैं।

(9) **संघर्ष का निदान करने के लिए कार्यपद्धति:** जब जातियों में संघर्ष होता है, तनाव होता है तो इसके लिए प्रत्येक जाति का एक परम्परागत तन्त्र होता है, जिनके माध्यम से तनाव में सुलह लायी जाती है। जातीय और अन्तर्जातीय झगड़ों को जाति पंचायत के माध्यम से हल किया जाता है।

पाठगत प्रश्न 27.1

कोष्ठक में दिये गये उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:

(1) पक्का खाना ..... द्वारा बनाया जाता है। (पत्तियाँ, पानी, घी)

(2) ब्राह्मणों का व्यवसाय.....है। (खाल पर काम करना, पुरोहिती, व्यवसाय)

(3) अछूतों की पहचान आजकल.....होती है।
(अन्य पिछड़े वर्ग, सवर्ण, दलित)

(4) जाति की सदस्यता..... होती है। (वंशानुगत, अर्जित)

27.2 जाति और वर्ण में अन्तर

जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज में चार वर्ण हैं। वर्णों का पहला उल्लेख ऋग्वेद में हैं, यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल में वर्ण थे। वर्ण का आशय रंग से हैं। प्रारम्भ में अछूत नहीं थे। वर्ण व्यवस्था प्रारम्भ में कठोर नहीं थी। वैदिक काल के बाद में यानी 1000 ई.पू. शुद्रों का उल्लेख है। इस भाँति 1000 ई. पू. वर्ण व्यवस्था प्रारम्भ हुई। ई. पू. दूसरी शताब्दी और उसके बाद विभिन्न व्यवसायों के कारण कई औद्योगिक समूह उत्पन्न हुए। देखा जाय तो वर्ण व्यवस्था भारतीय व्यवस्था का केवल पुस्तकीय दृष्टिकोण है। जबकि जाति व्यवस्था आज व्यावहारिक रूप में देखने को मिलती है। आज वर्ण नहीं मिलते, जातियाँ मिलती हैं। वर्ण तो केवल चार हैं लेकिन जातियाँ 4000 हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कोई 200 जातियाँ मिलती हैं। जातियों का सोपान सम्पूर्ण भारत में मिलता है यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर फिर क्षत्रिय, वैश्य और अंतिम स्थान पर शुद्र हैं। जातियों की यह सोपानिक व्यवस्था सारे देश में समान है लेकिन विभिन्न स्थानों पर यह सोपान बदल भी जाता है, आज की बदलती स्थिति कहीं पर ब्राह्मण शीर्ष स्थान पर है, दूसरे क्षेत्रों में कोई अन्य जाति जैसे कि राजपूत शीर्ष स्थान पर हैं। ऐसे भी स्थान हैं, जहाँ दलितों को ऊँचा स्थान मिलता है। आज की परिस्थिति में धर्मनिरपेक्ष लक्षण अर्थात् आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किसी भी जाति को शीर्ष स्थान दे देती है। वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं है। धार्मिक आधारों पर उच्च स्थान वर्णों में होता है जबकि अछूतों का वर्ण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से निम्न स्थान होता है। देश में कहीं भी उच्च जातियाँ सोपान में ऊपर नहीं समझी जाती। इसलिए किसी भी वर्ण और जाति को समान नहीं समझना चाहिए।

DIKSHANT IAS
Call us @ 7428092240

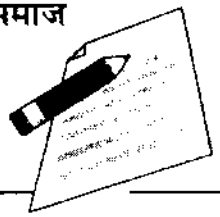

Notes

27.3 जाति और वर्ग में अन्तर

जाति एक वंशागत समूह है, और वर्ग की प्रकृति निरपेक्षता की है। वर्ग व्यवस्था में बहिर्विवाह और अन्तर्विवाह होते हैं। इसमें गतिशीलता ऊपर की ओर होती है या नीचे की ओर। इसमें व्यक्ति जिसमें पैदा हुआ है– उसमें रह सकता है तथा यह अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और आर्थिक समूह है। भारत में सामान्यतया तीन वर्ग पाये जाते हैं: उच्च, मध्यम एवं निम्न। प्रत्येक वर्ग दो भागों में बंटा होता है। एक भाग उच्च होता है तो दूसरा निम्न। इसी प्रकार उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। इसी तरह उच्च निम्न वर्ग और निम्न, निम्न वर्ग। वर्ग और जाति में बहुत बड़ा अन्तर यह है कि जाति कर्मकाण्ड पर निर्भर होती है जबकि वर्ग धर्मनिरपेक्ष होता है। कर्मकाण्ड में उच्चता का कारण धार्मिक मिथक है और धर्मनिरपेक्ष वर्णों का आशय आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक है। वर्ग चेतना पाई जाती है लेकिन जाति चेतना नहीं। अस्तु, शहरी क्षेत्रों में जातियों को भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है।

पाठगत प्रश्न 27.2

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

निम्नलिखित के जोड़े बनाइए:

(1) अखिल भारतीय	जाति
(2) अर्जित प्रस्थिति	वर्ग
(3) अछूत	वर्ण
(4) चार हजार समूह	दलित

27.4 जाति व्यवस्था में परिवर्तन

जाति व्यवस्था में सामान्य परिवर्तन पिछली दो शताब्दियों में आए हैं। इनमें विशेष परिवर्तन पचास वर्षों में आया है। इस परिवर्तन के कारण संस्कृतीकरण, पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण, प्रभव जाति, औद्योगीकरण, नगरीकरण, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था में आने वाले परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में रखा जा सकता है:

(1) **संस्कृतीकरण:** यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें निम्न जाति के लोग ऊँची जातियों के व्यवहार, प्रतिमान, जीवन पद्धति, संस्कृति आदि का अनुकरण करते

हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपने अपवित्र व्यवसाय और अपवित्र आदतों को जैसे कि मांसाहार और मद्यमान छोड़ना पड़ता है। पिछले दिनों में अछूतों को इस तरह सांस्कृतिक सुधार करने का अवसर नहीं था। केवल मध्यम वर्ग की जातियाँ ही यह सुधार कर सकती थी। संस्कृतिकरण के लिए एक जाति में दशाएँ होनी चाहिए: (क) जातियों में सवर्ण जाति होने की संभावना हो, (ख) इस जाति की आर्थिक अवस्था बढ़िया होनी चाहिए, (ग) इस जाति के खाते में कुछ ऐसे मिथक होने चाहिए, जो उन्हें ऊँचा स्थान दे सकें। इस भाँति संस्कृतिकरण में व्यक्ति में सुधार होना महत्वपूर्ण नहीं है, सम्पूर्ण समूह में सुधार होना चाहिए। संस्कृतिकरण एक लम्बी प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन एकाएक नहीं आता। व्यक्ति का परिवर्तन तो प्रस्थितिजनक होता है। आवश्यक यह है कि एक निश्चित जाति का सम्पूर्ण जाति व्यवस्था में विलय। इस भाँति इस प्रक्रिया में निम्न जातियाँ देश के विभिन्न भागों में छोटी स्थिति से उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं।

आगरा के जाटव अपने आपको 1940 के दशक में ऊँचा बनाना चाहते थे। जाति से वे चमार हैं। ब्रिटिश युग में एक समय ऐसा था जब जूतों की मांग बढ़ गयी थी। इस काल में जाटव आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गये। उनकी स्थिति क्षत्रियों के बराबर हो गयी। इन जाटवों ने एक मिथक प्रसारित किया: रामायण काल में जिसे स्वामी आत्माराम ने लिखा था कि जाटव त्रेता युग में क्षत्रीय थे। जब परशुराम क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, तब जाटव जंगल में छिप गये और अपने आपको बचाने के लिए वे जानवर की खाल के साथ काम करने लगे। जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी तब उन्होंने खाल के धन्धे को अपना लिया। अब क्योंकि जाटव पैसे वाले हो गये हैं वे अपने आपको क्षत्रीय कहते हैं। हुआ यूँ कि जाटव वास्तव में क्षत्रीय थे और परशुराम के क्षत्रिय संहार से बचने के लिए चमार हो गये। लेकिन चमार के धन्धे में उन्हें लाभ था, इसलिए आज वे अपने आप को क्षत्रीय बताते हैं। आगरा के स्थानीय जाटवों ने इसे स्वीकार नहीं किया, बाद में ये स्थानीय जाटव संगठित हो गये और इन्होंने अपने आपको राजनीति के क्षेत्र में एक वोट बैंक के रूप में स्थापित किया। इस भाँति असफल संस्कृतिकरण ने जाटवों के लिए उच्च गतिविधि का रास्ता खोल दिया।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(2) **पश्चिमीकरण:** पश्चिमीकरण का आशय पश्चिमी जीवन पद्धति, भाषा, पोशाक और व्यवहार के प्रतिमान को कहते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिमीकरण के निम्न लक्षण है: (1) विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अर्थात, वैज्ञानिक और लक्ष्यपरक नजरिया (2) भौतिक प्रगति में रुचि, (3) आज के भारत में संचार प्रक्रिया और मास मीडिया में विश्वास (4) अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा (5) उच्च सामाजिक गतिशीलता। उच्च जातियों ने पहले अपने स्वयं का पश्चिमीकरण किया। बाद में निम्न जातियों ने भी पश्चिमीकरण को अपनाया।

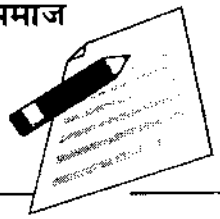

Notes

इस प्रक्रिया ने जाति की कठोरता को बदल दिया और यह लचीली व्यवस्था बन गई खास करके ऐसा नगरीय क्षेत्रों में हुआ।

(3) **आधुनिकीकरण:** यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसका भरोसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है। इस प्रक्रिया में विवेकपूर्ण अभिवृत्तियाँ होती हैं। उच्च सामाजिक गतिशीलता होती है। सम्पूर्ण जनसमूह का परिवर्तन होता है। लोगों का स्वतन्त्रता में विश्वास होता है, समानता और बंधुत्व आते हैं, इस प्रक्रिया में लोग भागीदारी करते हैं। आधुनिकीकरण में संस्थाओं, संरचनाओं, अभिवृत्तियों आदि के क्षेत्र में सामाजिक-सांस्कृतिक और वैयक्तिक स्तर पर परिवर्तन आता है। शहरों में जातियाँ धीरे-धीरे वर्ग बन रही है। हमारे यहाँ मध्यम वर्ग राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं नये उद्देश्यों को लेकर आगे आ रही है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण की तुलना में अधिक विशाल अवधारणा है। कोई भी एक संस्कृति पश्चिमी मूल्यों को लेकर अपने आपको आधुनिक कर सकती है। हमारे देश के लिए यह कहा जा सकता है कि हम परम्पराओं को छोड़े बिना भी आधुनिक हो सकते हैं। हमारी जाति वयवस्था ने कई आधुनिक तौर-तरीकों को अपना लिया है। ऐसा करने में हमने लोगों को शिक्षा-दीक्षा दी है, औपचारिक संगठन बनाये हैं तथा लोगों को यह चेतना दी है कि हम आधुनिक हो रहे हैं।

(4) **प्रभवजाति:** 20वीं शताब्दी में प्रभवजाति की अवधारणा ग्रामीण अध्ययनों के परिणामस्वरूप हमारे सामने आयी है। इसका मतलब हैं कि गाँव की कुछ जातियाँ आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी हो जाती हैं और वे एक क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। सामान्यतया प्रभव जाति वह है, जिसके पास (क) अपने क्षेत्र में कृषि भूमि अधिक होती है, दूसरे शब्दों में यह जाति आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होती है। (ख) प्रभव जाति राजनैतिक रूप में यानी वोट बैंक की तरह शक्तिशाली होती है। (ग) इस जाति की जनसंख्या अधिक होती है। (घ) इस जाति का कर्मकाण्ड में ऊँचा स्थान होता है। (ङ) इस जाति में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े-लिखे लोग होते हैं। (च) यह जाति कृषि के क्षेत्र में अग्रणी होती है। (छ) यह जाति शारीरिक दृष्टि से बाहुबलियों की होती है। यह होते हुए भी प्रभव जाति का दायरा केवल उच्च जातियों तक ही नहीं होता। प्रभव जाति निम्न जातियों में भी पायी जाती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(5) **औद्योगीकरण और नगरीकरण:** इन दोनों प्रक्रियाओं ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है। लोगों का स्थानान्तरण गाँवों से शहरों की ओर औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण हुआ है। शहरों में जाति के सख्त नियमों का पालन करना संभव नहीं है। आज के समय में शहरों में कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे कि बस, रेल, होटल, ऑफिस, कैन्टीन आदि जहाँ जाति के प्रतिबन्धों को लागू करना संभव नहीं है। इसी कारण जाति को एक लचीला समूह बना दिया गया है।

(6) **प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण:** पंचायतराज, स्वायत्तशासी संगठनों के गाँवों में

स्थापित होने से स्थिति बदल गयी है। पंचायती राज में आरक्षण है और इसने निम्न जातियों को सशक्त बना दिया है।

(7) **जाति एवं राजनीति:** जाति एवं राजनीति का सम्बन्ध कोई आज से नहीं है। वर्ण व्यवस्था के युग में ब्राह्मणों का प्रभावी होना सामान्य बात थी। यह कहा जाता है कि जाति एवं राजनीति का चोली दामन का साथ है। राजनीति जातियों को वोट बैंक में बदल देती है। अब जातियों को राजनीति के साथ में जोड़ा जाता है। जाति एवं राजनीति के सम्बन्ध में निम्न जातियों को शक्तिशाली बना दिया है। अब जातियों को चुनाव के माध्यम से अपने आपको ताकतवर बनाने का अवसर मिल गया है। दलित जाति इसका प्रमाण है। जहाँ दलित प्रभावशाली हैं वहाँ विभिन्न राज्यों में दलितों में धड़बन्दी हो गयी है। इस धड़बन्दी के कारण निम्न जातियाँ उच्च जातियों के साथ संघर्ष में भी आ जाती हैं। देश के कई क्षेत्रों में उच्च व निम्न जातियाँ परस्पर विरोधी हैं। ऐसा लगता है कि यह संक्रमण काल है। अच्छी शिक्षा, जनजागृति के कार्यक्रम, रोजगार के अवसर, भारतीय समाज को एक उन्नत समाज की ओर ले जायेंगे।

(8) **जाति और अर्थव्यवस्था:** परम्परागत रूप से यह कहा जाता था कि विशेष प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए उपयुक्त थी। यह और कुछ न होकर जजमानी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था परम्परागत थी। जजमानी व्यवस्था में जो सेवा देने वाली जातियाँ थी, वे कमीन थी। कमीन उच्च जातियों यानी जजमान को सेवा देती थी। कमीन के पास धन्धों की विशेष कुशलता थी और इसे देने के बदले में जजमान उन्हें यानी कमीनों को अनाज या नकद मुद्रा देते थे। इस तरह गाँवों में कमीन और जजमान के प्रकार्यात्मक सम्बन्ध थे। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था के प्रवेश और भूमि सुधारों ने जजमानी व्यवस्था को कमजोर कर दिया है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

इस तरह से जाति व्यवस्था में कई परिवर्तन आये हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग जातियों के मानदण्डों को नहीं मानते। जाति के क्षेत्र में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य बदलने से रह गया है तो यह अन्तर्वैवाहिकी है। आज भी जातियाँ अन्तर्विवाही समूह हैं। यह भी देखने में आया है कि अब अन्तर्जातीय और अन्तर्विवाह होने लगे हैं।

पाठगत प्रश्न 27.3

कोष्ठक में दिये गये उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:

(1) संस्कृतिकरण से अभिप्राय है कि ..... जाति उच्च जाति हो जाती है। (निम्न, मध्यम, उच्च)

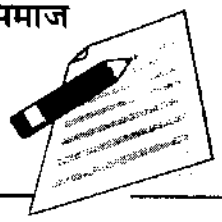

Notes

(2) पश्चिमीकरण से तात्पर्य है कि ..... मूल्यों को अपनाना। (जापानी, पाश्चात्य, भारतीय)।

(3) आधुनिकीकरण से अभिप्राय यह है कि हमें..... दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। (परम्परागत, अनुदारवादी, तार्किक)

(4) प्रभव जाति की ..... जनसंख्या होती है। (अधिक, कम, बहुत कम,)

आपने क्या सीखा

- इस पाठ में आपने भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य आधार जाति व्यवस्था के बारे में जाना।
- भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक पुरानी व्यवस्था है।
- पिछले दिनों में इस व्यवस्था ने वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय द्वारा विभिन्न समूहों में सौहार्दता का वातावरण पैदा किया है।
- सौहार्द के होते हुए भी अस्पृश्यता के कारण इसकी आलोचना भी हुई है।
- संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और शहरीकरण के कारण जाति व्यवस्था में कई परिवर्तन आये हैं।
- शहरी क्षेत्रों में जाति व्यवस्था में ये सब परिवर्तन दिखायी देते हैं। जातियों में वर्ग व्यवस्था भी आ गयी है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428002240

पाठान्त प्रश्न

(1) वर्ण और जाति में क्या अन्तर है?

---

(2) जाति और वर्ग के अन्तर की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

---

(3) संस्कृतिकरण किसे कहते हैं?

---

(4) प्रभव जाति के लक्षणों की विवेचना कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

27.1

(1) वर्ण

(2) वर्ग

(3) दलित

(4) जाति

27.2

(1) घी

(2) पुरोहिती

(3) दलित

(4) वंशानुगत

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

27.3

(1) निम्न

(2) पाश्चात्य

(3) तार्किक

(4) बड़ा

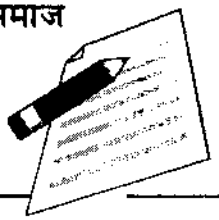

28

भारत में प्रमुख धार्मिक समुदाय

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

भारत में कई धार्मिक समुदाय हैं। लाखों लोग भारत में उपजाऊ जमीन के लिए अच्छे स्रोतों और अवसरों के लिए तथा निर्दयी राज्यों से बचने के लिए यहाँ आये। साथ ही वे कई संस्कृतियों को भी लाये। इन संस्कृतियों का एक भाग धर्म था। मोटे तौर पर भारतीय धर्मों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है – वे धर्म जिनकी उत्पत्ति स्थानीय है, दूसरे वे जो विश्व के अन्य भागों से यहाँ आये। धर्मों की स्थानीय श्रेणी में हम हिन्दू धर्म को रख सकते हैं और वे धार्मिक आंदोलन जो भारत की भूमि पर पैदा हुए, बाद में चलकर स्वतन्त्र धर्म बन गये। इन धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म हैं। दूसरी श्रेणी के धर्मों में जरदूस्त्र, यहूदी धर्म, इसाई और इस्लाम हैं। भारत में कोई धर्म अपनी पृथकता नहीं निभा सका। हमारे यहाँ ये धर्म बाहर से पैदा हुए धर्मों से पृथक नहीं रह पाये। स्थानीय और बाहरी धर्मों के मिलन से भारत की संस्कृति सांझा बन गयी।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- भारत के विभिन्न धर्मों की विशेषताओं को जान सकेंगे;
- विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की अन्त:क्रिया की प्रकृति को समझ सकेंगे; और
- भारत में पाये जाने वाले धर्मों की विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे।

28.1 धर्म

सबसे पुराने धर्म की विशेषताएँ और अपेक्षित रूप से नये धर्मों के लक्षण नीचे दिये जा रहे हैं।

28.1.1 हिन्दू धर्म

भारत की लगभग 83 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू है। भारत से बाहर भी हिन्दू एशिया के अन्य देशों में पाये जाते हैं। अफ्रीका, फीजी और ब्रिटेन में भी हिन्दुओं का निवास है।

हिन्दू धर्म विश्व के सबसे अधिक प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें ई.पू. 3000 वर्ष पहले सिन्धु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती हैं। पुरातत्वविद यह बताते हैं कि इस सभ्यता में लोग शिव और शक्ति की उपासना करते थे। इस उपासना की अवधि आर्यों से पहले 3000-2000 ई. पू. है। इतनी लम्बी अवधि के धर्म में स्पष्ट रूप से हिन्दू धर्म में बहुत बड़ी विभिन्नता है। किसी अन्य धर्म के विचारों और व्यवहार में उतनी विभिन्नता नहीं होगी।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

हिन्दू धर्म की शिक्षा किसी एक पवित्र पुस्तक में नहीं है। इस धर्म का कोई भी एक संस्थापक नहीं है। हिन्दू अगणित देवी-देवताओं को पूजते हैं, इसके बावजूद उनमें एक ईश्वर की अवधारणा है। इसी में से सब कुछ पैदा होता है और इसी में सब समाहित हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ हिन्दू धर्म बहुदेववादी (एक से अधिक देवी-देवताओं की उपासना) है। दूसरी ओर यह एक देववादी है, जहां एक ही देवता की पूजा की जाती है। यह जानना बहुत रुचिकर है कि हिन्दू होने के लिए किसी को भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना जरूरी है। इसके विपरीत हिन्दू धर्म में कई परस्पर विरोधी विश्वास पाये जाते हैं। इस धर्म में कोई विशेष विश्वास और व्यवहार नहीं है जो सभी हिन्दुओं में समान रूप से पाया जाय। इस धर्म में बहुत बड़ा पवित्र साहित्य है जैसे कि वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन आदि हिन्दू धर्म के अंग हैं। ये ग्रन्थ दार्शनिक मुद्दों पर विचार करते हैं। कई कर्मकाण्ड हैं जो मंदिरों और घरों में सम्पन्न किये जाते हैं। ये ग्रन्थ उपनिषदों, कर्मकाण्डों का विवेचन करते हैं और इन सबमें बड़ी विविधता है। हिन्दू धर्म का हिन्दू समाज से निकट सम्बन्ध है, ऐसी अवस्था में यह बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कौनसा ग्रन्थ समाप्त होता है और कौन सा प्रारम्भ। वास्तव में कुछ लेखकों का यह कहना सही है कि *हिन्दू धर्म को हमें एक जीवन पद्धति की तरह समझना चाहिए।* हिन्दू धर्म का सामाजिक आधार जाति व्यवस्था है। ऋग्वेद का कहना है कि जाति व्यवस्था का उद्गम ईश्वर से है। चार वर्णों की समाजिक श्रेणी पुरुष से हुई है। वर्णों की उत्पत्ति में अछूत श्रेणी को कोई स्थान नहीं था। जाति व्यवस्था का चार वर्णों का यह मॉडल इसी कारण चतुर्वर्ण कहलाता है।

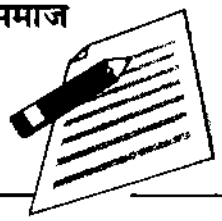

वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ चार वर्ण नहीं कई जातियाँ हैं जो कि अन्तर्वैवाहिकी है। अर्थात व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है। प्रत्येक जाति के अपने-अपने व्यवसाय हैं। जब हिन्दू शास्त्रों में जाति का उल्लेख किया जाता है, तब इसका मतलब वर्ण से होता है। हिन्दू धर्म के मूल में केन्द्रीय भावना पवित्र और अपवित्र की है और इसलिए एक जाति दूसरी जाति से भिन्न है।

कुछ अवधारणाएँ जो हिन्दू धर्म की केन्द्रीय अवधारणाएँ हैं उन्हें **धर्म, कर्म** और **मोक्ष** कहते हैं। धर्म शब्द का आशय है **कर्म**। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी जाति, लिंग और उम्र के अनुसार जो धर्म दिया है उसे करना चाहिए। पिछले जन्मों में मनुष्य ने जो भी कार्य किया है उसी के अनुसार, व्यक्ति या जानवर पर इस तरह से जन्मों का चक्र चलता रहता है। जन्मों के इस चक्र से उसे स्थायी मुक्ति नहीं मिल सकती। यह मुक्ति तो मोक्ष द्वारा ही मिलती है और इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। और यह मोक्ष तभी मिलता है जब वह गृहस्थ जीवन के सभी कर्त्तव्यों को पूरा कर लेता है।

हिन्दू धर्म के इतिहास में कई परिवर्तन आये हैं। अंग्रेजों ने कई हिन्दू रीति-रिवाजों, संस्थाओं की निन्दा की है, उदाहरण के लिए अस्पृश्यता, सती, नरबलि, स्त्री शिशुहत्या इत्यादि। 19वीं शताब्दी के कई महान् धर्म सुधारक हैं। राजा राममोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। वे कहते हैं कि हमें पुन: वैदिक धर्म की ओर जाना चाहिए तथा जो बुरे रीति-रिवाज हिन्दू धर्म में हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। इन धार्मिक सुधारकों में दयानन्द सरस्वती भी थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसमें इन्होंने बताया कि हिन्दुओं को वैदिक धर्म की ओर पुन: लौटना चाहिए। दूसरे परिवर्तन जो हिन्दू धर्म में आये हैं इनका कारण धर्म निरपेक्षता, समानता और विवेक है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

28.1.2 पारसी धर्म

पारसी धर्म लगभग 3000 वर्ष पुराना है। पुराने धर्मों में यही एक ऐसा धर्म है, जो जीवित है। इस्लाम के आने से पहले पारसी धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म की तरह आया तथा इसकी आज भी पहचान है। इस धर्म की जड़ें पूर्वी इरान, आदिवासी और मूल रूप से चरवाहों के समाज में पायी जाती है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 1000 वर्ष पूर्व हुई और इरानी साम्राज्य के विकास के साथ यह धर्म जुड़ा हुआ है।

यह धर्म संभवत: पहली शताब्दी में था, इसके संस्थापक जोराक्टर में हैं। कहा जाता है कि जिस समय इसका जन्म हुआ संसार पापी लोगों के हाथ में था। इस पाप को देखकर पृथ्वी माता सर्व-शक्तिमान के सामने गयी। तब धरती माता का स्वरूप गाय

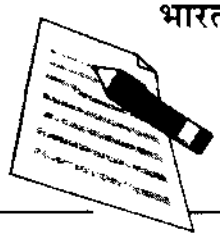

का था। ईश्वर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि दुनियाँ में जो बुराइयाँ हैं उन्हें नष्ट करने के लिए वह एक यशस्वी व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा और उसका नाम जोरास्टर होगा। कहा जाता है कि इरान के राइ शहर में जोरास्टर पैदा हुआ। यह डर था कि वहाँ का निर्दयी राजा जोरास्टर को मार देगा तब उसे उसके नाना के घर भेज दिया गया। जोरास्टर ने जो धर्म बनाया उसे अहुरामजदा कहते हैं। मजदा का मतलब है ज्ञानी ईश्वर। मजदा का कोई स्वरूप नहीं है। वह निराकार है, उसके उपदेशों को *गथा* में रखा गया है।

पारसी धर्म में पृथ्वी का स्थान बहुत बड़ा है। यह समझा जाता है कि पृथ्वी ही मनुष्य मात्र को जीवित रखती है। जीवन में पारसी पृथ्वी को अपना सब कुछ मानकर चलता है, अपनी मृत्यु के बाद वह पुन: पृथ्वी के पास आ जाता है। अग्नि किसी भी पारसी का बाहरी प्रतीक है। एक पारसी को यह उपदेश दिया गया है कि उसे अग्नि की पूजा करनी चाहिए और अग्नि परमात्मा की ही उपज है। इसी कारण पारसी कभी भी अपने शरीर को जलाते नहीं हैं, यह इसलिए नहीं किया जाता कि यदि शरीर को अग्नि से जोड़ दिया जाये तो यह अपवित्र शरीर अग्नि को अपवित्र कर देगा। इसी कारण पारसी न तो मृत शरीर को जलाते हैं और न ही उसका जल दाह करते हैं। मरने के बाद शरीर को दीवारों से बने हुए कुएँ में जो आकाश की ओर खुला होता है, डाल दिया जाता है। इसको दखमा कहते हैं। यहाँ पर मृत शरीर को खुला छोड़ दिया जाता है, जिसे पक्षी खा जाते हैं और शरीर की हड्डियां सूरज, पानी और वायु से समाप्त हो जाती हैं। दखमा को टावर भी कहते हैं। और टावर में जो भी हड्डियां होती हैं वे पृथ्वी माता में समा जाती है। पारसी धर्म में दो महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक हैं – पृथ्वी और अग्नि। ये दोनों ही पवित्र हैं। इरान के लोगों ने अपने धर्म को पारसी धर्म भी कहा है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पारसी धर्म भारत में 8वीं शताब्दी में आया। पारसियों का समाज बहुत छोटा है, आज इनकी जनसंख्या एक लाख के बराबर है। पारसी प्राय: भारत के पश्चिमी भाग में पाये जाते हैं। पारसियों में कुछ परिवारों ने औद्योगिक सफलता पायी है। टाटा पारसी हैं, इसी तरह गोदरेज। कहा जाता है कि भारत में आधुनिकीकरण के पुरोधा पारसी रहे हैं। देश में ऐसे कई समुदाय हैं, जो पारसियों को अपना आदर्श मानते हैं।

पाठगत प्रश्न 28.1

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(1) भारत में हिन्दुओं की अनुमानित जनसंख्या कितनी है?

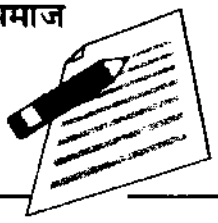

Notes

(2) हिन्दू विश्व में और कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं?

---

(3) किस सभ्यता में हिन्दू धर्म की जड़ें पायी जाती हैं?

---

(4) इस्लाम से पहले इरान का कौन सा धर्म था?

---

(5) भारत में पारसी कहाँ पाये जाते हैं?

28.1.3 बौद्ध धर्म

सम्राट अशोक के शासन काल (273-236 ई. पू.) में बौद्ध धर्म ने भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया । बौद्ध धर्म के लिए मिशनरी अंदाज में प्रचार होने के कारण यह धर्म सारे भारत में फैल गया। स्वयं अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों में भेजा। भारत के बाहर भी यह धर्म फैल गया और 12वीं शताब्दी में इसका प्रसार दूसरे देशों में भी हो गया। उत्तरी भारत में हर्ष वर्धन तथा पाल सम्राटों ने बौद्ध धर्म को एक शक्तिशाली संरक्षण दिया। लेकिन अन्य राजकीय परिवारों ने ब्राह्मण धर्म को अपना सम्प्रदाय माना।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाल सम्राटों के काल में यह विश्वास बंध गया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी तान्त्रिक विद्याओं को काम में लाने लगे और यह इस धर्म का पतन का कारण था। इस तरह बौद्ध धर्म की व्याख्या स्वीकार नहीं की जाती। देखा जाय तो बौद्ध धर्म के शक्तिशाली केन्द्र विहार थे। बाद में चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को नष्ट कर दिया और इस तरह बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में ये विहार समाप्त होने लगे। इधर दूसरी ओर हिन्दू धर्म ने भी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने से रोक दिया। केवल यही नहीं हिन्दू धर्म ने प्राच्य विद्या को आगे बढ़ाया। साथ ही हिन्दू धर्म ने बौद्ध धर्म की रीति-रिवाजों को अपना लिया।

आज बौद्ध धर्म को नेपाल में ही राज धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसके पुरोहितों को तान्त्रिक पुरोहित भी कहते हैं। ये तान्त्रिक पुरोहित विवाहित होते हैं। बौद्धों के इस सम्प्रदाय को वेज्राचार्य बौद्ध भी कहते हैं। यह सम्प्रदाय जो तिब्बत का है, अपनी उत्पत्ति को लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल से भी जोड़ता है। भारत में तिब्बती शरणार्थियों के साथ भी इस सम्प्रदाय को जोड़ा जाता है। यह शरणार्थी भारत के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं।

भारत के उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे प्रयास भी किये जा रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को पुनरुद्धार के प्रयास भी करते हैं। वास्तव में एक सिंहली साधु-अंगरिका देशपाण्डे ने 1891 में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए संस्था बनायी थी। इस संस्था का नाम महाबोधि समाज रखा गया था और इसने बौद्ध शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। इस संस्था ने बौध गया के मंदिर की मरम्मत की। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विकास 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। उनके साथ महारो ने हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अम्बेडकर इसी समुदाय के थे। महार के अतिरिक्त आगरा में चमड़े का काम करने वाले जाटवों ने भी थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। इन बौद्धों को प्राय: नव बौद्ध भी कहते हैं। इस नये बौद्ध धर्म से प्रभावित लोग अम्बेडकर को *बोधिसत्व अम्बेडकर* भी कहते हैं। अर्वाचीन भारत में ये सभी प्रकार के बौद्ध 0.8 प्रतिशत हैं।

28.1.4 जैन धर्म

भारत में जैन धर्म अपेक्षित रूप से बहुत थोड़े आकार में हैं। इनकी संख्या भारत में कुल जनसंख्या का एक-डेढ़ प्रतिशत है। वैसे इनका फैलाव सम्पूर्ण भारत में है। ये मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पाये जाते हैं। इसकी स्थापना महावीर वर्धमान ने की थी और यह स्थापना 540 ई. पू. 468 ई. पू. में हुई थी। जैन धर्म का भारत में नहीं अपितु विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म ने जैन धर्म के केन्द्रीय सिद्धान्तों को अपनाया। बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा को स्वीकार किया तथा इस तरह भारतीय संस्कृति के ये दो प्राथमिक सिद्धान्त रहे। मध्यकाल में जैन सिद्धान्तों ने हिन्दू सम्प्रदायों को प्रभावित किया। आधुनिक भारत में वाणिज्यिक और राजनीतिक जीवन में बड़े प्रभाव डाले हैं। गांधीजी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से जैन धर्म का प्रभाव था। इसीलिए उन्होंने अहिंसा को अपना सिद्धान्त बनाया।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

यद्यपि जैन धर्म के अनुयायी कम हैं लेकिन उससे प्रभावित लोग बहुत ज्यादा हैं। जैन धर्म ने अपने सिद्धान्तों को कोई 2500 वर्षों तक चलाया। इस धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक साहित्य है। यह धर्म, धार्मिक महत्व के बहुत सारे ग्रन्थ जो जैन साधुओं ने बनाये हैं उनको सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझता है और इसी कारण इस धर्म में कई धार्मिक ग्रन्थ हैं। जैन धर्म का बुनियादी विचार यह है कि वे कार्य जो एक व्यक्ति ने किये हैं उसके उद्धार के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति को जन्म से जो भी अर्जित प्रस्थिति मिली है, वह बेमतलब है। वे इस तथ्य में विश्वास रखते हैं कि त्रिरतन-सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक चरित्र-वह उन्हें संसार से मुक्ति प्रदान करेगा।

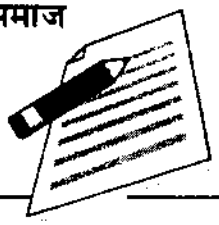

Notes

जैन धर्म के मानने वालों का ऐसा संगठन है– जिसमें साधु, साध्वियां, सामान्य आदमी और सामान्य स्त्रियाँ होती हैं। साधु और साध्वियां सम्प्रदाय के नियमों का पालन बहुत सख्ती से करते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति धर्मग्रन्थों के अनुसार आचरण करते हैं। एक जैन धर्मावलम्बी को किसी के जीवन को आहत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपवित्र जीवन नहीं बिताना चाहिए, रात्रि भोजन निषेध, उन्हें जड़ मूल वाली सब्जी जैसे आलू, प्याज, लहसुन आदि नहीं खानी चाहिए या जिसके कई बीज हैं। यद्यपि जैन दो भागों में बंटे हैं – दिगम्बर और स्वेताम्बर। अधिकांश सिद्धान्त दोनों के लिए समान हैं। दोनों में अन्तर यह है कि दिगम्बर वस्त्रहीन, श्वेताम्बर सफेद वस्त्र पहनते हैं। यह पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होता है। जैन धर्मावलम्बियों में यह परिवर्तन 79वीं ई० के बाद हुआ।

जैन कई जातियों में बंटे हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जातियाँ 60 से कम नहीं हैं। अधिकांश जैन धर्मावलम्बी व्यवसायी हैं। परन्तु कुछ धर्मावलम्बी अन्य धन्धे भी करते हैं जैसे कि कृषि और नौकरी। दक्षिण भारत में जैन चार समूहों में बंटे हैं। एक समूह मूर्तिपूजन – यह जाति हिन्दुओं के ब्राह्मणों की तरह है। जैनियों का यह बहुत बड़ा सम्प्रदाय अन्य जैनियों के साथ बैठकर खाना खाता है। सच्चाई यह है कि जैन जहाँ भी रहते हैं, अन्य लोगों के रीति-रिवाजों को अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात की कुछ जैन जातियों ने अनुलोम विवाह को स्वीकार कर लिया है अर्थात् यहाँ गुजराती जैन निम्न जातियों की स्त्री से भी विवाह कर लेते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

जैन धर्म के लम्बे इतिहास में कई सुधार आंदोलन भी हुए हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य परम्परागत विवाह को बनाए रखना है। अर्थात जैन धर्मावलम्बियों को अन्तर्वैवाहिक समूह की तरह रहना है। जैनियों को हिन्दुओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अगर करना ही हो तब जैन धर्म की अन्य जातियों में करें। कुछ जैन जातियों ने हिन्दू देवी-देवताओं की उपासना प्रारम्भ कर दी है। इसे छोड़ देना चाहिए। इस तरह का सुधार आंदोलन भारत के कुछ हिस्सों में सफल रहा है।

पाठगत प्रश्न 28.2

निम्न में से कौन सा कथन सही अथवा गलत है, लिखिए:

(क) हर्षवर्धन और पाल सम्राटों ने बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा संरक्षण दिया। ( )

(ख) कुछ विद्वान बौद्ध धर्म को शान्तिप्रिय और सुरक्षित मानते हैं। ( )

(ग) भारत की जनसंख्या का 25 प्रतिशत बौद्ध हैं। ( )

(घ) जैन 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। ( )

(ङ) भारत में तिब्बती शरणार्थी जैन धर्म को मानते हैं। ( )

28.1.5 इसाई धर्म

इसाई धर्म एकेश्वरवादी है। इसमें सभी कार्य यीशु से प्रभावित दया से जुड़ा है। इसाई धर्म एक ऐतिहासिक धर्म है। इसका उद्‌गम यहूदी धर्म से है। इसाईयों का विश्वास है कि ईश्वर वह है जो यीशु न जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर कहा है। इसाई पुनर्जन्म की बात उस घटना के साथ जोड़ते हैं जब मर जाने के तीन दिन बाद यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गये, उन्हीं को इसाई अपना ईश्वर समझते हैं। यह यीशु मसीह के साथ ही इसाई धर्म का प्रारम्भ माना गया है।

अपने 2000 वर्षों के इतिहास में इसाई धर्म ने अपनी अभिव्यक्ति विश्व में विभिन्न प्रकारों से की है। यह धर्म बहुत अधिक विभिन्नता का है क्योंकि इसके मानने वाले लाखों की तादात में हैं। इस धर्म के मानने वाले अनगिनत हैं फिर भी इस विभिन्नता में इसके कुछ सिद्धान्त सभी मानते हैं। इसाई धर्म विश्वास करता है कि परमात्मा ने यह बता दिया है कि कौन सी वस्तु उनके लिए बढ़िया है। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर तक पहुँचना चाहता है, उसे मानना चाहिए कि परमात्मा का अस्तित्व है और वह उन्हें पारितोषिक देता है जो उसकी खोज करते हैं। इसाई धर्म का केन्द्रीय विश्वास यह है कि विश्व में तीन वस्तुएँ हमेशा के लिए हैं: विश्वास, आशा और प्रेम। इन सबमें बहुत बड़ी वस्तु विश्व में अस्तित्व रखने वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं उनके लिए प्यार। हर एक व्यक्ति को ईसा मशीह के पिता यानी ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यह ईश्वर ही जीवन में जो अच्छा है, उसका स्रोत हैं और जीवन जो आने वाला है उसका भी स्रोत रहेगा।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

फिलिस्तीन को छोड़कर इसाई धर्म किसी भी देश की तुलना में भारत में यह सबसे पुराना धर्म है, रोम से भी प्राचीन-इसाई धर्म भारत में दो मुख्य आंदोलनों द्वारा अया और इन आंदोलनों का अंतराल लगभग 1000 वर्ष है। पहला आंदोलन ईसा मसीह के मरने के बाद की प्रारम्भिक शताब्दियों में हुआ। जब इसाई पर्यटक उद्योग के रास्तों से केरल के तट पर बसे । यहाँ इन पर्यटकों ने तटीय क्षेत्रों में इसाईयों के स्थायी समूह बनाए। इन लोगों का विश्वास है कि एपोस्टल थॉमस ने स्वयं यहाँ की चर्च को बनाया। ईसा की चौथी शताब्दी में इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ चर्च थे। यह भी पता लगा है कि इन चर्चों की विशेषता सिरीक भाषा के माध्यम से बनी हुई है, इनमें बिशप मेसेपोटामिया से आते थे। इसाईयों के इस समूह को सीरीयन इसाई कहते हैं।

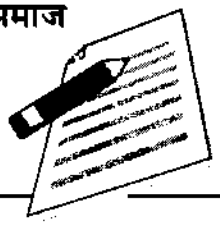

इसाईयों के भारत में आने का दूसरा आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुआ, जब औद्योगिक केन्द्रों के माध्यम से यूरोप के यात्रियों को यहाँ का राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। यह आंदोलन भारत के सम्पूर्ण उप महाद्वीप में देखने को मिला। 1510 ई॰ में पुर्तगाल ने गोवा का आधिपत्य अपने पास ले लिया। इन पर्यटकों का विश्वास था कि वाणिज्य और धर्मान्तरण निकटता से जुड़े हुए हैं। मिशनरी जो पेशेवर रूप से स्थानीय लोगों का धर्मान्तरण करते थे, उन्होंने इस धर्म के भारत में लाने का दोबारा प्रयास किया। 16वीं शताब्दी के अन्त में इसाईयों को कुछ विशेष अधिकार मिले और अधिकांश इसाई रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य बन गये। डेनमार्क के राजा की सहायता से धर्म के इस क्षेत्र में 1706 में प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बियों का प्रवेश हुआ। 1858 ई॰ में जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाया तब इसाई धर्म यहाँ विकसित हुआ। आज भारत में इसाईयों की जनसंख्या लगभग 3 प्रतिशत है।

इसाई मिशनरी सामान्यतया भारत की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के विरोधी थे। यानी वे जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। खिलाफ होने पर भी किसी वैकल्पिक व्यवस्था को वे नहीं बना सके। जिन लोगों का धर्मान्तरण हुआ, वे प्राय: निम्न जातियों के थे। यद्यपि उन्होंने इसाई धर्म को अपना लिया, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में उनका दर्जा नहीं बदला। ऊँची जातियों ने अपने व्यवहार में कोई अन्तर नहीं किया। इसाई धर्मान्तरण के पहले उच्च जातियाँ जो व्यवहार निम्न जातियों के साथ करती थीं, धर्मान्तरण के बाद वही व्यवहार चलता रहा। उत्तर-पूर्व में रहने वाले आदिवासियों के साथ भी यही सलूक हुआ। अत: जिन जातियों ने इसाई धर्म को अपनाया उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य आये। इनमें शिक्षा लोकप्रिय हुई। इसाई मिशनों ने उन आदिवासियों को जो जबरदस्ती हिन्दू बना दिये गये थे, उन्हें कानूनी सहायता दी। मिशनरियों के कारण उत्तर-पूर्व के आदिवासियों में रोमन लिपी का प्रवेश हुआ। परिणामस्वरूप इसाई धर्म एक ऐसा स्रोत बन गया जिसने लिपी को भी बदल दिया।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

28.1.6 यहूदी धर्म

यहूदी धर्म के मानने वालों को यहूदी कहते हैं। पुराने भारतीय यहूदियों के घर या आवास कोचीन एवं महाराष्ट्र में हैं। इन दोनों स्थानों की बस्तियाँ बहुत छोटी संख्या में हैं। इनके लगभग 20,000 मकान हैं।

कोचीन के यहूदियों ने अपनी पहचान प्राचीन समय से बना रखी है। कहते हैं कि 1020 शताब्दी में कोचीन के राजा ने यहूदियों को कुछ विशेष अधिकार दिये थे। इन विशेष अधिकारों में हाथी की सवारी और राजकीय छतरी को लेकर चलना था। बाद में ये यहूदी दो समूहों में बंट गये, श्वेत यहूदी जिनकी त्वचा सफेद थी और जो अपने

आपको मौलिक यहूदी मानते थे, दूसरा समूह वह जिनका रंग काला था। यहूदियों के इन दोनों समूहों में खान-पान और विवाह के कोई सम्बन्ध नहीं थे।

कोचीन के यहूदी, महाराष्ट्र के यहूदियों से भिन्न हैं। महाराष्ट्र के यहूदियों को बेनेइज्राइल यानी इज्रराइल के पुत्र कहते हैं। कोकंणी भाषा बोलने वाले गाँवों में ये यहूदी तेल का धन्धा करते हैं क्योंकि तेली का धन्धा प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं हैं। इन्हें इन गाँवों में ऊँचा दर्जा नहीं दिया जाता। ये शनिवार को काम नहीं करते अत: उन्हें शनिवारी तेली भी कहते हैं। ये तेली यहूदियों के सभी धन्धों को करते हैं। इस बात के प्रमाण भी हैं कि इन तेली यहूदियों ने अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने का काम भी किया है। इन्होंने इनकी भोजन की आदतों में सुधार किया है तथा विधवा विवाह पर निषेध लगा दिया है। कोचीन की तरह महाराष्ट्र के यहूदी भी दो प्रकार के हैं। इनमें एक प्रकार उन यहूदियों का है, जो स्थानान्तरण से यहाँ आ गये हैं और दूसरे काले यहूदी हैं। विद्वानों का कहना है कि यहूदियों के ये दो प्रकार वस्तुत: इनकी दो जातियाँ हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7426002240

पाठगत प्रश्न 28.3

निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(1) इसाई धर्म.....में विश्वास करता है।

(2) यहूदी धर्म को मानने वाले .....कहलाते हैं।

(3) महाराष्ट्र के यहूदी .....और.....भागों में बंटे हैं।

(4) .....ईश्वर का चुना हुआ प्रतिनिधि है।

(5) सन्.....में पुर्तगालियों ने गोवा का अधिग्रहण किया।

(6) कई उत्तर-पूर्वी भारत, आदिवासी समुदायों ने ..... को स्वीकार कर लिया।

28.1.7 इस्लाम धर्म

प्रस्तुत पाठ के इस भाग में हम इस्लाम धर्म के भारत में जो अनुयायी हैं, उनका विवरण देंगे। भारत की जनसंख्या में ये लगभग 13 प्रतिशत हैं। इन्डोनेशिया को छोड़कर भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। *स्लम* अरबी का शब्द है।

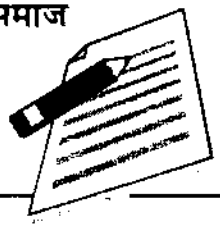

अर्थात शान्ति से रहना तथा सभी को रखना। इस अरबी शब्द से इस्लाम बनता है। अत: इस्लाम धर्म के अनुयायियों को ईश्वर के कानून को मानना चाहिए और इस तरह भाईचारे की भावना को रखना चाहिए। इस्लाम को परमात्मा ने अपने संदेश में यह कहा है कि किस भाँति मनुष्य जाति को रहना चाहिए। इतिहास के सभी युगों में ईश्वर ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें मिल-जुलकर रहना चाहिए। आदम का पहला पेगम्बर वही था, वह मनुष्य भी था। पेगम्बरों की परम्परा में मोहम्मद भी था। इसका उल्लेख छठी शताब्दी में मिलता है। कुछ पेगम्बरों ने ईश्वर के संदेश को धार्मिक ग्रन्थों के स्वरूप में प्राप्त किया और यह धार्मिक ग्रन्थ जो अन्तिम या कुरान है। मुसलमानों के लिए यह पुस्तक आदरणीय है।

अब तक के सभी युगों में इस्लाम का बुनियादी सिद्धान्त एक ही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। 7वीं शताब्दी में अरब में इस संदेश को व्यवस्थित किया गया। इस्लाम की तीन बुनियादी अवधारणाएँ हैं– (1) ईश्वर एक ही है अलतावहीद, (2) पैगम्बर की अवधारणा-अलरिसाला, (3) आज के जीवन के बाद को जीवन-अलअखीराह। इस्लाम की धारणा को इस विचार में रखा जा सकता है "कोई देवी-देवता नहीं है लेकिन परमात्मा है।" अर्थात ईश्वर एक है, वह केवल एक ही है। कुरान का ईश्वर पारदर्शी है। शक्तिशाली और दयालु है। इस्लाम धर्म के पाँच तत्व हैं– ईमान-मतलब हुआ ईश्वर में विश्वास। यह ईमान पुस्तकों में अभिव्यक्त है। संदेशों में प्राप्त है, और यह अंतिम दिन को बताता है जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इन तत्वों के आधार पर पाँच व्यावहारिक तत्वों से ये ईमान बने हैं। इन ईमानों को इस्लाम का खंभा कहा जाता है। इनके पाँच तत्व इस भाँति हैं:

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

- इस्लाम की मुख्य विचारधारा यह है कि ईश्वर एक है और पैगम्बर ने जो कुछ कहा है, वह अंतिम है।
- काबा (मक्का) के सामने पाँच बार नमाज पढ़ना ईश्वर की उपासना है। ये पाँच बार है: सूर्योदय से पहले, दोपहर, दोपहर बाद, सूर्यास्त के बाद तथा सोने से पहले।
- गरीब को जकात देना– यह गरीबों के कल्याण के लिए है।
- रमजान के दिनों में भूखे रहना– इसमें सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच में भूखे रहना, पानी नहीं पीना, धूम्रपान नहीं करना, यौन सम्बन्ध नहीं रखना अनिवार्य है।
- काबा में अपने जीवन काल में एक बार हज करना।

भारत में मुसलमान शहरों और गाँवों दोनों में मिलते हैं। कुछ आदिवासी समुदाय भी

जैसे कि गुर्जर इस्लाम धर्म को मानते हैं। गाँवों में इन्हें मुस्लिम जातियों की तरह भी जाना जाता है। मुसलमान सभी व्यावसायिक सेवाओं को करते हैं। वे जुलाहे होते हैं, तेली होते हैं, चूड़ियां बेचते हैं और मिश्ती होते हैं। एक तरह से उनका सम्बन्ध संरक्षक और कमीण का होता है। उनमें जजमानी व्यवस्था होती है। गाँवों में यह सब होते हुए भी निश्चित रूप से मुसलमान अपनी पृथक पहचान को रखते हैं।

भारत के मुसलमान जो गाँवों में रहते हैं इस बात की उनमें चेतना है कि उनका धर्म इस्लाम है, उनमें चचेरे भाई-बहिनों में विवाह की प्रथा है। वे औरतों को उत्तराधिकार के अधिकार देते हैं। उन्हें पर्दे में रहना पड़ता है। जहाँ कहीं मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, वहाँ मस्जिद अवश्य है। इन मस्जिदों में बिना किसी वर्ग और व्यवसाय के भेदभाव के नमाज पढ़ने आते हैं। यद्यपि मुसलमानों में पृथक समूह होते हैं फिर भी धर्म उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है और सभी लोग मिल-जुलकर मस्जिद में आते हैं तथा समुदाय के त्यौहारों में भागीदारी करते हैं। हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों में भिन्नता होने की भावना कम होती है।

28.1.8 सिख धर्म

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

सिख शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के शब्द सिख और संस्कृत शब्द *शिष्य* से हुई है। इन शब्दों का मतलब है, शिष्य। सिख दस गुरुओं के शिष्य हैं– इनके पहले गुरु गुरुनानक (1469-1539) थे। और अंतिम गुरु गोविन्द सिंह (1966-1708) हैं। सिख वह है, जो दस गुरुओं के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। यह ग्रन्थ सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में संकलित किया था। देखा जाय तो सिख हिन्दू धर्म के वैष्णव सम्प्रदाय का भक्ति का परिणाम है। गुरु नानक भक्ति परम्परा के प्रवक्ता थे।

नानक तलवंडी (लाहौर से 40 किलोमीटर दूर) में एक गाँव के राजस्व अधिकारी के पुत्र थे। उनका जन्म खत्री नामक जाति में हुआ था, जो अपने आपको क्षत्रीय कहते थे। 29 वर्ष की उम्र में उन्हें एक रहस्यात्मक अनुभव हुआ और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि कोई हिन्दू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। उन्होंने अपने सभी अनुयायियों में भेदभाव को समाप्त कर दिया। नानक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे और मनुष्य की समानता का संदेश दिया। पंजाब के गाँवों में नानक को इस संदेश के साथ याद किया जाता है: ''हिन्दुओं के लिए गुरुनानक सभी धर्मों के राजा हैं और सभी मुसलमानों के लिए संत हैं।''

नानक ने हिन्दुओं के अधिकांश परम्परागत विश्वासों को स्वीकार किया लेकिन उन्होंने अस्पृश्यता की निंदा की। उनके विचारों में ईश्वर पिता है, प्रेमी है, आचार्य है और सभी

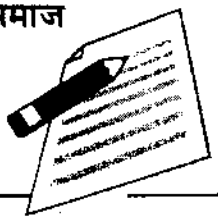

तरह के उपहारों को देने वाला है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वह निरंकार और निर्गुण है। उसे कई नामों से जाना जाता है जैसे कि रब, रहीम, गोविन्द, मुरारी और हरि। नानक ने पहले ईश्वर को कुमकरा नाम से जाना और बाद में इसी ईश्वर को सत् करतार अर्थात सत्य निर्माता या सतनाम से पुकारा। सिख धर्म में परमात्मा का प्रतीक ओम है।

व्यावहारिक स्तर पर समानता लाने के लिए गुरुनानक ने स्वतन्त्र सामुदायिक रसोई अर्थात लंगर की स्थापना की, जिसमें बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के लोग एक ही पंगत में बैठकर खाते हैं। लंगर सिख धर्म का केन्द्रीय आधार है। देखा जाय तो नानक की धार्मिक व्यवस्था में लंगर मुख्य है। गुरु के बिना किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु वह है, जिसका सब आदर करते हैं तथा जिसकी सलाह को मानते हैं लेकिन गुरु की प्रतिष्ठा का यह अर्थ नहीं हैं कि उसकी पूजा होनी चाहिए। वह ईश्वर का अवतार नहीं। नानक ने अपने आपको ईश्वर का गुलाम माना है। नानक से प्रारम्भ होकर 9 अन्य गुरु हैं:

गुरु अंगद (1504-1552), अमरदास (1479-1574), रामदास (1534-1581), गुरु अर्जुन (1563-1606), हरगोविन्द (1595-1644), हराई (1630-1661), हरकिशन (1656-1664), तेगबहादुर (1661-1675) और गुरु गोबिन्द सिंह। इनमें से हर एक ने सिख धर्म के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। नानक ने बड़ी दृढ़ता के साथ तपस्या को अस्वीकार किया। ज्ञानोदय के लिए उन्होंने शरीर को कष्ट देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आश्रम को स्वीकार किया और कहा कि एक व्यक्ति को अच्छे लोगों की सद्संगत करनी चाहिए। सिख को ईश्वर के नाम को जपना चाहिए, धार्मिक गीतों अर्थात् कीर्तन को मानना चाहिए। आश्रम और संगत से व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है।

PIKSHANTIAS
Call us @7428092240

भारत की कुल जनसंख्या में 2 प्रतिशत सिख हैं। अधिकांशत: ये पंजाब में पाये जाते हैं। सिख बहुत ही उद्यमी हैं और भारत के बाहर भी ये पाये जाते हैं। सिख हिन्दुओं के साथ में वैवाहिक सम्बन्ध रखते हैं लेकिन अपनी पृथक पहचान पर जोर देते हैं। यह पहचान लंगर और गुरुत्व की भावना से बंधी होती है। आज के युग में सिखों ने अपनी राजनीतिक पहचान भी बना रखी है। इसका उदाहरण गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी और अकाली दल हैं। ये राजनीतिक संस्थाएँ सिखों की पृथक पहचान को बनाए रखती हैं। हाल में जो सिख गाँवों के अध्ययन मिले हैं, इनसे ज्ञात होता है कि इनमें भी कई स्तरीकरण हैं, जो जातियों की तरह काम करते हैं। ये सिख जातियाँ गुरुद्वारे में किसी के आने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती।

पाठगत प्रश्न 28.4

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(1) भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत इस्लाम धर्म को मानता है?

---

(2) इस्लाम का क्या अर्थ है?

---

(3) क्या मुसलमान भारतीय गाँवों में जजमानी व्यवस्था को मानते हैं?

---

(4) सिख पद का क्या आशय है?

---

(5) सिख कितने गुरुओं को मानते हैं?

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

आपने क्या सीखा

- भारत एक बहुधार्मिक समाज है।
- भारत एक धर्म निरपेक्ष समाज है, जिसमें विश्व के विभिन्न धर्म हैं। ये धर्म अनेक सम्प्रदाय और पंथों में बंटे हुए हैं, यही नहीं विश्व के कई धर्म भारत में आकर विभिन्न सम्प्रदायों में बंट गये हैं।
- प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय में कई सदस्य हैं।
- हिन्दू धर्म में सैकड़ों देवी-देवता हैं और अनेकों दर्जन सम्प्रदाय एवं आंदोलन हैं।
- मुसलमान शिया और सुन्नी में बंटे हैं।
- जैन धर्म में दिगम्बर और श्वेताम्बर समूह हैं।
- दूसरे धर्म भी इसी तरह कई भागों में बंटे हैं।
- स्थानीय धार्मिक आंदोलन मुख्य रूप से दो कारणों से हुए हैं या तो इन आंदोलनों ने हिन्दू धर्म के संगठन को अस्वीकार किया है जैसे कि जाति

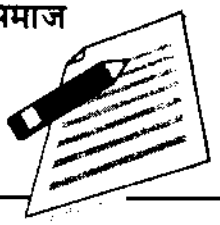

व्यवस्था। या इन धार्मिक आंदोलनों का विकास कतिपय धार्मिक नेताओं के कारण हुआ है, जिन्होंने मुक्ति का भिन्न मार्ग बताया है। अनिवार्य रूप से ऐसे नेता ने जाति की वैचारिकी को अस्वीकार किया है। इसमें हम ओशो पंथ (आचार्य ओशो रजनीश जिन्होंने इस पंथ को स्थापित किया है) या महर्षि महेश योगी जिन्होंने एक नये पंथ को स्थापित किया है।

- तुलनात्मक रूप से अन्य स्थानीय धार्मिक आंदोलन जो बाद में चलकर स्वतन्त्र धर्म बन गये (उदाहरणत: बौद्ध, जैन और सिख धर्म) जिन्होंने जाति की गैर बराबरी और मोक्ष की चर्चा नहीं की है।
- कई ऐसे धर्म भारत में आये जैसे कि इसाई और इस्लाम। जिनने जाति की गैर बराबरी को अस्वीकार किया और कहा कि यहाँ एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें मनुष्य-मात्र समानता के स्तर पर रहे।
- कपितय स्थानीय और बाहरी उत्पत्ति वाले धर्म यहाँ विकसित हुए, जिन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया। इन धर्मों के प्रति स्थानीय समुदाय आकर्षित हुए, ऐसे स्थानीय समूह में जाट हैं, जिन्होंने सिख धर्म को अपनाया। बनियों ने जैन ध र्म को अपनाया। निम्न जातियों ने इसाई और इस्लाम धर्म को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप उच्च जातियों ने निम्न जातियों के साथ सम्पर्क कम कर दिये।
- सूफी सम्प्रदाय ऐसा है, जो विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करता है। हिन्दू और मुसलमान दोनों सूफी संतों की उपासना करते हैं। भक्ति आंदोलन के कई सन्तों ने भारत में सांझा संस्कृति को बनाने में बड़ा सहयोग दिया है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठन्त प्रश्न

निम्न प्रश्नों के उत्तर 100-200 शब्दों में दीजिए:

(1) बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइए।

(2) इस्लाम के केन्द्रीय विश्वास क्या हैं? इस धर्म के पाँच खम्भों का उल्लेख कीजिए।

(3) जैन धर्म का केन्द्रीय विश्वास क्या है?

(4) उन सम्प्रदायों का उल्लेख कीजिए जिनमें जैन धर्म बंटा हुआ है।

(5) सिखों के अनुसार ईश्वर के क्या तत्व हैं? लंगर का क्या तात्पर्य है?

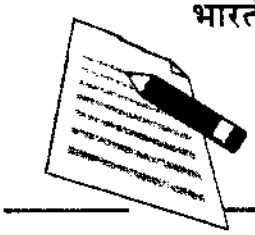

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

28.1

(1) 83 प्रतिशत

(2) एशिया, अफ्रीका, केरेबियन द्वीप, फिजी और यूनाइटेड किंगडम

(3) सिन्धु घाटी की सभ्यता

(4) पारसी धर्म

(5) महाराष्ट्र और गुजरात

28.2

(क) सही

(ख) सही

(ग) गलत

(घ) सही

(ङ) गलत

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

28.3

(क) एकेश्वरवादी

(ख) यहूदी

(ग) श्वेत यहूदी और काले यहूदी

(घ) यीशु

(ङ) इसाई धर्म

28.4

(1) 13 प्रतिशत

(2) परमात्मा के नियमों के सामने झुक जाना और इस तरह सम्पूर्ण एकीकृत भाग बन जाना

(3) हाँ वे हैं

(4) इसका अर्थ शिष्य हैं

(5) दस गुरु

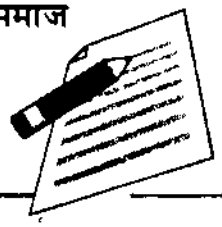

29

भारत की मुख्य सामाजिक समस्याएँ

पुराने समाज के बाद नया समाज और नये समाज के सामने अनुकूलन की समस्या आती है। हमारे देश में भी कुछ मुख्य सामाजिक समस्याएँ हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

आपने अशिक्षा की बात सुनी होगी। गांधीजी कहा करते थे कि हमारी संस्कृति पर अशिक्षा एक दाग की तरह है। हमारी आजादी के कोई 57 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में 35 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। साक्षरता लोगों को यह समझने का अवसर देती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत।

स्वतन्त्रता के बाद हमारी जनसंख्या तीन गुनी हो गयी है। इस जनसंख्या विस्फोट ने हमारे विकास को रोक दिया है।

वर्तमान में हमारे जन-जीवन के हर क्षेत्र को भ्रष्टाचार ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसने हमारी तरक्की और सामाजिक जीवन में कई अवरोध पैदा किये हैं।

आपने कई लोगों को झुग्गी-झोपड़ी में रहते हुए देखा है, वे अर्द्ध नग्न हैं और भूख तथा जरूरत की वस्तुओं से पीड़ित हैं। हमारे देश के समाने गरीबी की समस्याएँ बहुत ज्यादा हैं।

इस अध्याय में हम देश की साक्षरता की स्थिति, जनसंख्या विस्फोट, भ्रष्टाचार और गरीबी के बारे में विचार करेंगे।

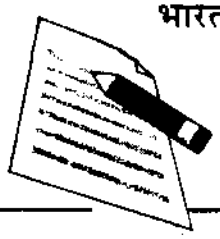

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- भारत में साक्षरता की स्थिति से परिचित हो सकेंगे;
- जनसंख्या विस्फोट एवं इसकी समस्याओं को जान पायेंगे;
- भ्रष्टाचार रूपी बुराई के कारणों की जानकारी; और
- गरीबी तथा इसके कारणों को जान सकेंगे।

29.1 भारत में साक्षरता की स्थिति

आपने लोगों को बैंक, डाक घर में तथा मतदान के समय अपने दस्तख़त की जगह अंगूठे की छाप लगाते हुए देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि लोग अपनी चिट्ठी पढ़ने या संदेश लिखवाने के लिए दूसरे से निवेदन करते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका सामान्य कारण यह है कि ये लोग साक्षर नहीं हैं, उन्हें लिखना-पढ़ना नहीं आता, ऐसे लोग एक तरह से विकलांग हैं। आधुनिक समाज में निरक्षरता एक प्रकार का अभिशाप है। यह अज्ञानता की ओर ले जाता है। इससे अंधविश्वास पनपता है एवं व्यक्ति गलत विचारों और कार्यों का शिकार हो जाता है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

दूसरी ओर साक्षरता लिखना-पढ़ना सीखाती है और आदमी को सही व्यवहार की ओर ले जाती है। साक्षरता का अर्थ पढ़ने एवं लिखने की योग्यता एवं भाषा को समझने की है। अशिक्षा यह सब करने की क्षमता नहीं देती।

साक्षरता लोगों को शिक्षा और विकास की ओर ले जाती है तथा अच्छे जीवन के लिए उन्हें कौशल देती है। वे लोग जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनमें अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती। उन्हें स्वस्थ व्यवहार नहीं आता और जिन अंधविश्वासों से वे बंधे होते हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे लोग नई पीढ़ी के लिए एक मॉडल का काम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से रास्ते हैं, जिन्हें शिक्षा नये रास्तों को विकल्प नहीं देती। शिक्षा प्राप्त करने से लोगों को वैज्ञानिक कुशलता और अपने काम को ढंग से करने की क्षमता प्राप्त होती है। शिक्षा प्राप्त कर नये कार्य को किया जा सकता है, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, हमारे देश के 65 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। अर्थात 35 प्रतिशत नागरिक अभी भी अशिक्षित हैं। 54 प्रतिशत महिला साक्षरता की तुलना

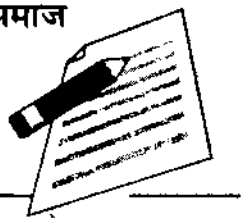

में पुरुषों का प्रतिशत 76 है। आँकड़ों में हम इसे इस प्रकार रखेंगे।

सारणी 1.1: *पुरुष व स्त्री में तुलनात्मक साक्षरता-2001*

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951	16.67	24.90	7.90
2001	65.38	75.85	54.16

1991 की जनगणना के अनुसार, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में केरल का साक्षरता प्रतिशत सबसे ऊँचा था। यहाँ 90 प्रतिशत लोग साक्षर थे। दूसरी ओर बिहार राज्य में साक्षरता का यह प्रतिशत 38 था। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पुरुषों में 41 और स्त्रियों में 18 था।

विश्व के अशिक्षित लोगों का एक तिहाई भाग भारत में रहता है। कोई 19 करोड़ बच्चे (6-14 आयु वर्ग समूह) के लोग अशिक्षित थे। इनमें चार करोड़ यानी 25 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल का द्वार तक नहीं देखा था। लगभग 50 प्रतिशत बच्चे भर्ती होने के बाद स्कूल छोड़ देते थे। इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों व जनजातियों में पिछड़ापन बहुत अधिक था। इन समूहों के मात्र 29 प्रतिशत बच्चे स्कूल में भर्ती थे।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

निरक्षरता के कई कारण हैं। इन कारणों में मुख्य रूप से गरीबी, जनसंख्या का विस्तार, चेतना का अभाव और शिक्षा प्रसार के लागू करने में ढील आदि है। हमारे यहाँ शिक्षा नीति को 1960 और दूसरी बार 1986 में लागू किया गया। 1991 में इसकी क्रियान्विति पुन: हुई तथा 1992 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयी और उसे 14 वर्ष के सभी बच्चों पर लागू कर दिया गया। इस परिवर्तन के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम 1979-80 प्रारम्भ किये गये। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, 1944 में अमल में आए। जब देखा गया कि कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर स्कूल से बाहर आ गये तब 1995 में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम 2001 में चालू किया गया। इसके लिए संविधान में 93 संशोधन किया गया। केन्द्रीय सरकार ने अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और शासन के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय खुले स्कूल की अवधारणा के तहत पढ़ाई प्रारम्भ की गयी और देश के वे हिस्से जो आन्तरिक क्षेत्रों में थे, उन्हें बहुत बड़ी सहायता दी गयी।

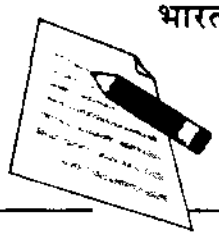

पाठगत प्रश्न 29.1

निम्न में से सही उत्तर को चुनिए:

(i) 2001 की जगनणना के अनुसार, हमारे देश में साक्षरता का निम्न दर रहा है:

(क) 62%

(ख) 64%

(ग) 66%

(घ) 65%

(ii) 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता का प्रतिशत है:

(क) 50%

(ख) 52%

(ग) 56%

(घ) 54%

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(iii) हमारे देश की जनसंख्या में सबसे अधिक साक्षरता का दर किस राज्य में है:

(क) तमिलनाडु

(ख) कर्नाटक

(ग) आन्ध्र प्रदेश

(घ) केरल

(iv) हमारे देश के किस राज्य में कम से कम साक्षरता का प्रतिशत है:

(क) उत्तर प्रदेश

(ख) मध्य प्रदेश

(ग) राजस्थान

(घ) बिहार

(v) 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की हमारे देश में कितनी संख्या है:

(क) तीन करोड़

(ख) चार करोड़

(ग) पाँच करोड़

(घ) छः करोड़

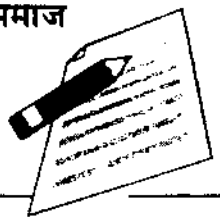

Notes

29.2 जनसंख्या विस्पफोट

जनसंख्या का विस्फोट यानी जनसंख्या में तेजी से विस्तार। इससे अर्थ यह निकलता है कि जनसंख्या की वृद्धि चौंकाने वाली गति से हो रही है। यह खतरे की एक घंटी है। इसमें जनसंख्या का मृत्यु दर और जन्म दर में बड़ा अन्तर होता है लेकिन जनसंख्या के विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि आज जो जनसंख्या का विस्तार है, वह एक संक्रमण काल का विस्तार है। यह विस्फोट मृत्यु दर में एकाएक कमी है और जन्म दर में उसी अनुपात में वृद्धि है। भारत में आर्थिक विकास का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हम जनसंख्या वृद्धि पर कितना नियंत्रण रखते हैं।

जनसंख्या के विशेषज्ञों के अनुसार, प्रत्येक देश में जनसंख्या का संक्रमण तीन अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था वह होती है, जब जन्मदर और मृत्युदर दोनों ही उच्च होते हैं। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या लगभग स्थायी रहती है। इस भाँति गाँवों में जहाँ परम्परागत मानदण्ड है, यानी शिक्षा की कमी है वहाँ उच्च जन्मदर पायी जाती है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्युदर बढ़ जाता है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428002240

जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था तब आती है जब किसी भी देश में औद्योगीकरण, शिक्षा विस्तार और चिकित्सा सहायता बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरुप मृत्यु दर में कमी आ जाती है। चूंकि समाज प्राथमिक रूप से खेतीहर रहता है और शिक्षा की पहुँच केवल समाज के कुछ भागों तक ही पहुँचती है, परिवार का आकार बढ़ता नहीं है। इस समाज में जन्मदर ज्यों का त्यों रहता है। परिणामस्वरूप जनसंख्या का विस्फोट होने लगता है। हमारा देश आज इस प्रकार के संक्रमण काल में हैं।

तीसरी अवस्था में जन्मदर नीचे गिर जाता है और यह शिक्षा और परिवार नियंत्रण की विधियों द्वारा होता है। इस तरह का संक्रमण जनसंख्या के विस्फोट को रोकता है।

जनसंख्या का विस्फोट आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ अनुमानत: 35 बच्चे हर एक मिनट में पैदा होते हैं और इस तरह हमारी जनसंख्या में 45,000 व्यक्ति जनसंख्या में जुड़ते हैं। इस प्रकार हमारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 16 मीलियन लोगों की वृद्धि होती है, जिन्हें हमें भोजन देना होता है। उनके लिए शिक्षा, आवास तथा नये धन्धे उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। इस भाँति यहाँ जनसंख्या वृद्धि का दर 2.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सन् 2001 में जनसंख्या की

प्राथमिक रपट के बाद हमारे देश की जनसंख्या 102.72 करोड़ है। इस तरह विश्व की सम्पूर्ण जनसंख्या का 16.8 प्रतिशत भारत में निवास करता है लेकिन विश्व की कुल भूमि का 2.4 प्रतिशत भारत में हैं। भारत की जनसंख्या 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक बढ़ी है।

29.2.1 जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ

जब जनसंख्या का विस्फोट होता है, तब इसके परिणामस्वरूप कई सामाज-आर्थिक समस्याएँ देश के समाने उभर कर आती हैं। इन समस्याओं में सम्मिलित है, आवास की कमी, भूमि की कमी, गरीबी, निरक्षरता, निम्न जीवन शैली, बेरोजगारी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्थानान्तरण और अपराध।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092250

अधिक जनसंख्या की कुछ समस्याएँ

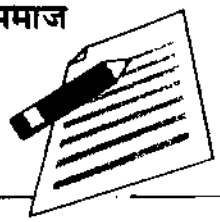

Notes

बड़े परिवारों ने आवास की समस्याएँ पैदा कर दी हैं। परिवार में बराबर विभाजन होने से खेती के लिए भूमि कम हो गयी है। भूमि के कम होने से गरीबी बढ़ गयी है। परिणामस्वरूप लोग स्कूलों में बच्चों को भेजने के बजाय काम के लिए भेजने लगे हैं। परिणामत: परिवार के सदस्यों में पोषण व कुपोषण दोनों ही आ जाते हैं। कुल मिलाकर जनसंख्या विस्फोट से लोगों का जीवन यापन कष्टदायक हो जाता है। यह स्थिति खान-पान के प्रतिमान को बिगाड़ देती है। जनसंख्या के तीव्रता से बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों की पगार या दिहाड़ी घट जाती है, इससे अपराध भी बढ़ जाते हैं।

पाठगत प्रश्न 29.2

निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए:

(1) जनसंख्या विस्फोट का आशय है जनसंख्या में खतरनाक ढंग से बढ़ने की दर। (सही/गलत)

(2) जनसंख्या विस्फोट में जन्म दर व मृत्यु दर बढ जाती है। (सही/गलत)

(3) जनसंख्या विस्फोट एक संक्रमण घटना है। (सही/गलत)

(4) हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि वार्षिक 2.0 प्रतिशत है। (सही/गलत)

(5) विश्व में भारत दूसरे नम्बर का बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। (सही/गलत)

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

29.3 भ्रष्टाचार

अब हम देखें कि भ्रष्टाचार क्या है? सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार का आशय किसी व्यक्ति का चरित्र होना, नैतिक दृष्टि से गिरना और गैर कानूनी कार्यों का करना है। दूसरे शब्दों में येन-केन प्रकारेण धन कमाना है। धन कमाने के लिए न तो अपने कर्तव्यों को करना है और न ही लोगों, समाज तथा देश के लिए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना है।

> भ्रष्टाचार वह क्रियाकलाप है, जिसमें एक व्यक्ति बेईमानी और गैर-कानूनी ढंग से धन लेता है या अपने काम को करवाता है। इस तरह का पैसा बेईमानी का पैसा होता है।

हमारे देश में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है और सभी ओर देखने को मिलता है। भारत विश्व

में बहुत बड़ा प्रजातन्त्र है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा है। अतीत काल से भारत ईमानदारी, नैतिकता एवं ऊँचे मूल्यों के लिए प्रतिष्ठित है। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ भ्रष्टाचार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

हम सब यह जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जनसेवक, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी उद्योगपति, व्यापारियों को भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल भेजा गया है। भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराई पर दण्डात्मक सजा देने पर भी यह बीमारी दूर नहीं हुई। लोग ईमानदारी के सिद्धान्तों पर कोई समझौता नहीं करते। लोग सामाजिक मूल्यों को सरलता से छोड़ देते हैं, तो उनका व्यवहार भी स्वार्थी हो जाता है। अर्थात आज भ्रष्टाचार आम जन-जीवन समाहित हो चुका है।

भ्रष्टाचार का अभिव्यक्ति

देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाई-भतीजावाद दहेज, बेईमानी, अनैतिकता, भ्रूण हत्या आदि सामाजिक भ्रष्टाचार के दृष्टान्त हैं।

दफ्तरों में अपने काम को करवाने के लिए अवैध पैसा देना एक सामान्य भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कई दृष्टान्त हैं: दफ्तर में काम के लिए दूसरे से धन लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों से सहायता लेना, मतदान केन्द्रों को लूटना, अपराधियों को चुनाव के लिए टिकिट देना, सरकार बनाने या तोड़ने के लिए विधायकों को धन देना, भ्रष्टाचार है। इस तरह का भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

कुछ अधिकारीतन्त्र के भ्रष्टाचार हैं, सरकार को सप्लाई करके धन लेना, स्थानान्तरण हेतु धन लेना ये सब अधिकारीतन्त्र और प्रशासन के भ्रष्टाचार के स्वरूप हैं। कहीं पर प्रवेश लेने के लिए धन देना, मुफ्त डिग्री लेना, परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को लीक करना, इस तरह के कई अपराध हैं, जो भ्रष्टाचार में आते हैं। विकास के कार्यों में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। देखा जाय तो भ्रष्टाचार के दृष्टान्त एक नहीं अनेक हैं, राष्ट्र के एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में हैं, जैसे कालाबाजारी, तस्करी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि। हरिकथा अनन्ता। कुल मिलाकर प्रशासन, विकास, वाणिज्य सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का कोई न कोई स्वरूप हमें अवश्य मिलेगा।

29.3.1 भ्रष्टाचार के कारण

समाज में भ्रष्टाचार के पीछे कई कारण हैं। मूल कारण धन है। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धन चाहता है। इसलिए वह भ्रष्टाचार को अपने जीवन में लाता है। उसे पैसा कई कामों के लिए चाहिए। वह अपनी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करना चाहता है। उसे

दहेज की बड़ी रकम देना है, उसे अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षण संस्थाओं में रखना है, उसे अपना घर पाँच सितारा की तरह बनाना, उसे चुनाव लड़ना है और उसे ऐसे वस्त्रों को पहनाना है, जो उसे समाज में उच्च स्थान प्रदान करें।

पाठगत प्रश्न 29.3

कोष्टक में दिये गये उपयुक्त शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(1) भ्रष्टाचार का मतलब है---------- साधनों से धन एकत्र करना। (वैध/अवैध)

(2) भ्रष्टाचार----------क्षेत्रों में पाया जाता है। (कुछ/प्रत्येक)

(3) हमारे देश में भ्रष्टाचार को उच्च स्थान प्राप्त----------है। (है/नहीं)

(4) हमारे देश में शिक्षण संस्थाएँ भ्रष्टाचार से ---------- है। (मुक्त/ मुक्त नहीं)

29.4 गरीबी

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

गरीबी एक सार्वभौमिक समस्या है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आय कम होती है, जिस कारण वह अपने परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने, तथा आवास की व्यवस्था करने में कठिनाई महसूस करता है। जिन लोगों की आय पर्याप्त नहीं होती है, वे गरीब कहलाते हैं।

गरीबी एक ऐसी आयोग्यता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के लिए दो वक्त के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है। हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़े भाग की आय अपर्याप्त है। इसलिए उन्हें गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के रूप में जाना जाता है।

जैसा आप जानते हैं कि नगरीय गरीबी ग्रामीण लोगों द्वारा शहरी क्षेत्र में कार्य तथा दिहाड़ी के लिए आने का परिणाम है। ये लोग गंदी बस्तियों में अस्वास्थ्यपरक स्थितियों में रहते हैं। नगरीय गरीबी का एक कारण लोगों में बहुत अधिक बेरोजगारी है।

मानवीय कारकों के आधार पर गरीबी को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जा सकता, इसे वंचितता के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। इस भाँति मनुष्यों की

Notes

गरीबी को मानव जीवन के तीन तत्वों के आधार पर देखा जाना चाहिए–लम्बा जीवन, गरीबी और जीवन का उच्च स्तर। अत: गरीबी वह है, जिसमें जीवन असहनीय हो जाता है।

29.4.1 गरीबी के कारण

गरीबी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) **सामाजिक वर्ग:** हमारे भारत में अनुसूचित जातियाँ निम्नतम स्थिति में हैं। उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी। इस कारण वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीब रहे। इन लोगों ने सामाजिक रीति-रिवाजों, परम्पराओं पर बहुत खर्च किया है। लोग दहेज देने के लिए अपनी जमीन आदि को बेच देते हैं।

(2) **आर्थिक कारण:** कृषि भूमि का गैर-बराबर वितरण, बेरोजगारी, निम्न पगार, ऋणग्रस्तता, गरीबी के कारण हैं। हमारे समाज में कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पास भूमि नहीं है या वे लगभग भूमिहीन हैं। वे काम या पगार के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। वे वर्ष भर खाली हाथ रहते हैं। उनमें गरीबी ऐसी है कि वे कभी भी छोटी पगार के लिए खींचातानी नहीं कर सकते ऊँचे ब्याज पर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। यदि वे ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होते तो उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उनकी दिहाड़ी नाममात्र की होती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428992240

(3) **राजनीति कारण:** सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए अनुसूचित नीतियों को अपनाया है। अब हमने विदेशों के लिए अपना बाजार खोल दिया है। अब हमें उत्पादन को विदेशी उत्पादन के साथ में जोड़ना पड़ता है। कृषकों और जंगल निवासियों के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त बाजार नहीं है और न कृषि उत्पादन के लिए पढ़े-लिखे लोगों के लिए हमारे यहाँ धन्धों की कमी है। यहाँ स्थिति यह है कि नौजवानों को शहरों में काम करने के लिए स्थानान्तरण करना पड़ता है। यह स्थानान्तरण वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों में गंदी बस्तियाँ बढ़ रही हैं। इन बस्तियों में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है जिसका परिणाम गरीबी है।

(4) **धार्मिक कारण:** हमारे देश में धार्मिक विश्वास और व्यवहार गरीबी में वृद्धि करते हैं। कर्मकाण्ड और धार्मिक रीति-रिवाजों को करने में लोग अनाप-शनाप खर्च करते हैं। इन कामों के लिए वे साहूकारों से कर्ज भी लेते हैं। जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तब उन्हें अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। कभी-कभी जेवर जैसी अन्य सम्पत्ति भी बेचनी पड़ती है। वे लोग जिनके पास गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु नहीं होती तब वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। यह सब उनको

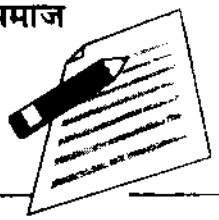

Notes

करना पड़ता है चूँकि किसी भी तरह उन्हें सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज निभाने पड़ते हैं।

(5) **प्राकृतिक कारण:** हमारे देश में गरीबी के कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। तूफान, सूखा, भूकम्प आदि ऐसी अपदाएं हैं, जो लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। कतिपय प्राकृतिक कारणों से भी लोगों की आय बहुत थोड़ी हो जाती है। ये प्राकृतिक कारण ऐसे होते हैं, जो लोगों को ऐसा बेतहाशा कर देते हैं कि वे न तो भोजन का जुगाड़ कर पाते हैं और न कपड़े पहन सकते हैं।

(6) **भौतिक कारण:** देश में गरीबी का कारण भौतिक भी है। कई लोग शारीरिक यातनाओं से दुर्बल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बीमारी, विकलांगता, दुर्घटना, आत्महत्या, मानसिक रोग, शराबखोरी अदि से ग्रसित होते हैं।

(7) **निरक्षरता:** हमारे यहाँ निरक्षरता भी गरीबी के लिए उत्तरदायी है। निरक्षरता के कारण लोग गरीबी के चक्र में आ जाते हैं। इसके कारण ही लोग पूजापाठ, कर्मकाण्ड, डॉक्टर आदि के चक्कर में आकर गरीब हो जाते हैं।

(8) **जनसंख्या विस्फोट:** जनसंख्या विस्फोट पितृवंशीय सम्पत्ति के बंटवारे के कारण भी हैं। इस सम्पत्ति का जब बंटवारा होता है तब इससे भूमिहीनता, बेरोजगारी और गरीबी आ जाती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठगत प्रश्न 29.4

कॉलम 'क' को 'ख' से मिलान कीजिए

क	ख
(1) आय की दृष्टि से गरीबी हैं	(अ) गरीबी के राजनीतिक कारण भी हैं
(2) मानवीय दृष्टि से गरीबी हैं	(आ) 43.5 प्रतिशत
(3) हमारे देश में गरीबी की सीमा है	(इ) रोटी खाने के लिये पर्याप्त आय होनी चाहिये।
(4) हमारे देश में वयस्क अशिक्षा प्रतिशत है	(ई) लम्बा जीवन नहीं होना और ज्ञान का तथा जीवन यापन का अच्छा स्तर
(5) सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकए प्राकृतिक तथा भौतिक कारण हैं	(उ) 43.0

आपने क्या सीखा

- भारत में शिक्षा की दशा बताती है कि 34.63 प्रतिशत लोग आज भी अशिक्षित हैं। 6-14 वर्ष के आयु समूह के चार करोड़ बच्चों ने स्कूल नहीं देखा है। पुरुषों में साक्षरता का दर 75.85 है। स्त्रियों में यह दर 54.16 प्रतिशत है। केरल देश का सबसे अधिक साक्षर राज्य है, जबकि बिहार और राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से निम्न स्थान पर हैं।
- जनसंख्या विस्फोट हमारे यहाँ भीषण रूप से बढ़ गया है। यह विस्फोट तब समझा जाता है जब मृत्यु दर कम हो जाती है तो इस अनुपात में जन्म दर में कमी नहीं आती। ऐसी स्थिति में लोग भूमिहीन, गरीब, असाक्षर, बेरोजगार, कुपोषित, और निम्न स्तर के हो जाते हैं।
- भ्रष्टाचार के द्वारा लोग धन एकत्र करते हैं और यह सब गैर-कानूनी एवं अनैतिक तरीकों से होता है। भ्रष्टाचार एक व्यक्तिगत व्यवहार है, जिसके कारण व्यक्ति धन और वस्तुओं का लाभ उठाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। शीघ्रातिशीघ्र धनवान बन जाना, धंधे से अधिकाधिक प्राप्त करने की आशा, दहेज, मंहगी तकनीकी पढ़ाई ये सब कारण हैं, जिनसे भ्रष्टाचार बढता है।
- आर्थिक दृष्टि से गरीबी व्यक्ति की वह अयोग्यता है, जिसके कारण वह दो समय की रोटी नहीं खा सकता। मानवीय दृष्टि से गरीबी लम्बे जीवन को नहीं देती। अच्छा जीवन स्तर नहीं देती। गरीबी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, भौतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कारण हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

शब्दावली

जन्म दर : किसी समुदाय के 1000 जनसंख्या की पीछे जन्मों की संख्या।

भ्रष्टाचार : धन प्राप्त करने के लिए नैतिकता और चरित्र को छोड़ देना।

मृत्यु दर : किसी समुदाय के 1000 जनसंख्या की पीछे मृत्यु की संख्या।

जनांकिकीय : जनसंख्या में आयु, शिक्षा आदि से जुड़े आंकड़े।

संक्रमण : परिवर्तन।

परिवार का आकार : समुदाय में परिवार के सदस्यों की औसत संख्या।

मानवीय गरीबी : अल्प जीवन काल, कम ज्ञान तथा निम्न जीवन स्तर।

निरक्षता : लिखने व पढ़ने की अक्षमता।

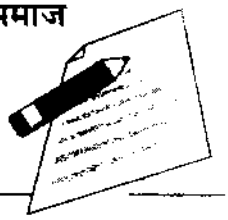

Notes

साक्षरता : लिखने व पढ़ने की क्षमता।

साक्षरता दर : समुदाय में प्रत्येक 100 पर पढ़े-लिखों की संख्या।

जनसंख्या विस्फोट : जनसंख्या में तीव्र वृद्धि।

निर्धनता : निम्न आय तथा दो जून रोटी की व्यवस्था न कर पाना।

ग्रामीण निर्धनता : भूमि का असमान वितरण तथा मजदूरी के कारण गाँवों में गरीबी से पायी जाती है।

नगरीय निर्धनता : नगरीय क्षेत्रों में गरीबी मुख्य रूप से ग्रामीण युवकों का कार्य के लिए शहरों में स्थानान्तरण तथा मजदूरी एवं शहरी युवकों को बेरोजगारी।

पाठान्त प्रश्न

(1) साक्षरता किसे कहते हैं? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक हैं?

---

(2) जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है?

---

(3) जनसंख्या विस्फोट से सम्बन्धित पाँच सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के नाम दीजिए।

---

(4) भ्रष्टाचार से क्या अभिप्राय है? इसके पाँच प्रकारों के नाम दीजिए।

---

(5) निर्धनता किसे कहते हैं? यह मानवीय गरीबी से किस प्रकार भिन्न है?

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

29.8 पाठगत प्रश्नों के उत्तर

29.1 (i) घ

(ii) घ

Notes

(iii) घ

(iv) ग

(v) ख

29.2 (i) सही

(ii) गलत

(iii) सही

(iv) सही

(v) सही

29.3

(i) अवैध

(ii) प्रत्येक

(iii) है

(iv) मुफ्त नहीं

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

29.4

(i) a-c, b-d, c-e, b-d, e-a

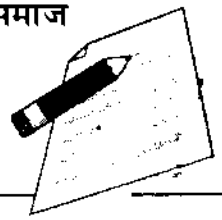

30

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

क्या आपको सामाजिक समस्याओं की जानकारी है? समाजशास्त्री प्राय: इन समस्याओं का उल्लेख करते हैं। हमारा यह समाज कई भागों में बंटा हुआ है - जाति, उम्र और लिंग। समाज के कुछ भाग प्रभावी हैं तो कुछ गुमनाम हैं। जब कोई समाज समय के अनुसार नहीं बदलता तो इसका परिणाम होता है - समाजिक विघटन। यह विघटन सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। समाजिक समस्याएँ अमानवीय व्यवहार को जन्म देती हैं। ऐसे समाज में वंचितता आती है। समाजिक समस्या वह है, जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों को अपनी ओर खींचती है और समाज व शासन दोनों ही तुरन्त समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

सामाजिक समस्याएँ वे हैं, जो समाज के एक महत्वपूर्ण भाग को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए समाज को सामूहिक रूप से कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

हमारे समाज में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाएं वंचित समझे जाते हैं। इनके जो अधिकार व स्वतन्त्रताएँ हैं, वे नहीं दिये जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक स्थिति समस्या तब बन जाती है, जब लोगों में चेतना आ जाती है। इस पाठ में हम वंचित लोगों की समस्याओं के बारे में समझेंगे। ये वंचित वर्ग हैं– अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- सामाजिक समस्या एवं वांचितता की परिभाषा को समझ सकेंगे;
- अस्पृश्यता का विश्लेषण कर सकेंगे; और
- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ जान सकेंगे।

30.1 अनुसूचित जातियों की समस्याएँ

क्या आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियाँ कौन सी हैं? अनुसूचित जातियाँ वे हैं, जो परम्परागत जाति व्यवस्था में सबसे नीचे सोपान पर हैं। परम्परा से ये जातियाँ गंदे धंधों को करती थी। इसलिए उनको अपवित्र या प्रदूषित कहते थे। धंधों के साथ में गंदगी की जो धारणा जोड़ी जाती है, वही इन लोगों को अपवित्र बना देती है। अनुसूचित जातियों के साथ ये सब नाम जोड़े जाते हैं - शुद्र, दास, चाण्डाल, मलेच्छ अस्पृश्य और हरिजन। स्वतंत्र भारत की सरकार ने अर्थात राष्ट्रपति ने अक्टूबर 1950 में कई अनुसूचित जातियों को भारत के संविधान के अध्याय आठ के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अनुसार सम्मिलित किया है। इन अनुच्छेदों के अनुसार, इन समूहों के साथ विकास एवं कल्याण के लाभ दिये जाते हैं। हमारे देश में 700 से अधिक अनुसूचित जातियाँ हैं। चमार, दुसाध, डोम, पासी, मेहत्तर, महार, बलाई, आदि द्रविड़ जैसे कुछ प्रभावी अनुसूचित जातियाँ हैं। अनुसूचित जातियाँ अब अपनी पहचान दलित नाम से करती हैं। आज दलितों को ऊँचे पद दिये जा रहे हैं। वे कुछ राज्यों में मुख्य मंत्री जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में और भारत के राष्ट्रपति के पद तक आसीन हो चुके हैं। देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है। अनुसूचित जातियाँ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार आदि में अधिक पायी जाती हैं। पंजाब में 29.6 % और हिमाचल में 22.2% अनुसूचित जातियों के हैं। भारत-गंगा के मैदानों में 51% लोग अनुसूचित जातियों के हैं। पहाड़ी इलाका जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों का है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का है, इनमें अनुसूचित जाति के लोग कम पाये जाते हैं। अनुसूचित जातियों को शिक्षण संस्था, संसद, राज्यों की विधान सभा में संरक्षण प्राप्त हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

हम अनुसूचित जातियों की समस्याओं को निम्नलिखित तीन भागों में समझ सकते हैं:

(क) अस्पृश्यता या प्रदूषण की समस्याएँ

अनुसूचित जातियों को ऐसा काम करना पड़ता था, जो गंदा और अपवित्र था, उन्हें

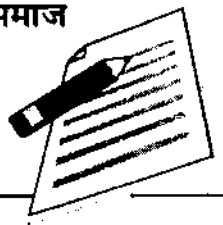

पारवाना और मरे हुए जानवरों को उठाना पड़ता था, पेशाब घर धोने पड़ते थे एवं ढेर सारी गंदगी समेटे हुए कपड़ों को धोना पड़ता था। शमशान घर पर भी उन्हें कुछ प्रदूषित कार्यों को करना पड़ता था। इन कार्यों को अपवित्र समझा जाता है इसलिए इन कार्यों के सम्पादन के साथ ये धंधे भी अपवित्र हो जाते हैं। अस्पृश्यता के परम्परागत कार्यों को अनुसूचित जातियाँ करती थी, इसलिए उनमें निम्नलिखित निर्योग्यताएँ होती हैं:

(1) **सामाजिक सम्पर्क का अभाव** : अनुसूचित जातियों के लोग गाँव की सभाओं और पूजा-पाठ में भाग नहीं लेते थे। वे पृथक, झोपड़ियों में रहते थे। उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे और ऊँची जातियों के बच्चों के साथ में नहीं खेलते थे। उन्हें विगत में अपने हाथ से ढोल बजाते हुए, गाँव की गलियों से गुजरना पड़ता था जिससे लोगों को पता लग सके कि अस्पृश्य लोग आ रहे हैं।

(2) **सार्वजनिक कुँओं और तालाबों के उपयोग पर प्रतिबन्ध** : अनुसूचित जातियों के लोग सार्वजनिक कुँओं और तालाबों से पानी नहीं ले सकते थे। इन अछूतों के अपने ही कुएँ और तालाब थे।

(3) **मंदिर प्रवेश निषेध था** : अनुसूचित जातियों के लोग पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वे न तो धार्मिक पूजा-पाठ में भाग ले सकते थे और न ही धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ सकते थे।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(4) **अन्य व्यावसायिक जातियों से सेवा ले सकते थे** : पुरोहित, कारीगर, धोबी, डोम आदि अछूत जातियों की सेवा कर सकते थे।

(5) **पके हुए खाने की अस्वीकृति** : शुद्रों द्वारा बनाये गये पके खाने को उच्च जातियाँ नहीं खाती थी। अनुसूचित जातियों के हाथ का पानी भी उच्च जातियाँ नहीं लेती थी।

(6) **दूसरों पर निर्भर रहना तथा प्रस्थिति का सामंजस्य न होना** : संविधान ने अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता से मुक्त तो कर दिया लेकिन उच्च जातियों पर उनकी निर्भरता को नहीं हटाया, इस कारण प्रस्थिति और निर्भरता में असमंजस्य है।

(ख) निर्धनता जनित समस्याएँ

अनुसूचित जातियों को एक लम्बी अवधि तक उनको आर्थिक अधिकार नहीं दिये गये, इसी कारण वे गरीब रहे और दूसरों पर निर्भर हो गये। अनुसूचित जातियों की गरीबी से जुड़ी हुई समस्याएँ निम्न हैं:

(1) **भौतिक वंचितता** : अनुसूचित जातियों को मकान, जमीन, पशु, जवाहरात

आदि नहीं दिये गये। ये सब वस्तुएँ उनके लिए प्रतिबंधित थी। इस कारण उनमें भौतिक वंचितता थी।

(2) **भूमि का अभाव :** आवास और कृषि के लिए अनुसूचित जातियों में भूमि का अभाव था। वे भूस्वामी द्वारा दी गयी भूमि पर कृषि मजदूर की तरह काम करते थे। इस प्रकार वे थे- बंधुआ मजदूर।

(3) **शैक्षणिक पिछड़ापन :** वंचितता और सामजिक-आर्थिक निम्न दशाओं के कारण अनुसूचित जातियों के लोग स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाये। आजादी के बाद इन जातियों के लिए स्कूल के दरवाजे खुले। इसके बावजूद पिछड़ी जातियों के लोग पर्याप्त मात्रा में शिक्षा का लाभ नहीं ले पाये।

(4) **रोजगार और सरकारी नौकरी :** स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कुछ अनुसूचित जातियों के लोग सरकारी नौकरियों में जैसे कि सफाईकर्मी, चौकीदार, और चपरासी की तरह काम करने लगे हैं। अब कुछ लोगों ने उच्च शिक्षा पूरी कर अच्छे पद प्राप्त किए हैं। इन जातियों में अधिकांश लोग कृषि मजदूर की तरह काम करते हैं और यहाँ पर भी उनकी पगार को लेकर शोषण होता है।

(5) **ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूर :** अनुसूचित जातियों के बहुसंख्यक परिवार दिन में दो जून खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाते। इस कारण अपने जीवनयापन के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है परन्तु बैंक कर्जा नहीं देते। होता यह है कि अनुसूचित जातियों के लोग अपने नियोजक से ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं। परिणामस्वरूप वे कर्ज में ली गयी राशि के ब्याज को भी नहीं चुका पाते, परिणामस्वरूप उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना पड़ता है। बंधुआ मजदूर की स्थिति में उन्हें नाम-मात्र का वेतन दिया जाता है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(6) **स्वास्थ्य और पोषण :** अनुसूचित जाति के लोगों के पास न तो उचित पेशाब घर होता है और न शौचालय और न ही गंदगी के निकास हेतु समुचित नाली की व्यवस्था। वे गली में गोबर डाल देते हैं, घर का कूड़ा-कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। उनके पास न तो कुँआ होता है और न पीने के पानी के लिए हैंडपम्प। वे अस्वास्थ्यकारी दशाओं में रहते हैं। गरीबी के कारण वे कुपोषण के भी शिकार होते हैं।

(7) **अत्याचार :** अनुसूचित जातियों को अत्याचार भी सहना पड़ता है। उनके जानवरों एवं मकानों को अकसर जला दिया जाता है उनसे बकरा व मुर्गा छीन लिया जाता है और स्त्रियों का अपमान किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है या मार दिया जाता है। जब कभी वे अपने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की गुहार करते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है।

(ग) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955

भारत के संविधान के 17वें अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 है। संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध माना है। नौकरी, पीने के पानी का भण्डारण, पूजा-पाठ करना, चाय की दुकान व होटल पर काम करना, रेलगाड़ी या बस में यात्रा करना, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना, अस्पताल में भर्ती होना आदि क्षेत्रों में प्रवेश बंद करना अस्पृश्यता का क्षेत्र है। इन सब अस्पृश्यता गतिविधियों पर सरकार सजा देती है और जुर्माना करती है।

अस्पृश्यता अपराध संशोधन तथा विविध अधिनियम, 1976 में दण्ड का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। एक बार अपराध करने पर न्यूनतम और अधिकतम एक माह तथा छ: माह की सजा है। न्यूनतम एवं अधिकतम जुर्माना 100 रुपया और 500 रुपया है। दूसरी बार अपराध करने पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना या छ: महीने की सजा है। तीसरी बार और उसके बाद अपराध करने पर एक वर्ष की सजा तथा 200 से 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इन सब निषेधात्मक कार्यवाहियों के होते हुए भी अस्पृश्यता आज भी दिखायी देती है। गाँवों में तो यह यथावत है। शहरी क्षेत्रों में भी यह प्रचलित है। यद्यपि इसका स्वरूप मानसिक स्तर पर ही है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठगत प्रश्न 30.1

(i) वंचितता गरीब और निर्भर व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतन्त्रता को........... लेती है। (देना/छीन लेना)

(ii) अनुसूचित जातियाँ...................व्यवसाय करती है। (पवित्र/प्रदूषित)

(iii) अनुसूचित जातियों को ....के कारण निर्योग्यताओं को सहना पड़ता है।

(iv) अनुसूचित जातियों द्वारा पका हुआ खाना......................किया जाता था। (किया जाता था / नहीं किया जाता था)

(v) अनुसूचित जातियाँ पानी......................कुँओं से नहीं भर सकते थे। (सार्वजनिक/निजी)

30.2 अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ

क्या आपने अनुसूचित जनजातियों के बारे में सुना है। अनुसूचित जनजातियाँ वे हैं, जो

हमारे समाज की जाति व्यवस्था से बाहर है। वे पहाड़ों, जंगलों, तटीय गाँवों, मरुस्थलीय स्थानों और टापुओं में मिलते हैं। उनकी स्वयं की संस्कृति और सामाजिक संगठन हैं। किसी जमाने में उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी। समय के बदलाव के साथ में इन समूहों में से कुछ ने हिन्दू, इस्लाम व इसाई धर्म को अपना लिया है। आदिवासी कला, नृत्य और करीगरी का अपना एक विशेष स्थान है। आदिवासी लोगों में बहुविवाह और एकल विवाह की परम्परा है। कुछ अदिवासी बहुपति विवाह अपनाते हैं। इन आदिवासियों में टोडा, और खासा जोनसर बावर में पाये जाते हैं। सामान्यतया आदिवासी समाजों में पितृस्थानीय विवाह अधिक होते हैं लेकिन मातृ स्थानीय विवाह का प्रचलन भी उनमें हैं। मातृ स्थानीय परिवारों में खासी, जयन्तियाँ और गारो हैं। इन आदिवासियों की परम्परागत अर्थव्यवस्था– फल इकट्ठे करना, शिकार करना, मछली मारना और कृषि है। उनके साप्ताहिक बाजार यानी हाट होते हैं। इससे पहले उनमें वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। लेकिन आज भी उनमें थोड़ा बहुत विनिमय होता है। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था जीविकोपार्जन की होती है, मुनाफे की नहीं।

हमारे देश में लगभग 461 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। इन समूहों में 75 ऐसे समूह हैं जिनकी पहचान आदिम जनजातीय समूह के रूप में की जाती है। इनकी इस समूह के रूप में पहचान इसलिए होती है चूंकि इनकी जनसंख्या कम है। इनमें साक्षरता का प्रतिशत कम है और इनकी कृषि तकनीकी बहुत सामान्य है। हमारे यहाँ अनुसूचित जन जातियाँ कोई 8 प्रतिशत हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

आज अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ आदिवासी धर्म को अपनाती हैं। उनमें ऐसे समूह भी हैं जो हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम और इसाई धर्म के अनुयायी हैं। अन्य धर्मों को अपनाने के कारण इन आदिवासियों ने आदिवासी रीतिरिवाज, परम्परा, त्यौहार, कला, नृत्य आदि को छोड़ दिया है। कई आदिवासियों के रिवाज आज लुप्त हो गये हैं। उदाहरण के लिए, अखरा और युवा गृह जैसी संस्थाएँ दिखायी नहीं पड़ती। अब तो आदिवासी लड़कियों के गैर-आदिवासी लड़कों के साथ विवाह हो रहे हैं, परिणामस्वरूप इनकी पहचान की समस्या गंभीर हो गयी है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक सम्पर्क, औद्योगीकरण आदि के कारण आदिवासी जीवन पद्धति कमजोर पड़ रही है। ये आदिवासी अपने क्षेत्र की स्वायत्तता के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं।

(1) **जंगल से जुड़ी समस्याएँ:** जंगलों में जहाँ आदिवासी पहले रहते थे वे शिकार करते थे, कारीगरी के काम करते थे। वहाँ आज अदिवासी जंगल से कुछ बना नहीं सकते। आज जंगल में कई आदिवासी रहते हैं परन्तु वे जंगल की लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। जंगल में वे आर्थिक गतिविधियाँ भी नहीं कर सकते।

(2) **कृषि की समस्या:** कुछ आदिवासी जो खेती करते हैं, उन्हें कृषि सम्बन्धित आदिवासी कहते हैं ये आदिवासी हैं– ओरावँ, मुण्डा, हो, संथाल आदि। आदिवासियों की कृषि भूमि पहाड़ियों, जंगल और तलहटियों में पायी जाती हैं। वे जिस भूमि में खेती-बाड़ी करते हैं, वह पहाड़ी जमीन होती है। पहाड़ी जमीन को जोतने के तरीके अलग हैं। पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई की निश्चित सुविधा नहीं होती। इस भाँति कृषि कार्य लोगों को पूरे वर्ष के लिए रोजगार नहीं देता। परिणामस्वरूप आदिवासियों को सालभर कृषि द्वारा पैदाइस नहीं मिलती। कृषि फसलें कई बार जंगली जानवरों द्वारा नष्ट भी कर दी जाती हैं। हमारे देश में गोण्ड, भील-मीणा, संथाल, औराँव, मुण्डा बहुसंख्य प्रभावी जनजातियाँ हैं।

अनुसूचित जनजाति होने के कारण आदिवासियों को विशेष लाभ मिलते हैं। ये विशेष लाभ आदिवासी उप-योजना के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

अनुसूचित जनजातियाँ हिमालय के क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में मिलती हैं। आधे से अधिक आदिवासी जनसंख्या देश के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। इन मध्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केन्द्रशासित क्षेत्रों में कोई आदिवासी नहीं रहते हैं। छः राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा झारखण्ड, गुजरात और राजस्थान में प्रत्येक राज्य में 50 लाख आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को जोड़कर आदिवासियों की जनसंख्या बहुत अधिक है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(3) **भूमि अलगाव :** ब्रिटिश काल से लेकर आदिवासियों की भूमि को रेल, आवासीय बस्तियों, बाज़ार, अस्पताल आदि के लिए लिया जाता रहा है। बाहरी लोगों ने आदिवासियों की जमीन को जब चाहा तब खरीदा है। इस भाँति आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों के हाथ में चली गयी।

(4) **ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी :** दिहाड़ी की रकम से ही आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन एक मजदूर की हैसियत से उन्हें सालभर रोजगार नहीं मिलता। परिणामस्वरूप वे अपना जीवन यापन ठीक तरह से नहीं कर पाते। उन्हें महाजन से ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। जब ये आदिवासी ऋण चुकाने में असफल रहते हैं, तब वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।

(5) **स्वास्थ्य और पोषण की समस्या:** जब अनुसूचित जनजातियों को शिकार और पोषण नहीं मिलता वे परिवार के सदस्यों के साथ ठीक तरह से नहीं रह पाते। ऐसी अवस्था में ये आदिवासी भूखमरी की अवस्था में पहुँच जाते हैं। जिस पर्यावरण में वे रहते हैं, वह भी अस्वास्थ्यप्रद है, इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यहाँ के लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ओझाओं की सहायता लेते हैं। पर्याप्त धन के अभाव में वे अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पाते।

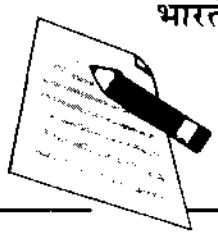

(6) **संचार का अभाव:** आदिवासी दूर-दराज क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए सबसे बड़ी समस्या अपनी बात दूर तक पहुँचाने की है। आदिवासियों के स्वयं के कल्याण की जानकारी उन्हें नहीं होती। वे इस बात से अपरिचित रहते हैं कि उनके लिए कौन से कार्यक्रम लाभदायक हैं।

(7) **स्थानान्तरण के प्रभाव:** आदिवासियों को अपने ही राज्य में और राज्य से बाहर काम करने की समस्या होती है। जब वे शहरों में काम करने जाते हैं तब ईंट के भट्टे, छोटे उद्योग और दिहाड़ी पर काम करते हैं। स्थानान्तरित श्रमिक की तरह उन्हें दबाया जाता है, उनका शोषण होता है। न्यूनतम दिहाड़ी अधिनियम के अनुसार, उन्हें पगार नहीं मिलती। उन्हें नियम के विरुद्ध लम्बे समय तक काम करना पड़ता है।

(8) **शिक्षा का अभाव:** बहुत बड़ी संख्था में आदिवासी परिवारों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, उनके लिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण रोटी का जुगाड़ करना है। सरकार ने उनके लिए आश्रम स्कूल खोले हैं लेकिन वे इन स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती नहीं करवा सकते। इन स्कूली बच्चों को अपने घर में भी काम करना पड़ता है और इस तरह वे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। इन परिवारों में स्त्री अशिक्षा बहुत अधिक होती है। धर्मान्तरित आदिवासियों में साक्षरता और शिक्षा अधर्मान्तरित परिवारों की तुलना में अधिक होती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(9) **आदिवासियों का विस्थापन:** कई औद्योगिक शहरों जैसे– रांची, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राऊरकेला आदि को बसाने के लिए आदिवासियों से उनकी जमीन लेकर उन्हें विस्थापित कर दिया गया। उन्हें केवल निवास के लिए मुआवजे के रूप में पैसा दिया गया। इसका परिणाम भी सही नहीं निकला। कुछ परिवार समाप्त हो गये तो कुछ दुखी जीवन बिता रहे हैं।

(10) **पहचान की समस्या:** ब्रिटिश युग से लेकर आदिवासी अपनी पहचान के लिए चेतन रहे हैं। उन्होंने जागीरदारों, जमींदारों और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन चलाये हैं। बिहार के छोटा नागपुर में मलेर आंदोलन (1770), हो आंदोलन (1821), ग्रेट कोल आंदोलन (1831), और संथाल आंदोलन (1855) हुए हैं। आजादी की लड़ाई (1857) में आदिवासियों ने आंदोलन किये हैं।

पाठगत प्रश्न 30.2

निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत बताइए:

(1) अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर मैदानों में पायी जाती हैं। (सही/गलत)

(2) अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश के मध्य भाग में ज्यादा केन्द्रीत हैं। (सही/गलत)

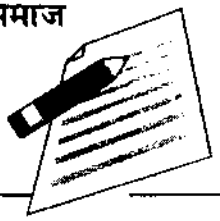

Notes

(3) शिकार और फल इकट्ठा करना आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ थी। (सही/गलत)

(4) तलहटी की भूमि को दोन भूमि कहते हैं। (सही/गलत)

(5) आदिवासियों को भूमि अलगाव और विस्थापन की समस्याएँ सहनी पड़ती है। (सही/गलत)

आपने क्या सीखा

- अनुसूचित जातियाँ हमारे समाज की अंग थी लेकिन गंदे व्यवसायों के कारण उन्हें अस्पृश्य समझा गया। वे अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गये। उन्हें कई निर्योग्यताओं का शिकार बनना पड़ा।
- अनुसूचित जनजातियाँ भारतीय व्यवस्था की आन्तरिक अंग नहीं थी। वे प्राचीन लोग थे, जो पहाड़ों, जंगलों और सागर तटीय क्षेत्रों में रहते थे। वास्तव में उनका निवास जंगलों और जंगल के क्षेत्र में था।
- अनुसूचित जातियाँ गरीब इसलिए थी कि उन्हें मकान एवं जमीन रखने की सुविधा नहीं थी। वे पालतू जानवरों को भी नहीं रख सकते थे। उनके गरीब रहने का कारण भूमि का अलगाव था। ये गरीब इसलिए भी रहे कि शहरों के लोगों ने गाँवों में प्रवेश कर लिया।
- अनुसूचित जनजातियों की गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएँ बनायी गयी हैं लेकिन यह समूह अब भी गरीब हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठान्त प्रश्न

(1) सामाजिक समस्याओं को परिभाषित कीजिए। (100 शब्दों में)

---

(2) वंचितता की परिभाषा दीजिए।

---

(3) अस्पृश्यता की परिभाषा दीजिए। इस से सम्बन्धित पाँच निर्योग्यताओं को गिनाइए। (दो सौ शब्द)

---

(4) अनुसूचित जातियाँ किसे कहते हैं? उनकी गरीबी से जुड़ी हुई कोई पाँच समस्याएँ बताइए।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

(5) अनुसूचित जनजातियाँ किसे कहते हैं? उनकी महत्वपूर्ण पाँच समस्याएँ गिनाइए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

30.1 (i) छिन लेना (ii) अस्वच्छ (iii) अस्पृश्यता
(iv) स्वीकार नहीं (v) निजी

30.2 (i) गलत (ii) सही (iii) सही (iv) सही (v) सही

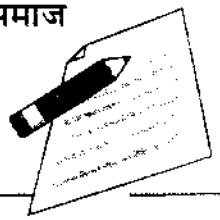

31

अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएँ

पिछले पाठों में आपने समाज के दो वर्गों के बारे में जिन्हें भारत के राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजातियाँ कहा है, की जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में हम अन्य पिछड़े वर्गों यानी स्त्रियों और बच्चों के बारे में जानकारी देंगे।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- पिछड़े वर्गों की समस्याओं को समझेंगे; और
- स्त्रियों तथा बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

31.1 बच्चों की समस्याएँ

बच्चा आदमी का पिता है। मनुष्य जीवन की सम्पूर्ण समस्याएँ यानी मानव विकास की समस्याएँ, बचपन से निहित होती हैं। बचपन का प्रारम्भिक विकास इस बात का निर्धारण करता है कि आज और आने वाले कल के राष्ट्र का निर्माण प्रारम्भिक अवस्था में होता है। भारतीय संविधान के कुछ निश्चित सुरक्षाएँ बच्चों को बचाए रखने एवं उनके विकास के लिए होती है।

दिन-प्रतिदिन के जीवन में आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, गणवेश पहनते

हैं और इसी प्रकार के जीवन को बिताते हैं। दूसरी ओर आपने यह भी देखा होगा कि बच्चे अर्द्ध-नग्न अवस्था में गलियों में कूड़ा-करकट इकट्ठा करते हुए मिलते हैं। उनके माता-पिता इन बच्चों के भोजन, कपड़ों और शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचते। सीधा कारण यह है कि ये बच्चे उस परिवार से आते हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इन बच्चों के लिए शिक्षा की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा के बिना जीवित रह सकते हैं लेकिन भोजन के बिना जीवित नहीं रख सकते। अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्हें बड़ी सख्त लड़ाई लड़नी पड़ती है, ऐसा करके उन्हें अपने परिवार को सहायता देनी पड़ती है।

हम निम्न भाग में इन बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं:

(क) लड़कियों की समस्याएँ : हमारे समाज में लड़कियों के साथ भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। एक लड़की होने के कारण उन्हें शिक्षा के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। उनका स्कूल में दाखिला नहीं होता। स्कूल के बजाय उन्हें घर के कामकाज में लगा दिया जाता है अकसर गाँवों में ऐसा देखने को मिलता है। इन बच्चियों को स्कूल न भेजकर माँ के सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। शादी के बाद एक गृहिणी के कार्य उन्हें करने पड़ते हैं, वह पति के साथ भी घर के सभी कामकाज करती है।

DIKSHANT IAS
Call Us @7428092240

हमारे समाज के कई भागों में यह विश्वास है कि तारुण्य में प्रवेश करने से पहले लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। इस विश्वास ने बाल विवाह को प्रोत्साहित किया है। बाल विवाह के कारण ये लड़कियाँ बहुत जल्दी माँ बन जाती हैं मातृत्व और मातृ से जुड़ी हुई भूमिकाएँ कई समस्याओं को पैदा कर देती हैं।

एक दूसरा विश्वास ग्रामीण भारत में और है कि स्त्रियों की शिक्षा विवाह निश्चित करने में जटिल समस्याएँ पैदा कर देती है। इस कारण माता-पिता अपनी लड़कियों का विवाह शीघ्र कर देते हैं। गरीब परिवारों की लड़कियों को घर में केवल काम ही नहीं करना पड़ता, उन्हें बाल श्रमिक की तरह पगार भी कमानी पड़ती है। जो भी हो इन विवाहित लड़कियों को आर्थिक दृष्टि से अपने मालिक के हाथों शरीरिक शोषण सहना पड़ता है।

समाज के गरीब परिवारों में बच्चियों को बेच भी दिया जाता है। इन परिवारों के लिए लड़कियाँ आय की स्रोत भी हैं। समृद्ध परिवार घरेलू कामकाज के लिए इन लड़कियों को खरीद लेते हैं और कुछ स्थितियों में उन्हें रखेल की तरह भी रख लेते हैं।

सामान्यत: बाल्यावस्था की अवधि प्रसन्नता से भरपूर होती है, ग्रामीण भारत में ये

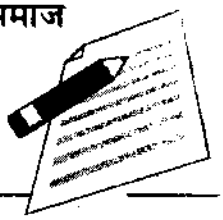

Notes

बच्चियाँ तिरस्कारित समझी जाती हैं। इनका शोषण और दमन होता है। कोई भी व्यक्ति इन बच्चियों के स्वास्थ्य को नहीं देखता, जब उसकी अवस्था गंभीर हो जाती है, तब उसे किसी चिकित्सिक या अस्पताल में ले जाया जाता है।

सच्चाई यह है कि हम भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लड़की को वंचितता और भेदभावपूर्ण स्थिति में देखते हैं।

(ख) **गली के बच्चे:** कुछ बच्चे जो गरीब परिवार के होते हैं, शहरों और कस्बों में काम-धन्धे के लिए आते हैं। शहरों में ये बच्चे बूट पॉलिश करते हैं, गेराज में मदद करते हैं, तथा अखबार बेचते हैं। उन्हें कचरा इकट्ठा करने वाला काम भी करना पड़ता है, जिसमें किसी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे गंदी वस्तुओं को उठाने का काम भी करते हैं। इन बच्चों को अपने निर्वाह की समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। अधिक किराया होने के कारण वे मकान भी किराये पर नहीं ले सकते। इस सम्पूर्ण त्रासदी का परिणाम यह होता है कि इन बच्चों को रात-दिन शहर की गलियों में रहना पड़ता है। इस कारण इन्हें गली के बच्चे या फटे-पुराने या सामान को उठाने वाला कहा जाता है। इनका निवास रात के समय में सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, पार्क आदि होते हैं। एक अनुमान के अनुसार बैगंलोर, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर और चिन्नई में बच्चे गलियों में ही घूमते हैं और वहीं निवास करते हैं।

DIKSHANTIAS
Call us @7428092240

गली के इन बच्चों के मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए कोई नहीं होता। वे कुछ भी करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनमें से अधिकांश बच्चे बीड़ी सिगरेट, भांग, गाँजा व शराब का सेवन करते हैं। नशा पान के कारण उनका स्वास्थ्य व जीवन खराब हो जाता है, वे यौन का शिकार हो जाते हैं। गली के बच्चे शहर के अपराधियों के चंगुल में आ जाते हैं। वे जेबकतरी का काम होशियारी से कर लेते हैं और वस्तुओं को चुरा लेते हैं। जब सड़कों के इन बच्चों को अपराध करते हुए, पकड़ लिया जाता है तब उन्हें जेल भेज दिया जाता है और ये जेल में नामी-गिरामी गुण्डों की पकड़ में आ जाते हैं। इस तरह ये लड़के अपराधी बन जाते हैं।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हमें सड़कों के बच्चों के बारे में निम्न जानकारी मिलती है:

(1) ये बच्चे भगोड़े होते हैं।

(2) ये बच्चे अनाथ या अपने परिवार से पृथक होते हैं।

(3) ये बच्चे गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण के शिकार होते हैं।

(4) इन बच्चों का भौतिक और लैंगिक शोषण होता है।

(5) उनके काम करने की पद्धति ऐसी होती है कि ये असंगठित और बेमतलबी होते हैं।

(6) सामान्यतया वे अकुशल काम करते हैं।

(7) ये बच्चे सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और इन्हें इस कब्जे से बार-बार हटा दिया जाता है।

(8) खराब संगति के कारण ये बच्चे शराब व नशाखोरी करने लगते हैं, जो इनके स्वास्थ्य और जीवन को बिगाड़ देता है।

(9) ये अपराधी हो जाते हैं, इस कारण इन्हें जेल भेज दिया जाता है।

(ग) बाल श्रमिक: आपने देखा होगा कि वे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए बहुत कम उम्र में काम-धन्धा करने लगते हैं। इनकी उम्र 5-14 वर्ष की अवधि होती है। ऐसे बच्चे गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के होते हैं। इन परिवारों के पास अपने बच्चों के पोषण के लिए पर्याप्त आय के साधन नहीं होते, जिनसे वे भोजन व वस्त्र उपलब्ध करा सके। इन कारणों से माता-पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते। इन बच्चों को हम बाल श्रमिक कहते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @ 7428092240

ये बाल श्रमिक कई जगह काम करते हैं– होटलों, घरेलू नौकर की तरह, गलीचा उद्योग, रंगाई उद्योग, चूड़ी उद्योग, डबल रोटी उद्योग, बीड़ी उद्योग, पापड़ उद्योग, खान, पटाखों का उद्योग मोटर गेराज इत्यादि।

बाल श्रमिक होने के कई कारण हैं– इनमें गरीबी, अशिक्षा, परिवार में काम करने वालों का अभाव, शोषण, दमन, माता-पिता द्वारा अमानवीय व्यवहार, अधिक धन इकट्ठा करने की लालसा, माता-पिता की कम आय, माता-पिता का नियमित धंधा न होना, भूमि हीनता आदि है।

बाल श्रमिक को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुझना पड़ता है। इसका कारण यह है कि वे गंदी दशाओं में काम करते हैं। वे कई बीमारियों के शिकार होते हैं जैसे आस्थमा, तपेदिक, श्वास नली से जुड़ी हुई बीमारियाँ, आँख, कान व त्वचा की बीमारियाँ और यौन सम्बन्धी बीमारियाँ आदि। इन श्रमिकों को दुर्घटना एवं मौत का मुकाबला भी करना पड़ता है। इन श्रमिकों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। ये श्रमिक इस तरह के शोषण से बचना चाहे तब भी वे बच नहीं सकते। उनके साथ यौन सम्बन्धी दुर्व्यवहार भी किया जाता है यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ता है।

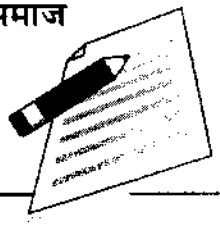

मालिक के लिए श्रम मजदूर लाभदायक होते हैं। यह इसलिए कि वे शांतिपूर्वक अधिक घंटों तक प्रतिदिन काम करते हैं। इनको पगार भी कम कर दी जाती है। इन्हें बाल श्रमिक अधिनियम के अनुसार, दिहाड़ी भी नहीं दी जाती।

भारत में जनसंख्या का एक तिहाई भाग जो श्रमिकों का है 14 वर्ष से कम की उम्र में काम करते हैं। इनकी संख्या लगभग 31 करोड़ है। विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में हैं। इस तरह के श्रमिक हमारी जनसंख्या में 5.2 हैं। गाँवों में इनकी संख्या 8.64 है और शहरों में 11.36 है।

बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अनुसार जो बच्चे 14 वर्ष से नीचे हैं बाल श्रमिक कहलाते हैं। इन्हें नाममात्र की दिहाड़ी मिलती है। यह अधिनियम उन श्रमिकों को जो इस श्रेणी में आते हैं रेल के परिसर में काम नहीं करने देते। उनका यह निषेध बीड़ी बनाने और गलीचा बनाने, सीमेन्ट उत्पादन, जुलाही कार्य, रंग-रोगन के कारखाने, पटाखे, साबुन के कारखाने, जूते बनाने और भवन निर्माण में लागू होता है। इसी अधिनियम के अनुसार, एक बाल श्रमिक को अधिकतम 6 घंटे तक काम करना निश्चित किया गया है, इसमें भी उसे आधे घंटे का अवकाश दिया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, बाल श्रमिक को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की मनाही है। इसके अनुसार, सप्ताह में एक दिन अवकाश का होता है। यह जरूरी है कि रोजगार का रजिस्टर व बच्चे की उम्र का प्रमाण-पत्र कानूनी रूप से अनवार्य है। इस अधिनियम का पालन न करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जेल दो माह या एक साल तक की एवं जुर्माना 10,000 से 20,000 तक हो सकता है। अगर यह अपराध दूसरी बार किया जाय तो जेल 6 माह से 2 साल तक की हो सकती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठगत प्रश्न 31.1

निम्नलिखित के जोड़े बनाइए:

(क)	(ख)
(i) बालिका को	(क) 1976 में लागू किया गया
(ii) गरीब परिवारों से बालिका	(ख) बाल श्रमिक कहते हैं
(iii) बाल श्रमिक होते हैं	(ग) भेदभाव पूर्ण व्यवहार के शिकार
(iv) 14 वर्ष से नीचे की उम्र में दिहाड़ी प्राप्त करना	(घ) पैसा लेकर इनको बेचा जाता है

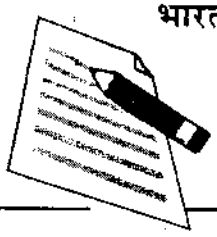

Notes

(v) बाल श्रमिक निषेध अनिनियम (ङ) भगोड़े, अनाथ और गिरफ्त में लिए गये बच्चे

31.2 महिलाओं की समस्याएँ

आपके परिवार में कई नातेदार जैसे कि माँ, बहिन और दादी माँ होंगी। विवाह के बाद आपके अन्य नातेदार भी होंगे जैसे कि आपकी पत्नी, पुत्री। इन नातेदारों का आधार लिंग होता है। प्रत्येक समाज में स्त्रियाँ जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं। हमारे समाज में पुरुष-स्त्री का अनुपात 1991 की जनगणना के अनुसार 929 है। इसका आशय है लिंग का अनुपात संतुलित नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समानता नहीं मिलती, इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

स्त्रियाँ भारतीय परिवार और संस्कृति की रक्षा करती हैं। परिवार की पहली शिक्षा माँ है। हमारे समाज में इन्हें लक्ष्मी की तरह माना जाता है और लक्ष्मी धन की देवी है। यह होते हुए भी व्यवहार में हम स्त्रियों को धन का उत्तराधिकार नहीं देते और न ही इन्हें किसी प्रकार की सम्पत्ति दी जाती है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428002240

यह भी कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो स्त्रियाँ यातना और हिंसा की शिकार होती हैं। निम्न भागों में हम स्त्रियों की समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं:

(क) **लैंगिक भेदभाव :** लिंग एक प्राकृतिक वस्तु है। परिवार की निरन्तरता के लिए वंशक्रम और उत्तराधिकार के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों लिंगों की महत्ता है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में लिंग को लेकर भेदभाव है। हमारे देश में कुछ आदिवासी समूह को छोड़कर पितृसत्तात्मक परिवार हैं। पितृसत्तात्मक समाज में वंशक्रम, गोत्र, उत्तराधिकार पितृवंशीय होते हैं। इस तरह के परिवार में पुत्र परिवार को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है लेकिन जब एक आदमी विधुर बन जाता है तब उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ता।

(ख) **घरेलू हिंसा:** जब एक आदमी और एक स्त्री पति व पत्नी की तरह बच्चों का प्रजनन करने के लिए एक हो जाते हैं, तब वे एक परिवार की नींव डालते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुसंख्यक स्त्रियों को घरेलू हिंसा का मुकाबला करना पड़ता है। घरेलू हिंसा शोषण, मारपीट, जहर देना, डूबो देना आदि में देखने को मिलती है। घरेलू हिंसा केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, यह शहरों में भी व्याप्त है। यह केवल अनुसूचित जातियों, जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों में ही देखने को नहीं मिलती अपितु इसका प्रचलन शहरों एवं उच्च जातियों में

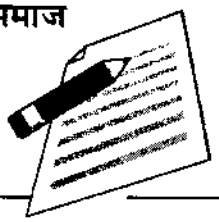

भी होता है। इस भाँति घरेलू हिंसा जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर है। मानव विकास रिपोर्ट, 1995 के अनुसार विवाहित स्त्रियों में से दो-तिहाई को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। *यूनीसेफ* की रिपोर्ट 2002 के अनुसार घरेलू हिंसा और भी ज्यादा है। भारत में घरेलू हिंसा में 1989 से 1999 तक 2.78 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

हमारे समाज में हमेशा से घरेलू हिंसा रही है। हाल में घरेलू हिंसा में वृद्धि का कारण उपभोक्ता वस्तुओं की खपत है और उससे घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। इस हिंसा से स्त्रियों को बचाने के लिए हमें प्रभावशाली अधिनियम बनाने चाहिए। हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा से बचने के लिए कानून बनाए हैं। लेकिन महिला संगठन बिल का विरोध कर रहे हैं।

(ग) **दहेज:** जब विवाह की चर्चा होती है, तब आपने अपने घर या पड़ोस में दहेज के बारे में सुना होगा। दहेज वह नकद धन या वस्तु है, जो लड़की का पिता वर पक्ष को देता है। पिछले दिनों में दहेज उच्च जातियों में प्रचलित था। आजकल दहेज की मांग समाज में सभी ओर बढ़ गयी है। आधुनिक शिक्षा ने दहेज की दर को बहुत अधिक बढा दिया है। लड़का जितना अधिक शिक्षित होगा उतनी ही अधिक दहेज की मांग होगी। दहेज की मांग में स्त्री का भाग लेना बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप दहेज देना बुरा नहीं माना जाता परन्तु जबरदस्ती से दहेज लेना गलत है। प्रत्येक परिवार का लड़की की शादी में दहेज देना परम्परागत है। हर एक परिवार चाहता है कि लड़की विवाह के बाद लड़के के परिवार में प्रसन्नतापूर्वक रहे। लेकिन जब सामने वाले के बजट पर दहेज की रकम बढ़ जाती है तो लड़की का पिता असहाय हो जाता है। इस तरह की गैर-मानवीय व्यवहार शादी के बाद दहेज को लेकर होता है।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

हमारे देश में 4,215 मृत्यु दहेज के कारण 1989 में हुई। सन् 1999 में इन दहेज हत्याओं की संख्या बढ़कर 6,699 हो गयी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सात हजार विवाहित स्त्रियाँ प्रतिवर्ष दहेज के कारण मृत्यु को प्राप्त होती हैं।

इस तरह के गैर कानूनी और अमानवीय व्यवहार हमारी सरकार जानती है कि समाज में बराबर चलते रहते हैं। सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1976 में बनाया था। इस अधिनियम के अनुसार, दहेज देना और लेना दोनों ही दण्डात्मक अपराध माने गये हैं। जब अधिनियम लागू हो गया तब कुछ लोग जो दहेज लेने व देनेवाले थे उन्हें दण्ड दिया गया। लेकिन इससे दहेज समाप्त नहीं हुआ। हाल के वर्षों में धन की लालसा के कारण तथा धन के उपभोग के लिए दहेज की मांग बढ़ रही है, यह प्रथा अधिक जटिल और शोषण युक्त हो गयी है।

(घ) **शोषण:** गरीबी और सामाजिक-आर्थिक शोषण के कारण स्त्रियाँ कठिनाई में आ गई हैं। उत्तराधिकार, सम्पत्ति के आधिपत्य तथा वस्तुओं की बनावट को लेकर स्त्रियों का शोषण होने लगा है। स्त्रियाँ अपने पति की सम्पत्ति को बेच

नहीं सकती। जब वे विधवा हो जाती हैं तब पति के भाई उसे केवल भोजन देते हैं। जब पति की सम्पत्ति में विधवाएँ हिस्सा मांगती हैं तब उन्हें भला-बुरा कहा जाता है। कहीं-कहीं पर उसे पीटा भी जाता है और मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है।

जब स्त्रियाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की होती हैं तब दिहाड़ी देने में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक ही प्रकार के काम की दिहाड़ी के लिए उन्हें अलग-अलग दिहाड़ी दी जाती है।

(ङ) **महिलाओं की कानून के प्रति जागरुकता:** हमारी सरकार घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक थी। लैंगिक भेदभाव और स्त्रियों के शोषण के लिए भी वह जानकार है। ब्रिटिश शासन काल में 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना था। गुलाम प्रथा 1849 में वर्जित हो गयी थी। बाल विवाह पर 1929 में निषेध हो गया था। विधवा पुनर्विवाह को 1856 में प्रारम्भ कर दिया था।

स्वतन्त्रता के बाद विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम, 1971 और दहेज निरोधक कानून, 1976, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए चालू किया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन पर लागू होता है। यह अधिनियम अन्तर्जातीय विवाह को भी स्वीकृति देता है। यह स्त्री को भी विवाह विच्छेद की समानता देता है।

DIKSHANTIAS
Call us @7428092240

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार, लड़कियों को भी उत्तराधिकार का अधिकार देना है। 1976 में बने दहेज निरोधक कानून के अनुसार, जुर्माना और दण्ड दोनों दिये जाते हैं। 18 वर्ष से पूर्व लड़की का विवाह दण्डनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने काम के स्थान पर लैंगिक परेशानी को बंद कर दिया है।

हमारे देश में अधिकांश स्त्रियों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन अधिनियमों का क्या उद्देश्य है। ऐसी स्त्रियाँ कुछ अधिनियमों को जानती हैं लेकिन उनकी पहुँच केवल उत्तराधिकार तक ही है।

पाठगत प्रश्न 31.2

निम्न में से सही और गलत पर निशान लगाइए:

(i) पितृसत्तात्मक परिवार में पुत्रियां वंशक्रम और उत्तराधिकार की अधिकारी होती है। (सही/ गलत)

(ii) महिलाओं पर घरेलू हिंसा जाति से ऊपर है। (सही/गलत)

(iii) दहेज निरोधक कानून, 1976 के अनुसार दहेज लेना और देना एक दण्डनीय अपराध है। (सही/गलत)

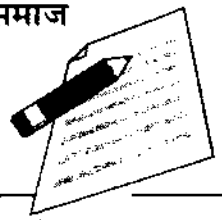

(iv) दिहाड़ी देने में महिला मजदूरों का शोषण होता है। (सही/गलत)

(v) अधिकारों से वंचितता और शोषण से सम्बन्धित कानूनों से अधिकांश महिलाएँ जागरूक हैं। (सही/गलत)

31.3 अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएँ

क्या आप यह जानते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग कौन से हैं? हमारी जाति व्यवस्था में सभी जातियाँ एक समान नहीं हैं। हमारे यहाँ कई जातियाँ हैं जो कि जातियों के मध्य में आती हैं अर्थात् वे उच्च जातियों व निम्न जातियों के बीच में आती हैं। कई जातियों के परम्परागत व्यवसाय होते हैं। वे उच्च जातियों को अपनी सेवाएँ देते थे। इन्हें जजमानी व्यवस्था कहते हैं। इन जातियों को कृषक जातियाँ, कारीगर इत्यादि कहते हैं। वे जातियाँ जिनकी स्थिति उच्च जातियों से नीची थी वे निम्न जातियों से ऊपर थी, उन्हें अन्य पिछड़ी जातियाँ कहते हैं। इस तरह की परिभाषा मण्डल कमीशन की रिपोर्ट ने दी। अन्य पिछड़ी जातियों की परिभाषा में कहना होगा कि ये जातियाँ न तो उच्च हैं और न अस्पृश्य जातियाँ हैं। अन्य पिछड़ी जातियाँ इस तरह निम्न जातियों से ऊपर हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

मण्डल कमीशन से पहले केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केन्द्र सरकार 22.5 प्रतिशत का आरक्षण देती थी। 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्र सरकार ने मण्डल कमीशन की सिफारिश पर निश्चित किया था। बी. पी. मण्डल कमीशन का गठन 1979 में किया था। इस कमीशन का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इस रिपोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। इन वर्गों की पहचान से पता चलता है कि देश में इस वर्ग की 3743 जातियाँ हैं।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट को 1993 में लागू किया गया। अन्य पिछड़ा बर्ग वस्तुत: एक 'क्रीमी लेयर' है।

1999 में वाजपेई सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों में 127 जातियों को और जोड़ दिया। इस तरह अब इस वर्ग की जातियों की संख्या 3,920 हो गयी। परिणाम यह हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग तीन श्रेणियों में आ गये: (1) बहुत अधिक पिछड़े हुए वर्ग (2) मध्यम पिछड़े वर्ग, और (3) पिछड़े वर्ग।

अन्य पिछड़ों वर्गों की समस्याओं को हम इस तरह पहचान सकते हैं:

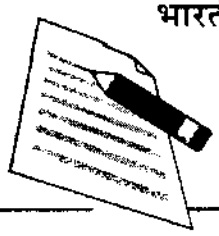

(1) **अन्त:क्रिया का अभाव:** गाँव में अन्य पिछड़ी जाति के लोग पृथक मोहल्ले में रहते हैं। ऊँची जातियों के सम्बन्ध इनके साथ नहीं रहते। उच्च जातियों की महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध इनसे नहीं होते। इसलिए अन्य पिछड़े वर्ग की नयी पीढ़ी बुरा मानती है क्योंकि वे आज भी आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सक्षम है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रगतिशील जातियों व निम्न जातियों में संघर्ष हो जाता है।

(2) **उच्च जातियों पर निर्भरता :** यह सही है कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग उन्नत हैं वे ऊँची जातियों पर निर्भर नहीं रहते लेकिन निम्न स्थिति के पिछड़े वर्ग जो गाँव में जीवन यापन करते हैं, वे ऊँची जातियों पर निर्भर रहते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों में कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जो आज भी जजमानी व्यवस्था पर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं।

(3) **बटाईयदारी की समस्या:** यह सही है कि अन्य पिछड़े वर्गों के परिशिष्ट–I के किसान सीमान्त व लघु कृषक हैं। उनके पास कृषि करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं हैं। वे बंटाई करने के लिए उच्च जातियों से जमीन लेते हैं। वे खेती-बाड़ी का काम अपने परिवार के लोगों से करते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष अपनी काश्तकारी बदलनी पड़ती है। प्रगतिशील और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहता है।

DIKSHANT IAS
Call us @ 7428992240

(4) **ऋणग्रस्तता:** इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरी श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग अच्छी स्थिति में हैं लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग जो परिशिष्ट-1 में हैं, गरीब हैं। वे अपने परिवार का भरण-पोषण दिहाड़ी व थोड़ी बहुत जमीन जो उनके पास है, उससे करते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अपनी आय से अपना भरण-पोषण कर सकें। इसके परिणामस्वरूप उन्हें भूस्वामियों और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण शादी, त्यौहार, मृत्यु और कर्मकाण्ड के लिए होता है। इस तरह के कर्ज में उन्हें उच्च ब्याज देना पड़ता है और जब वह ब्याज चुका नहीं पाता तब उसे बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है।

(5) **स्वास्थ्य और पोषण:** अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ परिशिष्ट–1 की गरीब होती है। इनके स्वास्थ की दशाएँ खराब होती हैं। इनके मकान कच्चे होते हैं। इन मकानों में शौचालय, पेशाबघर, स्नानघर, नाली और खिड़की नहीं होती है। इसी मकान में वे गाय, भैंस और बकरा-बकरी के साथ रहते हैं। गाँव की गली में ही वे शौच कर लेते हैं। अपने मकान के बाहर ही वे बर्तन साफ कर लेते हैं। न तो उनके कुएँ साफ होते हैं और न ही हेण्डपम्प। इस तरह का अस्वास्थ्यकारी पर्यावरण उनके स्वास्थ्य को खराब कर देता है। क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं हो सकते इसलिए वे अपने शरीर का पोषण नहीं कर सकते। कई लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं।

पाठगत प्रश्न 31.3

कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(1) अन्य पिछड़े वर्ग जाति व्यवस्था में.....स्थान रखते हैं। (मध्य/निम्न)

(2) अन्य पिछड़े वर्ग जो परिशिष्ट-1 में हैं वे.....आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से विकसित हैं। (कम/ज्यादा)

(3) मण्डल कमीशन की स्थापना .....हुई थी। (1979/1989)

(4) मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को .....लागू किया गया। (1990/1993)

(5) अन्य पिछड़े वर्ग जो परिशिष्ट-1 में हैं वे .....है
(जमींदार/सीमान्त और छोटे किसान)

आपने क्या सीखा

- अन्य पिछड़े वर्गों का जाति व्यवस्था में मध्यम स्थान है। ये वर्ग मुख्य रूप से काश्तकार थे और मध्यम जातियों पर निर्भर थे। लेकिन आज ये वर्ग शक्तिशाली हो रहे हैं। परिशिष्ट-I में सम्मलित किये गये अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक दृष्टि से कम विकसित हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य पिछड़े वर्ग परिशिष्ट-II के किसानों को लाभ हुआ है।
- स्त्रियाँ हमारे समाज की जनसंख्या का आधा भाग हैं। इसके होते हुए भी वे पुरुष पर निर्भर हैं। परिणम यह है कि वे अपने अधिकारों व स्वतन्त्रता से वंचित हैं। स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। घर में उनके साथ मारपीट की जाती है। दहेज के कारण उनकी हत्या हो जाती है और उनका शोषण होता है।
- बच्चे समाज की रीढ़ हैं तथा बाल्यावस्था प्रसन्नता का अवसर देता है। लेकिन गरीबी में सड़क के बच्चों और श्रमिकों को जीवित रहने का ही अवसर दिया है। वे स्कूल नहीं जाते हैं और जीवित रहने के लिए काम करते हैं।

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

पाठान्त प्रश्न

(1) अन्य पिछड़े वर्ग किसे कहते हैं? परिशिष्ट-I और II पर 200 शब्द लिखिए।

(2) हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव के कोई पाँच प्रकारों पर लेख लिखिए।

(3) दहेज किसे कहते हैं? समाज के गंदे रीति-रिवाज कौन-कौन से हैं? (200 शब्द)

(4) घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? हमारे समाज में इस हिंसा के होने के क्या कारण हैं?

(5) बच्चियों की कोई चार समस्याएँ लिखिए। (200 शब्द)

(6) गली के बच्चे किसे कहते हैं? लगभग 200 शब्दों में इनकी समस्याएँ बताइए।

(7) बाल श्रमिक किसे कहते हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

31.1

(i) -ग (ii) -घ (iii) -ङ

(iv) -ख (v) -क

DIKSHANT IAS
Call us @7428092240

31.2

(i) गलत (ii) सही (iii) सही

(iv) सही (v) गलत

31.3

(i) मध्यम (ii) कम (iii) 1979

(iv) 1993 (v) सीमान्त एवं छोटे किसान